Par. 8.17.11.22.53
285

अंक २
संख्या २२

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार
३० अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st
लोक सभा
तीसरा सत्र
शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३७७३—३८०६]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३८०६—३८१४]

(मूल्य ४ आने)

231 P.S.D.

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ३० अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निर्यात तथा आयात नियन्त्रण कार्यालय

***१७३४. श्री गिडवानी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का ध्यान बम्बई के विशेष न्यायाधीश श्री वी० एस० वाखले द्वारा किये गये निम्न पर्यवेक्षण की ओर आकर्षित किया गया है, जब कि उप-मुख्य नियन्त्रक निर्यात तथा आयात के कार्यालय के एक क्लर्क को घूस लेने के अपराध में उन्होंने अपराधी ठहराया: "हम देखते हैं कि निर्यात तथा आयात कार्यालय में घूस स्वच्छन्दतापूर्वक मांगी गई थी ?

(ख) यदि ऐसा है, सरकार ने उक्त विभाग के घूस रोकने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां श्रीमान्, सरकार निर्देशित किये गए प्रासंगिक अधिवचन से अवगत है।

(ख) लाइसेंस देने की नीति तथा प्रक्रिया का जहां तक सम्भव होता है भ्रष्टाचार के अवसरों को दूर करने के लिए पुनरीक्षण होता रहता है। शिकायतों की तात्कालिक छान-बीन की जाती है और विभागीय या अन्य प्रकार की उचित कार्यवाही की जाती है।

माननीय सदस्य को यह जान कर हर्ष होगा कि भाग (क) में निर्देशित मामले की खोज कर ली गई है और सह-मुख्य नियन्त्रक आयात, बम्बई के प्रत्युक्रम के कारण जोरों से चलाया जा रहा है।

श्री गिडवानी : क्या यह तथ्य है कि एक अन्य मामला जो निर्यात परिवाद मामले के नाम से प्रसिद्ध है बम्बई में चल रहा है जिस में निर्यात के सहायक तथा उप-मुख्य नियन्त्रकों पर विभाग के अन्य सात व्यक्तियों सहित अभियोग चलाया जा रहा है, भारत सरकार को ठगने तथा लेखों आदि को गढ़ने के अपराध में और वे आठ व्यक्ति जो मूलतः फंस चुके थे, छोड़ दिये गए थे क्योंकि भारत सरकार द्वारा दो सम्बन्धित अपराधों के विषय में मुख्य अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी ?

श्री करमरकर : मैं इस समय विस्तारपूर्वक इस अभियोग के सारे तथ्यों से अवगत नहीं हूं। मैं इस का पता लगाना चाहूंगा।

श्री गिडवानी : मान लीजिये मैं पुर्व सूचना देता हूं ......

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं अनुमानों को यहां स्थान नहीं दे सकता।

त्रिवेन्द्रम में रंजातु (टिटेनियम) उद्योग

*१७३७. **कुमारी एनी मस्करीन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार को त्रिवेन्द्रम में रंजातु (टिटेनियम) उद्योग की आर्थिक असफलता के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं इस उद्योग को कर्ज़ दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण जान सकती हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार धन ऋण पर नहीं देती।

कुमारी एनी मस्करीन : मेरा तात्पर्य है औद्योगिक अर्थ निगम द्वारा सिफारिश किया गया मुद्रा-ऋण।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : किन्हीं मामलों में सरकार अवश्य देती है। मैं माननीय सदस्य को इस विशेष उदाहरण के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि मामला आयात-निर्यात आयोग के सम्मुख विचाराधीन है। जब यह प्रश्न उपस्थित किया गया था, मुझे ट्रावनकोर-कोचीन सरकार के सम्पर्क में आने का अवसर मिला और उनसे स्थिति के विषय में पूछा। राज्य सरकार का कहना है कि अतिरिक्त वित्त देने के पूर्व जिसकी आवश्यकता है, वे आयात-निर्यात आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करना अधिक पसन्द करेंगे। इस कम्पनी द्वारा एक आवेदन पत्र औद्योगिक वित्त आयोग से कर्ज़ के लिये दिया गया था, किन्तु वह स्वीकार नहीं किया गया। कम्पनी तक आयात-निर्यात आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा अपने लिये कर्ज़ लेने के अधिकार के समर्थन हेतु प्रतीक्षा करना चाहती थी। यह वर्तमान स्थिति है।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि माननीय मंत्री कारखाना देखने के समय उद्योग के कुप्रबन्ध से प्रभावित हुए थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न का प्रथम भाग सही नहीं है। मैं कारखाना देखने नहीं गया। मैं केवल त्रिवेन्द्रम गया था और कारखाने से संबंधित व्यक्तियों से मिला था। मैं नहीं समझता कि वहां कोई जान बूझ कर कुप्रबन्ध चल रहा है। किन्हीं परिस्थितियों वश उत्पादन का मूल्य जैसे रंजातु द्विजारेय (टिटेनियम डाइआक्साइड) का मूल्य बढ़ गया है और इस उत्पादन का उपयोग करने वाला एक मात्र रंगलेप उद्योग भी कठिनाइयां उपस्थित कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि स्थिति सन्तोष पूर्वक सुलझ जायगी यदि आयात-निर्यात आयोग इसकी सिफारिश करता है और यदि वह किसी प्रकार संरक्षण के कुछ उपाय करता है तो।

भूमिसुधार संगठन

*१७४०. **श्री एल एन० मिश्र :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अखिल-भारतीय आधार पर योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ भूमि सुधार सम्बन्धी संगठन स्थापित करने का विचार कर रही है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस दिशा में अब तक कितनी उन्नति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उप-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४९**]

श्री एल० एन० मिश्र: क्या मैं जान सकता हूं कि यह नवनिर्मित भूमिसुधार केन्द्रीय समिति एक स्थायी संस्था होगी या अल्पकालिक ?

श्री हाथी: इस संस्था को स्थायी बनाने का विचार है ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या सरकार का कोई विचार भूमिसुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने का है जैसा कि विभिन्न राज्यों द्वारा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिया गया है ?

श्री हाथी: सरकार विभिन्न राज्यों के विधानों का अध्ययन कर रही है । हैदराबाद, बम्बई, पेप्सू, पंजाब एवं देहली के विधानों का अध्ययन कर चुकी है ।

श्री एल० एन० मिश्र: विभिन्न राज्यों द्वारा कृषि-क्षेत्र सीमा निश्चित कर देने के सम्बन्ध में उठाये गए पगों की ओर सरकार का कुछ विचार है, यदि उत्तर हां है, तो प्रत्येक राज्य द्वारा उच्चतम् क्या सीमा निश्चित की गई है, मैं जान सकता हूं ?

श्री हाथी: उच्चतम क्षेत्र-सीमा निश्चित करनी ही होगी स्थानीय स्थितियों के अनुसार जिसको वे प्रत्येक राज्य विशेष के लिये एक आर्थिक कृषि क्षेत्र, मिट्टी तथा फ़सल की पैदावार आदि कहेंगे । बह सम्बन्धित राज्यों के पास रहेगी, किन्तु यह संगठन उन लोगों को इस विषय में सलाह देगा ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ राज्यों द्वारा उच्चतम क्षेत्र सीमा निश्चित कर ली गई है या नहीं ?

श्री हाथी: कुछ राज्यों ने इस को निश्चित कर लिया है । उदाहरण के लिये बम्बई ने ५० एकड़ निश्चित किया है । कुछ राज्यों ने आर्थिक कृषि क्षेत्रों का पांच या आठ गना निश्चित किया है । कुछ राज्यों ने परिवार इकाई या वर्ग लिये हैं और उस इकाई के अनुसार उच्चतम सीमा निर्धारित कर ली है ।

श्री अच्युतन: क्या कोई ऐसा राज्य भी है जिसने इस संबंध में अभी तक कोई प्रत्युक्रम नहीं किया है ?

श्री हाथी: कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अभी विधान पारित नहीं हुए हैं ।

श्री अच्युतन: वे कौन कौन हैं ?

श्री रामानन्द दास: क्या सरकार भूमिरहित श्रमिकों को बिना मुआवजे के पुनः भूमि वितरण करने पर कोई विचार कर रही है, जैसा कि काश्मीर में हो चुका है ?

श्री हाथी: यह योजना में लिये गए मदों में से एक है ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या मैं जान सकता हूं कि उन भूमि रहित श्रमिकों को मुआवजा मिलेगा जिनको आधिक्य भूमि से वंचित कर दिया गया है ?

श्री हाथी: मुआवजा देना ही पड़ेगा, किन्तु किस प्रकार दिया जाय, निश्चय ही, अनेक कारणों पर निर्भर करेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र: यह संघ सरकार द्वारा दिया जायगा अथवा राज्य सरकारों द्वारा ?

श्री हाथी: संघ सरकार द्वारा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय: हम मुख्य प्रश्न से बहके जा रहे हैं । अगला प्रश्न ।

ग्रामोद्योगों का विकास

***१७४१. श्री एस० सी० सामन्त**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने ग्राम्य उद्योगों का विकास करने का विचार किया जा रहा है ?

(ख) केन्द्रीय सरकार इस विषय में किस प्रकार सहायता करेगी ?

(ग) क्या ग्राम्य उद्योगों पर अन्वेषण करने तथा प्रशिक्षण देने के कुछ प्रबन्ध किये गये हैं ?

(घ) कौन सी राज्य सरकारें कौन से ग्राम्य उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिये आगे बढ़ी हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) वर्तमान में ११ ।

(ख) यह विषय अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम्य उद्योग मण्डल के पास विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न की परीक्षा की जा रही है ।

(घ) मण्डल तथा राज्य सरकारों द्वारा इस विषय पर पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि एक सामान्य उत्पादन कार्यक्रम बड़ी मात्रा वाले उद्योग से प्रतिस्पर्द्धा बचाने की दृष्टि से बनाया गया है?

श्री करमरकर : अभी नहीं । मण्डल को यथासम्भव उस प्रश्न पर विचार करना ही पड़ेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कुछ विद्युत से चलने वाली मशीनें बनाने वाली है जो छोटी मात्रा वाले उद्योगों के लिये उपयुक्त होंगी ?

श्री करमरकर : इस पर भी मण्डल द्वारा यथासम्भव विचार किया जायगा ।

श्री सरमा : सरकार विभिन्न राज्यों को योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों तथा छोटी मात्रा में उत्पत्ति वाले उद्योगों को निश्चित की गई धनराशि किस प्रकार देने जा रही है ?

श्री करमरकर : जहां ग्राम्य उद्योगों का संबन्ध है, मण्डल के हाथ से यह विषय निकाल लिया गया है । मण्डल को इस वर्ष के लिये निधि निश्चित कर दी गई है, और वह ही यह तरीका निश्चित करेगा कि ग्राम्य उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को किस प्रकार सहायता दी जाय ।

श्री सारगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न ग्रामीण उद्योगों की उन्नति के लिये आवश्यक छोटी छोटी मशीनों को लागू करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं, और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इन मशीनों के निर्माण में उन्नति हो रही है, जिससे वे ग्रामीणों को उपलब्ध हो सकेंगी ?

श्री करमरकर : मुझे पता चला है कि इस कार्य के लिये ५ लाख रुपये की लागत से एक अन्वेषण संस्था खोलने की योजना बन चुकी है । ग्राम्य उद्योगों को चलाने के लिये छोटी छोटी मशीनों को बनाने का कार्य भी, मुझे आशा है, अन्वेषण द्वारा किये गये कार्यों में से एक होगा । वास्तव में कुछ छोटी मशीनें जापान से मंगाई गई हैं । वे लाभदायक जान पड़ी हैं । अतः इन मशीनों की वहां अधिकता हो रही है और वितरित की गई हैं । म एक उदाहरण, दे सकता हूं यथा तेल पेरने की मशीनें ।

श्री बर्मन : ग्राम तेल उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए योजना आयोग ने तेल मिल द्वारा निकाले गये तेल पर थोड़ा उपकर लगाने की सिफारिश की है । क्या मैं जान सकता हूं कि उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्यवाहियां की हैं ?

श्री करमरकर : जहां तक मुझे ज्ञात है मैं कह सकता हूं कि अभी तक यह मामला ग्रामीण उद्योग मंडल के विचाराधीन है, जब वह अपना कोई अन्तिम निर्णय दे देगा तो सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादक वस्तुओं को विदेशों में बेचने के लिए सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री करमरकर : जी। मैं समझता हूं कि एक विपणन संगठन बनाया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार कोई प्रादेशिक वित्त निगम बनाने जा रही है, क्यों कि कुछ राज्यों के यहा ये निगम बनाने के लिए आर्थिक कठिनाइयां हैं ?

श्री करमरकर : आजकल राज्यों को अनुदान के रूप में सहायता नहीं दी जायगी जैसे कि पहिले दी गई है, किन्तु पश्चात् को कुछ अधिक मात्रा में दी जायगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि पर्वतीय इलाकों में ऊन के उद्योग को उन्नत करने की कोई योजना चालू की गई है ?

श्री करमरकर : जी हां, पर्वतीय इलाकों में जैसे हिमाचल प्रदेश में। मैं जानता हूं कि इस बारे में प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री सरमा : क्या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों को बंटित की गई राशियां राज्य आय वयस्यकों में दिखाई जायंगी, अथवा अलग हिसाब रखे जायेंगे ताकि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक बनाने की प्रगति अलग अलग परिगणित की जा सके ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम जो भी प्रयत्न करते हैं उनके परिणाम समुचित रूप में परिगणित किए जायंगे। जैसा कि मैं ने कहा, बोर्ड का पहला विचार यह होगा कि स्वयं केन्द्रीय सरकार के अधीन कितने धन का उपयोग होना चाहिये और राज्यों को कितना देना संभव होगा। जहां तक मैं समझता हूं, राज्यों को दी गई निधियों के उपयोग के संबंध में, आज कल, राज्यों से नियमित रूप में रिपोर्टें मंगाई जाती हैं।

तिलय्या बांध और बोकारो तापीय केन्द्र

*१७४२. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तिलय्या बांध और बोकारो विद्युत केन्द्र के सम्बन्ध में सारे कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : यह आशा की जाती है कि तिलय्या बांध तथा बोकारो विद्युत केन्द्र के सम्बंध में सारे कार्य जुलाई १९५३ तक पूरे हो जायंगे।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान, बम्बई के एक साप्ताहिक में प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है, कि जिस समय प्रधान मंत्री ने बोकारो विद्युत केन्द्र का उद्घाटन किया था उस समय केवल कुछ वरीवर्तों (टर्बाइन्स) पर काम किया गया था और बाद में बंद कर दिए गए थे ?

श्री हाथी : सरकार का ध्यान उस तथ्य की ओर, आकर्षित किया गया था परन्तु वह रिपोर्ट सही नहीं है।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि उस दिन जब कि बोकारो में वह संयन्त्र उद्घाटित किया गया था, कितने वरीवर्त वास्तविकता में काम कर रहे थे ?

श्री हाथी : उस इकाई (यूनिट) के, जो प्रतिस्थापित की गई थी, सभी वरीवर्त (टर्बाइन्स) काम कर रहे थे। स्थिति यह है कि ऐसे बड़े संयन्त्रों में, यह सदैव आवश्यक होता है—और यह प्रथा है —कि चलाने के उपरांत संयन्त्र की जांच करनी पड़ती है और एक विशेष काल के लिए उसको बन्द कर देना होता है। यद्यपि कोई खराबी नहीं पाई गई थी, फिर भी जांच के प्रयोजनों के लिए संयन्त्र को थोड़े दिनों के लिए बन्द करना पड़ा था।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि उसी अखबार में तिलय्या बांध की नीवों के धसं जाने के बारे में जो रिपोर्ट छपी थी, क्या, वह सही पाई गई है ?

श्री हाथी : वह भी एक सही रिपोर्ट नहीं है और उस पर सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली है।

श्री सी० आर० चौधरी : उस पत्र के विरुद्ध गलत रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उनका संबंध है।

श्री रघुनाथ सिंह : गवर्नमेंट ने पेपर की इस रिपोर्ट के बारे में कोई इनक्वायरी की ?

श्री हाथी : जांच की गई थी और प्रकाशित रिपोर्ट सर्वथा गलत पाई गई थी।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बोकारो तापीय विद्युत केन्द्र में उत्पादित सारी विद्युत शक्ति का उपयोग करने के प्रबन्ध कर लिए गये है ?

श्री हाथी : प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

नागरिक विभाग-पदाधिकारियों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थायें

*१७४४. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भर्ती के सम्बन्ध में १९ मार्च १९५३ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ६३० के उत्तर में सदन पटल पर रखी गई नागरिक विभाग-पदाधिकारियों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे :

(क) किस वर्ष से हिवेट और सिविल इंजीनियरिंग स्कूल्स, लखनऊ के स्नातक पत्रों को मान्यता प्रदान की गई है; और

(ख) कब से बनारस विश्वविद्यालय से मिलने वाली इंजीनियरिंग में बी० एस० सी० के उपाधिपत्र को नागरिक उड्डयन पदाधिकारी के संवर्ग में भर्ती के लिए मान्यता प्रदान की गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरोगोहिन) : (क) १९३६ से लेकिन वे विभाग-पदाधिकारी भी, जो इन संस्थाओं से उस वर्ष के पूर्व उत्तीर्ण हो कर निकले थे और जो सरकार के अधीन निरंतर सेवा में लगे हुए थे, योग्यता प्राप्त माने गए थ।

(ख) ऐसा कोई संवर्ग नहीं है, लेकिन बनारस विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग में बी० एस० सी० की उपाधि को राजकीय

सेवा में भर्ती के प्रयोजनों के हेतु, उस उपाधि के प्रारंभ से ही मान्यता दे दी गई थी।

श्री एम० एस० गरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि इन शिक्षा संस्थाओं के कुछ अनुतीर्ण विद्यार्थी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभागीय पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे?

श्री बूरागोहिन : यह बात उन लोगों के सम्बन्ध में सत्य हो सकती है जो १९३६ के पूर्व से निरंतर नौकरी में लगे रहे हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हाल ही में कोई व्यक्ति, जो बनारस विश्वविद्यालय की बी० एस० सी० (निकर्म) योग्यता प्राप्त था, नागरिक विभागीय पदाधिकारी के पद पर भर्ती किया गया था?

श्री बुरागोहिन : यह आशा नहीं की जाती कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की नौकरी में लगे हुए प्रत्येक पदाधिकारी की भर्ती के बारे में जानूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ऐसे विषय हैं जिन पर माननीय सदस्य मंत्रियों के साथ सदन के बाहर, बातचीत कर सकते हैं।

कपड़े का आयात

*१७४५. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में भारत में आयात किये गए कपड़े की कुल मात्रा (गजों में); और

(ख) आयात अनुज्ञापत्रों को देने के कारण?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा है।

(ख) जनवरी-जून और जुलाई-दिसम्बर १९५२ के लाईसेन्स देने के कालों में केवल उन्हीं किस्मों के आयात की अनुमति दी गई थी, जो देश के अन्दर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं की जाती हैं। अर्ध वर्ष जनवरी-जून १९५३ के लाइसेन्स देने के काल के लिए लाइसेन्स कोटा के आधार पर दिए जा रहे हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आयात शुल्क अत्यधिक बढ़ा दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष १९५२-५३ (अप्रैल १९५२ से जनवरी १९५३) में सूती कपड़े के आयात।

(१) सूती कटपीस.....४०,७६,९५६ गज़

(२) सूती कपड़े की कतरनें...... ७,१०,२१२ गज़

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं आयातों का राज्यानुसार मूल्य जान सकता हूं?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं।

श्री दाभी : क्या यह तथ्य नहीं है कि कपड़े के मामले में देश आत्मनिर्भर से अधिक है और यदि ऐसा है तो विदेशी कपड़ा आयात करने की आवश्यकता कहां थी?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर नहीं सुना। कपड़े की वे किस्में जिनके आयात की अनुमति दी गई थी ऐसी थीं जो इस देश में किसी अधिक मात्रा में

निर्मित नहीं की जातीं और मैं उनको बता दूं कि १९५२-५३ के दो लाइसेन्स देने के कालों में कपड़े की वह किस्म जिसको आयात करने की अनुमति दी गई थी छाते का कपड़ा, टाइप मशीन के रिबन का कपड़ा, मखमल और नकली मखमल तथा इटली की साटन थी ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह किस्में ऐसी हैं जिनके बिना देश का काम नहीं चल सकता ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य एक ऐसे स्थान से आते हैं जहां खूब पानी बरसता है । यदि वह समझते हैं कि वह बिना छाते के काम चला सकते हैं तो मैं तो ऐसा नहीं समझता ।

श्री केलप्पन : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्वीकृत मूलभूत अधिकारों के प्रस्ताव का, एक खण्ड इस संबंध में था कि स्वराज मिलने पर विदेशी कपड़े का आयात रोक दिया जायगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, बहुत संभव है कि ऐसा एक प्रस्ताव रहा हो ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि किन देशों से यह माल आयात किए जाते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने कहा कि मेरे पास अलग अलग आंकडे नहीं हैं ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि कौन सी खास किस्म अधिक आयात की जाती है और किस स्थान से ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने कहा है कि वे किस्में छाते का कपड़ा, इटली की साटन, टाइप मशीन के रिबन का कपड़ा, मखमल और नकली मखमल हैं, जिन की कुछ प्रकार के व्यापारों में आवश्यकता होती है, और जो इस देश में किसी भी मात्रा में अथवा आवश्यकतानुसार उचित प्रकार के निर्मित नहीं होतीं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि इन आयात की जाने वाली वस्तुओं का हमारे देश में उत्पादन न होना कच्चे माल की कमी के कारण है जिस के लिए कोई दूसरी वस्तु नहीं मिल सकती ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम लोग बारीकियों में चले जा रहे हैं ।

श्री सारंगधर दास : भारत में कपड़े की इन किस्मों को, जो अभी आयात की जा रही हैं, निर्मित करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रयत्न किए जा रहे हैं; न ही कोई प्रयत्न करने से कोई लाभ है, क्योंकि आवश्यक मात्रा इतनी कम है कि उनका निर्माण करना बचत पूर्ण नहीं होगा । अपनी आवश्यकताओं की हरेक बारीकी के संबंध में आत्मनिर्भर होने की ओर हमारा ध्यान नहीं है ।

सरकारी नौकरों के लिए रहने की इमारतें

***१७४६. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५२ और १९५२-५३ में दिल्ली तथा नई दिल्ली में सभी श्रेणियों के सरकारी नौकरों के लिए बनवाई गई रहने की इमारतों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कुल खर्चा;

(ख) क्या इन सभी इमारतों में लोग रहते हैं;

(ग) उन इकाइयों की संख्या जो खाली रहीं; और

(घ) १९५१-५२ और १९५२-५३ में इन इमारतों में रहने के कारण एकत्रित किये गए किराए की कुल राशि ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन): मैं अनुमान करता हूं कि माननीय सदस्य वह कुल खर्च जानना चाहते हैं जो १९५१-५२ और १९५२-५३ में सरकार द्वारा हर श्रेणी के सरकारी नौकरों के रहने के लिए उन इमारतों की मरम्मत आदि पर खर्च किया गया था, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के आधीन हैं। सूचना निम्नलिखित है :—

(क) १९५१-५२......६६·० लाख रुपए (अनुमानतः)

१९५२-५३......६८·५ लाख रुपए (अनुमानतः)

(ख) जी हां।

(ग) बहुत अल्प कालों के लिए छोड़ कर, एक भी नहीं।

(घ) १९५१-५२...८२ लाख रुपए (अनुमानतः)

१९५२-५३...८५ लाख रुपए (अनुमानतः)

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रांतीय मुख्यालयों में सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इमारतें बनवाई हैं ?

श्री बुरागोहिन : श्रीमान्, मुझे निश्चित रूप से नहीं मालूम। कदाचित् हम बम्बई और कलकत्ता में कुछ मकान बनवाएं। लेकिन अभी मेरे पास विस्तृत विवरण नहीं है।

श्री के० सी० सोधिया : परिगणित किराये की राशि क्या थी ?

श्री बुरागोहिन : इन मकानों में रहने के किराये के रूप में एकत्रित की गई राशि मैं अपने उत्तर में पहले ही दे चुका हूं। मेरा विश्वास है कि एक वर्ष में परिगणित राशि लगभग ९० लाख रुपये हो जाती है।

श्री के० सी० सोधिया : मैं ठीक से नहीं समझ पाया कि किराये के रूप में जमा की गई राशि क्या थी ?

श्री बुरागोहिन : श्रीमान्, मैंने एकत्रित किए गए किराये के आंकड़े अपने उत्तर में दिए थे—८२ लाख रुपये और ८५ लाख रुपये।

श्री थानू पिल्ले : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा रहने की इमारतों पर किए गए खर्चे में निर्माण लागत भी सम्मिलित है। क्या मैं जान सकता हूं कि उस काल में नई इमारतों पर कितना व्यय किया गया है।

श्री बुरागोहिन : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन नई इमारतों के निर्माण पर पूंजी व्यय १९५१-५२ में ३२,६२,११० रुपये और १९५२-५३ में ३२,३८,३६१ रुपये था।

श्री पुन्नूस : मैं वह आधार जानना चाहता था जिसके द्वारा यह किराया निश्चित किया जाता है। क्या वह इमारतों पर खर्च किये गये धन के अनुसार काटा जाता है अथवा कर्मचारियों के वेतन के आधार पर जो इनमें रह रहे हैं।

श्री बुरागोहिन : इसको निश्चित करने का आधार दोनों ही हैं। एक उच्चतम सीमा निश्चित कर दी गई है जो कर्मचारी के वेतन का १० प्रतिशत है। अथवा इमारत के निर्माण में जितना भी खर्च हुआ है, भूमि तथा अधिसेवाओं के व्यय को छोड़ कर, उसका ६ प्रतिशत लिया जाता है।

श्री पुन्नूस : क्या इसे सीमित करने के लिए कुछ किया गया है कि कर्मचारी के वेतन का १० प्रतिशत से अधिक किराये में नहीं लिया जायगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि उन्होंने कहा है कि वह सीमा कर्मचारी के वेतन का १० प्रतिशत है।

श्री पुन्नूस : मैं यह जानना चाहता था कि क्या यह वही उच्चतम सीमा है जिससे अधिक किराया कर्मचारी के वेतन में से नहीं लिया जायगा ?

श्री बुरागोहिन : वह उच्चतम सीमा कर्मचारियों के वेतन का १० प्रतिशत है।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक विभाग के कर्मचारी जो समस्त देश में काम कर रहे हैं उनके रहन के लिए निवास स्थान बनाये जाते हैं ?

श्री बुरागोहिन : श्रीमन्, मैं ऐसा ही सोचता हूं।

श्री ए० एम० टामस : सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस आवश्यकता की पूर्ति करने में कहां तक सफल हुई है ?

श्री बुरागोहिन : हम प्रत्येक वर्ष मकान बना रहे हैं। मैं समझता हूं हम देहली में नियमित रूप से ११०० व्यक्तियों के लिये मकान बना रहे हैं, और किन्हीं वर्षों में तो इस से भी अधिक बनाते हैं, यहां तक उनकी संख्या २,५०० तक पहुंच जाती है। मेरा विश्वास है कि देहली में स्थिति में सुधार होने में कई वर्ष और लग जायेंगे।

श्री सिंहासन सिंह : विभिन्न प्रकार की इमारतों की देखभाल एवं सुरक्षा पर अधिक से अधिक तथा कम से कम कितना धन का व्यय होता है ?

श्री बुरागोहिन : मुझे भय है कि इस के लिये मुझे समय चाहिये।

सेठ अचल सिंह : अब तक कितने गवर्नमेंट एम्पलायीज बाकी हैं जिसको मकान नहीं मिले हैं ?

श्री बुरागोहिन : मेरा विचार है कि दिल्ली में ४५ हज़ार में से ३० हज़ार मकानों की अभी और मांग है।

नेपाल के साथ व्यापार

*१७४७. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

पिछले वर्ष जिसके कि आंकड़े उपलब्ध हैं नेपाल से कितने का तथा कितनी मात्रा में मुख्य वस्तुओं का आयात एवं निर्यात हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : श्रीमान् संसद् पटल पर मैंने दो विवरण प्रस्तुत किये हैं जिनमें सन् १९५२ में नेपाल से मुख्य मुख्य वस्तुओं के आयात तथा निर्यात का उल्लेख है।

कितने धन का आयात और निर्यात हुआ इस सम्बन्ध में आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं । [**देखो परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५०**]

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले वर्ष भारत में चावल तथा धान के आयात में कुछ वृद्धि हुई है ?

श्री करमरकर : मेरे पास मूल्यानुपात के आंकड़े नहीं हैं । सन् १९५२ के पत्री वर्ष के आंकड़े तो हैं जो कि विवरण में दिये गये हैं ।

अमरीका में भारतीय वाणिज्य संगठन

*१७४८. **चौधरी रघुबीर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय सरकार की ओर से अमरीका में एक भारतीय वाणिज्य संगठन है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो इस संगठन पर वार्षिक खर्च क्या होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). जी श्रीमन्. इस संगठन की शक्ति तथा उस पर व्यय की जाने वाली धन राशि का उल्लेख संसद् पटल पर प्रस्तुत विवरण में उपलब्ध है । [**देखो परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५१**]

चौधरी रघुबीर सिंह : क्या सरकार अन्य दूसरे देशों में भी ऐसे ही वाणिज्य संगठन खोलने का विचार रखती है ? यदि हां तो वे कौन कौन से देश हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमन् वाणिज्य संगठनों को बढ़ाने के प्रस्ताव पर प्रत्येक वर्ष विचार किया जाता है । इस समय मेरे पास अगले वर्ष के लिये कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह वाणिज्य संगठन किस प्रकार के कार्य करता है—क्या हमारे यहां की निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी आदि आदि भी यह संगठन करता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी श्रीमन्, जहां मानव तथा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती अथवा जहां किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती वहां ये वाणिज्य संगठन कार्य करते हैं । जहां कहीं भी मुख्य मुख्य प्रदर्शनियों में भाग लेना होता है हम दिल्ली से अपने निजी कर्मचारीगण भेजते हैं ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि यह वाणिज्य संगठन वहां अपने राजदूतावास के सहयोग में कार्य कर रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो स्वाभाविक ही है, जहां कहीं राजदूतावास हैं वहां तो ये उसके अधीन हैं और जहां कहीं ये संगठन राजदूतावास के क्षेत्र से परे हैं वहां उस क्षे के अधिकारी—राजदूत अथवा उच्चायुक्त इन पर नियंत्रण रखते हैं ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि अमरीका में गेहूं इस वाणिज्य संगठन के द्वारा खरीदा जाता है अथवा इसके अतिरिक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं वैसे नहीं दे सकता, इसके लिए तो मुझे कृषि तथा खाद्य मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करनी होगी ।

उद्योगों से ऋण के लिए आवेदन पत्र

*१७४९. **चौधरी रघुबीर सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सन् १९५२ में विभिन्न उद्योगों से ऋण के लिये आवेदन पत्र आये थे ?

(ख) यदि यह सत्य है तो कितने प्रार्थियों को ऋण दिया गया ?

(ग) वे प्रार्थी कौन कौन थे; तथा उनमें से प्रत्येक को कितनी कितनी धन राशि दी गई ?

(घ) इस चयन का आधार क्या था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी श्रीमन् ।

(ख) से (घ). उपलब्ध जानकारी से पूरित विवर संसद पटल पर प्रस्तुत हैं **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५२]**

चौधरी रघुबीर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन ऋणों के लिए उत्तर प्रदेश से कितने प्रार्थी थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विवरण के अनुसार जो यहां प्रस्तुत हैं, मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश से भी कोई प्रार्थी था ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि ये आवेदन पत्र औद्योगिक वित्त निगम को भेजे गये थे अथवा सीधे सरकार को ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : औद्योगिक वित्त निगम सरकार को ऋण के लिए कभी भी आवेदन पत्र नहीं भेजता । जनता औद्योगिक वित्त निगम को आवेदन पत्र भेजती है । कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें सरकार तक पहुंच की गई थी और ऐसे मामलों में यदि सरकार उचित समझती है तो ऋण दे देती है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि मद्रास प्रान्त से भी कोई आवेदन पत्र आये थे, तो वे किस प्रकार के उद्योग थे, और उन आवेदन पत्रों के विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी श्रीमन मुझे भय है कि सभी प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं ।

हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन

*१७५०. **चौधरी रघुबीर सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कोई विशेषज्ञ हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन सम्बन्धी बातों पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिये अमरीका से आये हैं ?

(ख) क्या उस विशेषज्ञ ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है, तथा उसने अपना विवरण दे दिया है ?

(ग) उसकी अधिसेवाओं के लिये सरकार कितनी धन-राशि व्यय करेगी ?

(घ) वह भारतवर्ष में कितने समय तक रहेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). प्रश्न (क) का उत्तर नकारात्मक है ।

संभवतः माननीय सदस्य का उल्लेख अमरीका के मैके स्टोर्स के प्रतिनिधि **श्री** मार्तिनुजी के निरीक्षण से है । यदि यह

ठीक है तो मैं उन्हें यह सूचना दे सकता हूं कि हमारी हस्त शिल्प वस्तुओं में मैके स्टोर्म की रुचि बढ़ाने के लिये बातचीत करने के लिए श्री मार्तिनुजी को आमंत्रित किया गया था। श्री मार्तिनुजी ने सम्बन्धित अधिकारियों तथा हस्तशिल्प मंडल के पदाधिकारियों से इस सम्बन्ध में बातचीत की थी। भारतवर्ष म उनके निरीक्षण पर ५८१२ रुपये खर्च किये गये। और वे भारतवर्ष में तीन सप्ताह रुके थे।

नमक यातायात के लिए माल के डिब्बे

*१७५१. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या उत्पादन मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसका पता है कि सौराष्ट्र में नमक के यातायात के लिए वैगनों के उपलब्ध न होने के कारण बहुत सा नमक वहा पड़ा है ?

(ख) क्या उसके कारण उत्पादन स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

(ग) यदि यह ठीक है तो क्या सरकार वैगनों के न मिलने की कठिनाई को दूर करने के लिए कोई उपाय करेगी ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी। वहां नमक काफी मात्रा में इकट्ठा हो गया है। किन्तु उपभोग्य क्षेत्रों में व्यापारियों द्वारा नमक का प्रदाय व्यादेश, अथवा न्यून प्रदाय व्यादेश, को न करने, और सौराष्ट्र में नमक के नये कारखानों के बनने से उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वही १९५२ में नमक इकट्ठा होने के मुख्य कारण हैं, वैगनों के न मिलने का कारण इतना मुख्य नहीं है।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न (क) के उत्तर के आधार पर इसके उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जेठालाल जोशी : क्या यह सत्य है कि नमक के छोटे २ उत्पादक जो १० एकड़ भूमि तक में नमक का उत्पादन करते हैं, उनको वैगन नहीं दिये जाते, अतएव उन्हीं को विशेष हानि उठानी पड़ती है ?

श्री आर० जी० दुबे : नहीं श्रीमन्। सरकार के सम्मुख इस प्रकार की शिकायतें अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

खनिज तेल को खान से निकालना और साफ करना

*१७५२. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने ऐसे उद्योगी व्यवसायी हैं जो खनिज तेल को खान से निकालने और साफ़ करने में लगे हुए हैं ;

(ख) क्रमानुसार भारतीय और विदेशी व्यवसाय कितने हैं ;

(ग) इस उद्योग में कितनी भारतीय और विदेशी पूंजी लगी हुई है ;

(घ) इन व्यवसायों में ऐसे भारतीय और विदेशी कर्मचारियों का अनुपात क्या है जो ५०० रुपए से अधिक पारिश्रमिक अथवा वेतन पाते हैं ; तथा

(ङ) सरकार इस उद्योग में भारतियों की पर्याप्त संख्या को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कर रही है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) (क) से (ङ) तक। अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और ज्यूं ही प्राप्त हुई सदन पटल पर रखी जाएगी।

हाथकरघा पर्षद् की बैठक

***१७५४. श्री आर० एम० लाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या करघा **पर्षद की कोई** बैठक हुई है ?

(ख) यदि ऐसा है तो इन ने जुलाहों को बेकारी से बचाने के लिए क्या पग उठाए हैं ?

(ग) क्या इन जुलाहों को सहायता के लिए कोई सस्ता धागा उपलब्ध करने के लिए पग उठाया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). करघा उद्योग के विकास तथा सहायता के लिए राज्य सरकारों ने योजनाएं बनाई और सूत्र-बद्ध की हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, करघा पर्षद द्वारा ऐसी सब योजनाओं को परीक्षण के पश्चात् अनुदान देगी। इन योजनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है।

इस बीच में एक केन्द्रीय अधिदेश राज्य सरकारों की सहायता के लिए, और निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात विक्रय संघ अखिल भारतीय करघा संघ ने स्थापित किए है।

नीलोखेड़ी कार्य-केन्द्र

***१७५५. डा० सत्यवादी** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(ख) सरकार ने नीलोखेड़ी की विभिन्न संस्थाओं पर कुल कितना व्यय किया है ;

(ख) इन संस्थाओं से कुल कितनी आय हुई है;

(ग) क्या यह सत्य है कि नीलो-खेड़ी कार्य-केन्द्र नुकसान में चल रहा है;

(घ) यदि हां तो प्रत्येक वर्ष कितना नुकसान होता है तथा उसके क्या कारण हैं; तथा

(ङ) नीलोखेड़ी की विभिन्न संस्थाओं के बन्द कर देने से कितना नुकसान उठाना पड़ा है और उनके बन्द करने के कारण क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ३१-३-५३ तक लगभग एक करोड़ रुपए।

(ख) ९.५ लाख रुपये।

(ग) नीलोखेड़ी में कोई कार्य-केन्द्र नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) चर्मशोधनालय पर २६,००० रुपए, जो कच्चा चमड़ा प्राप्त करने में कठिनाई के कारण और उस विशेषज्ञ की अकस्मिक मृत्यु के कारण बन्द कर दिया गया था जिस ने इस की योजना बनी थी।

डा० सत्यवादी : क्या यह मालूम करने की कोशिश की गई है कि इस में प्लानिंग इब्तदायी गलती थी जिस से यह स्कीम फेल हो रही है

श्री हाथी : योजना में कोई त्रुटि नहीं।

डा० सत्यवादी : क्या आपको मालूम है कि वहां की आबादी दिन ब दिन कम होती चली जा रही है ?

श्री हाथी : सब तो नहीं चली जा रही है।

श्री केलप्पन : मैं जान सकता हूं कि कच्चा चमड़ा प्राप्त करने में क्या कठिनाई थी ?

श्री हाथी : कठिनाई यह थी कि आरम्भ में चमड़ा, मांगों के कारण विभिन्न स्थानों से आयात किया जाता था।

श्री बर्मन : मैं जान सकता हूं कि इस चर्मशोधनालय में कितनी पूंजी नष्ट हुई और अब प्रतिष्ठापनाओं को किस उपयोग में लाया जा रहा है?

श्री हाथी : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये। आय ९.५ लाख रुपए है।

श्री जसानी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह कुल आय है अथवा यह शुद्ध आय है?

श्री हाथी : शुद्ध आय।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या सरकार ने इस के उत्पादन के विक्रय के सम्बंध में कोई पग उठाए हैं?

श्री हाथी : ये, सब सहकारी उद्योग हैं क्योंकि इन्हें अराजकीय व्यक्ति सहयोगी आधार पर चलाते हैं, और उत्पादन के विक्रय के लिए पग उठाए जा रहे हैं।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या उत्पादन के विक्रय के सम्बंध में सरकार को कुछ नहीं करना है?

श्री हाथी : मैं ने बताया है कि इस की बिक्री के लिए पग उठाए जा रहे हैं।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या नीलोखेड़ी में बनाई गई वस्तुओं की बिक्री के लिए पंजाब के विभिन्न स्थानों और अन्य कहीं विक्रय आगार खोले गए हैं? क्या उनके अच्छे ग्राहक हैं?

श्री हाथी : मेरे पास कोई सूचना नहीं।

श्री गिडवानी : संस्था के पास अब कितने प्रशिक्षणार्थी रह गए हैं और मूल संख्या क्या थी?

श्री हाथी : कौन सी संस्था? वहां कई संस्थाएं हैं।

श्री गिडवानी : इन सब संस्थाओं में।

श्री हाथी : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या चर्मशोधनालय की योजना बनाते समय कच्ची सामग्री के साधन अर्थात चमड़े का आरम्भ में ध्यान नहीं रखा गया?

श्री हाथी : इस का ध्यान रखा गया था?

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि शुरू में कितने फैमिलोज़ बसाए गए और अब कितने रह गए हैं?

श्री हाथी : इस समय कुल जन संख्या लगभग ७००० है।

रेलवे कोयला खानों के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय वेतन आयोग का पंचाट

*१७५६. **श्री पी० सी० बोस :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कोयले की खानों के कर्मचारियों की श्रेणियों के नाम क्या हैं जिन पर केन्द्रीय वेतन आयोग का पंचाट लागू किया गया है;

(ख) उन कार्यकर्ताओं की श्रेणियां क्या हैं जिन पर पंचाट अभी लागू नहीं किया गया; तथा

(ग) पंचाट लागू करने में देरी का क्या कारण है?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) से (ग) तक। अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा है [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध सं० ५३]

(घ) जब कार्यकर्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में अर्थात प्रवीण और अर्द्ध-प्रवीण इत्यादि विभिन्न श्रेणियों में प्रथमतः बांटा गया उस के पश्चात यह निर्णय किया गया था कि वर्गीकरण को 'रेलवे कार्यकर्ताओं' के अधिकरण पंचाट का अनुसरण करना चाहिये। कार्यकर्ताओं की बहुसंख्य श्रेणियों का पुनः वर्गीकरण जिस में रेलवे की कोयले की खानों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की प्रत्येक श्रेणी का उन के वर्तमान कर्तव्यों और वेतन का ध्यान रखते हुए रेलवे के तत्स्थानी कार्यकर्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के साथ तुलना सन्निहित थी उस में बहुत श्रम और समय लगा। मैं यह भी कह दूं कि इस विषय का शीघ्र अन्तिम निर्णय करने के लिए प्रत्येक पग उठाया जा रहा है।

श्री पी० सी० बोस : मैं जान सकता हूं कि क्या ये कार्यपरिणतियां अनुदर्शी होंगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरे विचार में ऐसा ही है। पहले मामलों में जहां आदेश बाद में दिए गए, यह कहा गया था कि उनका अगस्त १९४९ से अनुदर्शी प्रभाव होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न स० १७३५।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं यह प्रश्न कर सकती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

इमली का गूदा (निर्यात)

***१७३५. श्री पी० टी० चाको** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इमली का गूदा भारत से निर्यात किया जाता है ?

(ख) यदि ऐसा है तो १९५२ में कितनी राशि निर्यात की गई और निर्यात किन देशों को किया गया?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमकर) : (क) तथा (ख) सरकारी आकड़ों में अम्लिका मज्जक के निर्यात के आंकड़े पृथकतया अभिलिखित नहीं होते और इस लिए यह कहना संभव नहीं कि अम्लिका मज्जक के रुप में भी निर्यात किया जाता है। अप्रैल १९५२ से व्यापारी आकड़ों में अम्लिका पृथकतया निर्दिष्ट था और अप्रैल से दिसम्बर १९५२ तक की कालावधि में विभिन्न देशों को इस की निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट १० अनुबन्ध संख्या ५४]** मै देखता हूं कुल निर्यात की गई राशि ५,०१६ टन थी और मूल्य १९,१६,०२१ रुपये था।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि अम्लिका मज्जक जो निर्यात किया जाता है उन देशों में कैसे प्रयोग किया जाता है ?

श्री करमरकर : उसी उपयोग के लिए जिस के लिए यहां।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं यह प्रश्न कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्यों को पुकारने के पश्चात मैं फिर इस पर आऊंगा। संभवतः वे आपत्ति करें। जी हां . . . . . श्री टामस।

ट्रावनकोर-कोचीन में औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना

***१७३६. श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ट्रावनकोर-कोचीन सरकार ने संघ सरकार को उद्योग गृह-व्यवस्था योजना के अधीन

रचना कार्य के लिए योजना अथवा योजनाओं का विस्तृत विवरण भेजा है और यदि ऐसा है तो राज्य के किन क्षेत्रों से उस का सम्बंध है ?

(ख) राज्य सरकार की योजना का कुल व्यय कितना है और कितनी राशि, यदि कोई हो, संघ सरकार राज्य सरकार को ऋण अथवा अनुदान देने का विचार रखती है?

(ग) राज्यों में ऐसे रचना कार्यों की यथेष्टता का निधारण करने के लिए और उनकी कार्यपरिणति के लिए संघ सरकार के पास कौन सी प्रणाली है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) जी हां ट्रावनकोर-कोचीन सरकार राज्य के ग्यारह नगरों में अर्थात त्रिवेंड्रम, क्विलन, चावरा, एलैप्पी, एरनाकुलम, अलवाई, त्रिचुर, कुराटी, पेरमबाबुर, कौटाईन (पालम) और कुन्दरा में ९२५ गृह बनाने का विचार रखती है। इन नगरों में गृहों के ठीक विभाजन का निर्णय अभी राज्य सरकार ने करना है।

(ख) गृहों की रचना के लिए २५ लाख रुपए की राशि मांगी गई है जो ऋण और सहायक धन में समान रूप से विभाजित है। आर्थिक सहायता की उस धनराशि का निर्णय अभी नहीं हुआ, जिसकी स्वीकृति दी जायगी क्योंकि राज्य सरकार से अपेक्षित विस्तृत सूचना अभी नहीं मिली।

(ग) सरकार सैद्धान्ततः उस राज्य की उद्योग सम्बन्धी जनसंख्या का ध्यान रखती है जिस के लिए उपयुक्त गृह-व्यवस्था का प्रबन्ध अभी नहीं किया गया।

श्री ए० एम० टामस : मैं पूछ सकता हूं कि क्या ट्रावनकोर-कोचीन राज्य में से किसी उद्यौगिक व्यवसाय में औद्योगिक ऋण के लिए आवेदन पत्र दिया है ?

श्री बूरागोहिन : मुझे ट्रावनकोर-कोचीन राज्य के किसी ऐसे आवेदन पत्र का पता नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : पहला प्रश्न महत्वपूर्ण दिखाई देता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं और किसी प्रश्न की अनुज्ञा नहीं दूंगा।

श्री नानादास : श्रीमान् क्या मैं प्रश्न सं० १७३९ रखूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं मैं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा रखे गए प्रश्न, जो अनुपस्थित हैं, पूछने की माननीय सदस्यों को अनुज्ञा उन से सम्प्रमाण प्राप्त किए बिना नहीं दे सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिजली की सज्जा की फैक्ट्री

*१७३३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बिजली की सज्जा को बनाने के लिए फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव कार्यान्वित हो चुका है ?

(ख) यदि हां, किस स्थान पर, और उस उद्योग पर कुल कितना धन लगने की संभावना है ?

(ग) क्या किसी फर्म के साथ बातचीत की जा चुकी है, यदि ऐसा है, तो किसके साथ ?

(घ) कौन सी प्रोजैक्ट रिपोर्ट सर्वोत्तम समझी गई है और क्यों ?

(ङ) क्या बिजली की सज्जा को बनाने की कला में सिद्धहस्त देश में विद्यमान हैं अथवा उन्हें दूसरे देशों से मंगवाया जाना पड़ेगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) प्रस्ताव परीक्षणाधीन है ।

(ख) इस स्थिति में खड़ा ही नहीं होता ।

(ग) तीन फर्मों द्वारा प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी जिनके नाम हैं, यूनाइटिड किंगडम की असौशियेटिड इलैक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज़, अमरीका की इन्टरनैशनल जनरल इलैक्ट्रिकल कम्पनी, तथा अमरीका की वैस्टिंगहाउस इन्टरनैशनल इलैक्ट्रिक कम्पनी १९४९ में ।

(घ) आर्थिक कमी के कारण किसी भी प्रौजेक्ट रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का निर्णय नहीं किया गया था ।

(ङ) प्रारम्भिक अवस्था में कुछ शिल्पी-सिद्धहस्त बाहर से प्राप्त करने पड़ेंगे ऐसा आवश्यक दिखाई पड़ता है ।

टायरों की कीमत

***१७३८. श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० नवम्बर १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न नं० १२६ के उत्तर की ओर ध्यान देते हुए बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) परियात-आयोग की भारत में बनी टायरों का मूल्य निश्चित करने सम्बन्धी क्या निर्देश्य शर्तें हैं ?

(ख) सरकार किस तिथि तक परियात-आयोग की रिपोर्ट की आशा करती है ?

(ग) क्या सरकार कोई अन्तरिम कार्यवाही करने का विचार रखती है यह देखने के लिए कि भारत में बनी टायरों की कीमतें इंगलैंड में बनी टायरों के बराबर साइज की रिटेल कीमतों से तो कम से कम नहीं बढ़तीं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान सरकारी संकल्प नं० ३-टी (३)/५२, तिथि ३० अक्तूबर १९५२, दिलाया जाता है, जिसकी प्रति पार्लियामैंट पुस्तकालय में मिल सकती है ।

(ख) अगस्त १९५३ ।

(ग) सरकार जांच पड़ताल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने का विचार रखती है ।

सिगरेट बनाना

***१७३९. श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१ तथा १९५२ में भारत म बनी सिगरेटों की कुल क़ीमत ?

(ख) दूसरे देशों से भारत में आयात सिगरटों की कुल क़ीमत, और प्रत्येक बांहर के देश से मंगवायी मात्रा ?

(ग) भारत की सिगरेट बनाने वाले उद्योग में विदेश के धन का भाग ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सदन-पटल पर दो विवरण रखे हुए हैं। [देखो परिशिष्ट १०, अनुबन्ध नं० ५५]

(ग) इस विषय में सरकार बिल्कुल ठीक जानकारी देने में असमर्थ है। जो अवस्था १९४८ में थी, वह भारत में विदेशी आस्तियों के विषय में रिज़र्व बैंक प्रकाशन में प्राप्त हो सकता है ।

कोसी नदी सम्बन्धी बानगी के प्रयोग

***१७४३. श्री एस० एन० दास :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या कोसी की चाल को सब पहलुओं से जानने के लिए बानगी प्रयोग किये जा रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के प्रयोग किये जा रहे हैं ?

(ग) किस समय तक ये प्रयोग पूरे होने वाले हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

जूमिया खेती

*१७५३. **श्री दशरथ देव : क्या योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा में ऐसी जातियों की कुल जन संख्या, जो बदलने वाले धन्धों पर निर्वाह करते हैं, अर्थात जूमिया धन्धे ;

(ख) क्या पंच वर्षीय योजना में ऐसी कोई योजना है कि इन आदिम जातियों को कृषि के व्यवस्थापित रूप को अपनाने वाला बनाया जाये ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) त्रिपुरा में लगभग २०,००० लोग जूमिया धन्धों पर निर्वाह करते हैं ।

(ख) योजना में इन आदिम जातियों को कृषि के व्यवस्थित रूप को अपनाने की प्रशिक्षण देने के लिए २०,००० रुपये का उपबन्ध किया गया है । इस रक़म के अतिरिक्त मुख्य-आयुक्त ने १९५२-५३ में जूमिया लोगों को हल की खेती पर लगाने के लिए २०,००० रुपये खर्च किये । इस योजना को चालू रखने के लिए १९५३-५४ में ३०,००० रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली का सम्भरण

*१७५७. **श्री एन० बी० चौधरी : सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या दामोदर वैली कारपोरेशन द्वारा व्यापारिक उपयोग के लिए बिजली सपलाई करने के लिए कोई याचिका की गई है ?

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनी बिहार से और कितनी पश्चिमी बंगाल से ?

(ग) इस के लिए किस प्रकार के उद्योगों ने प्रार्थना की है ?

(घ) पश्चिमी बंगाल में पटसन मिलों द्वारा कितनी बिजली खर्च होने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) बिहार से सात और पश्चिमी बंगाल से नौ ।

(ग) १. बिजली बांटने वाले लाइसेंस वाले
२. कोयले की खानें
३. लोहे तथा इस्पात के उद्योग
४. तांबा की खानें और कार्य
५. लोको मोटिव बनाने के कारखाने
६. अलूमीनियम उद्योग
७. सीरैमिक और फायरकलें
८. टैलीफून केबल बनाना
९. सीमिन्ट बनाने के कारखाने
१०. रसायन उद्योग

११. सूत के कारखाने

१२. अबरक की खानें और अबरक के कारखाने

१३. रेलवे में बिजली लगाना।

(घ) ज्ञात नहीं है।

उद्योगों के लिए विकास परिषद

***१७५८. डा० अमीन: वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे:

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन अब तक बनाई गई विकास परिषदों में से प्रत्येक के प्रत्येक सदस्य का नाम, योग्यता तथा अनुभव?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): माननीय सदस्य का ध्यान अधिसूचना नं: एस० आर० ओ० ४५४ और ४५५, तिथि ४ मार्च १९५३ की ओर दिलाया जाता है जिनकी प्रतियां सदन पटल पर रखी हैं [**देखो परिशिष्ट १०, अनुबन्ध नं० ५६**]

सुपारी आयात

१२८०. **श्री एन० बी० चौधरी**: (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१, और १९५१-५२ में भारत में किस मात्रा में सुपारी का आयात हुआ?

(ख) इन वर्षों में किन किन देशों से आयात हुआ?

(ग) लभ्य रिपोर्ट के अनुसार इन देशों में इस समय इस वस्तु की क्या कीमतें हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). सदन पर विवरण रखा हुआ है। [**देखो परिशिष्ट १०, अनुबन्ध सं० ५७**]

(ग) सिंगापुर के अतिरिक्त और कहीं की जानकारी प्राप्त नहीं है। फरवरी १९५३ में सिंगापुर में सुपारी की इकट्ठी बेचने की कीमत ३७-७-० प्रति हण्डरवेट बुकित बटु सपलिट वेरायटी की थी।

विकास-केन्द्रों में हाथियों का प्रयोग

१२८१. श्री गणपति राम: (क) **योजना** मंत्री बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या प्रोजैक्ट बनाने के लिए कहीं पर विकास केन्द्रों में हाथियों से काम लिया जाता है?

(ख) यदि ऐसा है, तो कितनी संख्या में, और कौन से प्रौजेक्ट पर?

(ग) क्या भारत सरकार के उत्पादन उद्देश्य के लिए देश में बड़ी संख्या में हाथियों का प्रयोग करने का विचार करती है?

(घ) एक हाथी द्वारा कितने आदमियों का काम किया जा सकता है?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख). भारत सरकार के पास प्राप्त जानकारो के अनुसार हाथी समयानुसार आसाम में बन्दों पर अर्थ वर्क के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं, कोचीन में जंगलों से लकड़ी खैंचने के लिए, उत्तर प्रदेश में जंगली क्षेत्रों में हल चलाने और हेंगा फेरने के लिये। १९५२-५३ में आसाम में पी० डब्ल्यू० डो० द्वारा २० हाथी काम में लगाये गये थे।

(ग) इस प्रकार के कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं हैं।

(घ) आसाम सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक सड़क या बन्द को लम्बाई पर अर्थवर्क करने के लिए २० से ३० आदमियों की आवश्यकता होती है, जिसे एक हाथी रोंदने के द्वारा इकट्ठे कर सकता है।

व्यापार-आयुक्त

१२८२. **श्री नानादास** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि व्यापार-आयुक्त, सहायक-व्यापार आयुक्त, सचिव, विभाग अधिकारी, सहायक और क्लर्क की प्रत्येक श्रेणी में नियुक्त भारतीयों की संख्या कितनी है ;

(ख) उन में से प्रत्येक श्रेणी में कितने अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध रखतें हैं ;

(ग) सरकार ने अनुसूचित जातियों और वर्गों के लिए रखी जगहों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) (१) घोषित

सब ग्रेडों के व्यापार प्रतिनिधि	२३
विभाग अधिकारी	६

(२) अघोषित

सुपरिण्टेंडेंट सहायक-अविधायक	१५
सहायक	३९
स्टैनोग्राफर	२३
क्लार्क और टाइपिस्ट	१८

(ख) कोई नहीं।

(ग) भारतीय व्यापार-प्रतिनिधियों के पद भारतीय-विदेश-सेवा की श्रेणी में रखे हुए हैं, और भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षिति के सम्बन्ध में दिये गये आदेश भारतीय विदेश सेवा की भरती के मामले में भी लागू होते हैं। विभाग अधिकारी, सहायक, स्टैनोग्राफर और दूसरी अनुसचिवीय पदों के सम्बन्ध में यह है कि ये केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में से लिये जाते हैं। और जो अनुसूचित जातियों और वर्गों के व्यक्ति उस सेवा में लिये गये हैं वे बाहर की नियुक्ति के लिए अर्हय हैं।

पटसन का निर्यात

१२८३. **श्री राजगोपाल राव** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्च १९५१, ५२ और ५३ में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों में उत्तरी रेलवे पर वाल्टियर के रेलवे जिले अथवा वजीगापटम और श्री काकूलम के राजस्व जिलों से कुल कितने मन पटसन बाहर भेजा गया ?

(ख) वर्ष १९५१-५२ और १९५२-५३ में आन्ध्र की कलिंगापटम; वजीगापटम और बामली की बन्दरगाहों से कुल कितने टन पटसन बाहर भजा गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है, और प्राप्त होने पर सदन-पटल पर रखी जाएगी।

(ख) शून्य।

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
३० अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

वृहस्पतिवार, ३० अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

८-५० पू० म०

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे डा० सत्य-नारायण राय से एक पत्र मिला है कि "मेरा स्वास्थ्य सहसा बिगड़ जाने के कारण मेरे डाक्टरों ने परामर्श दिया है कि मैं अभी दिल्ली न आऊं। मुझे कृपया वर्तमान सत्र के अंत तक अवकाश प्रदान किया जाए।" १९ मार्च १९५३ की बैठक में उन को अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक का अवकाश दिया गया था। क्या सदन डा० सत्य नारायण राय को वर्तमान सत्र भर अनुपस्थिति रहने की अनुमति देता है ?

अनुमति प्रदान की गई।

समिति का निर्वाचन

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति के लिए निम्न सदस्य नियुक्त किये गए हैं :

१. श्री कोठा रघुरामय्या।

२. श्री रामेश्वर साहू।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली राज्य बिजली-बोर्ड का आयव्ययक विवरण

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : मैं बिजली (रसद) अधिनियम, १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (३) के अधीन दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड के १९५३-५४ के प्राक्कलित पूंजी तथा राजस्व आय तथा व्यय के विवरण की एक प्रति सदन पटल पर रखना चाहता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एस-३९/३५**]

वायु निगम विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री सी० डी० पांडे (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली—उत्तर) : सभापति की अनुपस्थिति में मैं वायु-निगमों का संस्थापन करने, वायु-निगमों द्वारा कुछ विद्यमान हवाई कंपनियों के उपक्रमों के अधिग्रहण में उन को सहायता देने तथा वायु-यातायात-सेवाओं के संचालन में साधारणतः और अधिक सुधार करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर बैठाई गई प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ (शक्ति-प्रत्यायोजन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा० काटजू के २९ अप्रैल, १९५३ वाले प्रस्ताव पर आगे चर्चा चलेगी ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : कल मैं कह रहा था कि ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया कि यह विधेयक इतना महत्वपूर्ण क्यों है और नई विधान सभा बनने तक इसे क्यों नहीं रोका जा सकता । पता नहीं कि नए चुनावों में कितना समय लगेगा और यदि विधान इस सदन द्वारा पारित होने वाला अंतिम विधान होगा या नहीं । यह बता दिए जाने पर सदन यह निश्चित कर सकता था कि इसे पारित करना उचित है या नहीं और सदन के पास समय है या नहीं । मैं ने यह भी बताया था कि विधान बन जाने पर खंड (३) का उपखंड (३) भी कुछ काम न आ सकेगा और जैसा पंजाब के विषय में हुआ था, एक स्थापित बात संसद् के समक्ष रख दिए जाने पर सदस्यगण संशोधन रखने में हिचकिचायेंगे ।

अब राष्ट्रपति की विधायिनी शक्ति को लें, सो कार्यपालिका—गृह या राज्य मंत्री या सचिव—के परामर्श पर ही वह कार्य करेंगे और जनता के प्रतिनिधियों को कोई अवसर न मिल सकेगा । फिर यह एक बुरा पूर्वनिदर्शन या अभिसमय चल जाएगा । पंजाब में यह पहले ही हो चुका है और अब भावी संकट के अवसरों पर दो पूर्वनिदर्शन बन जाएंगे । अतः भविष्य की ओर ध्यान रखते हुए संसद् राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान न करे । प्रतिनिधियों को संसद् में केवल विवाद करने या संशोधन रखने के ही लिए यह अवसर प्रदान नहीं किया जाता बल्कि वे देश को शिक्षित भी बनाते हैं, और पूरा देश यहां होने वाली चर्चाओं पर ध्यान देता है । अन्यथा विधि का अज्ञान एक बहाना मान लिया जाना चाहिए और उसे दोषी नहीं मानना चाहिए । अतः जनता को शिक्षित बनाने वाले इस उपाय का अपहरण करने वाली यह शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान न की जाए ।

यहां पर उद्घोषणा पर चर्चा होते समय गृहमंत्री ने आश्वासन दिया था कि परिसीमन-आयोग का कार्य समाप्त होते ही साधारण चुनाव होगा, और सरकार को मुख्य चिंता केवल न्याय तथा व्यवस्था बनाए रखने की है । इस संकट-काल में राष्ट्रपति ने शक्ति ग्रहण की थी, पर परिसीमन-आयोग के काम ने लोगों को आशंकित कर दिया है । आयोग ने पैप्सू में कार्यारम्भ न कर के सुदूर दक्षिण में बम्बई में कार्यारम्भ किया है और शायद इस वर्ष के अन्त तक वहां काम पूरा होगा । भले ही वह दो महीने पहले पूरा हो जाए, पर सरकार ने छः महीने में साधारण चुनाव होने का आश्वासन दिया था और अब मालूम पड़ता है कि बहुत देर लगेगी । फिर पिछली सरकार ने भी इसी वर्ष के आरम्भ में मतदाता सूचियां बनवाई थीं और उन का पुनरीक्षण करवाया था, फिर यदि दुहरे व्यय नहीं करने हैं तो उसे फिर करने की क्या आवश्यकता है ?

अतः यदि सरकार अपने वचन का और अपने द्वारा दिए गए आश्वासनों का पालन करना चाहती है, तो छः महीने या उस से कम में साधारण चुनाव हो जाने चाहिएं, अन्यथा लोगों को निश्चय हो जाएगा कि सरकार के मन में कुछ और बात है ।

इस विधान का विरोध करते हुए अंत में मुझे यही कहना है कि इस की ऐसी कोई जल्दी नहीं है । सरकार ने आश्वासन दिया था कि सुरक्षा, दृढ़ता और विशुद्ध प्रशासन के

हित से ही ऐसा किया गया है, पर अब परामर्शदाता ऐसे विधानों की मांग कर रहे हैं, जो उन्हीं हितों के विघातक सिद्ध होंगे। अतः संसद् के पास ऐसे विधान के लिए समय नहीं है।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : माननीय सदस्य ने ठीक ही पूछा है कि यदि सरकार बता दे कि उसे कितने विधेयक पारित करने हैं, तो चर्चा कुछ वास्तविक रूप ग्रहण कर सकेगी।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): हमारे हाथ में प्रवर्तित करने के लिए कुछ प्रारूप विधेयक हैं और भावी विधानों के लिए हम खाली नहीं बैठे रह सकते। यह नहीं कहा जा सकता कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं है। हाथ में निम्न विधेयक है :

१. पैप्सू आला मिल्कियात अधिकार विधेयक

२. पैप्सू दखीलकार काश्तकार (स्वामित्व अधिकार प्रदान) विधेयक

३. पैप्सू काश्तकारी तथा कृषि सम्बन्धी भूमि विधेयक

४. नाटकीय प्रदर्शन विधेयक, तथा

५. पुलिस (अपराग के लिए उत्तेजन) विधेयक।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : इन विधेयकों का प्रारूप पीछे से तैयार किया गया है, या ये पुराने विधानमंडल में चल रहे थे ?

डा० काटजू : प्रारूप कई महीनों से हाथ में था।

श्री के० के० बसु : क्या वे विधान मंडल का निवर्तन करते समय तक पुरःस्थापित हो चुके थे ?

सरदार हुक्म सिंह : वे पुरःस्थापित हो चुके थे और प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार के पास आ गई थी और दो दिन से योजना आयोग के साथ चर्चा चल रही थी, तभी विधानमंडल का निवर्तन कर दिया गया।

डा० काटजू : वह सरदार हुक्मसिंह द्वारा चाही गई अतिरिक्त मंजूरी से संबंधित एक बात है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल में जो चन्द एक दफ़ात (धाराएं) हैं, तक़रीबन, उन्हीं बिलों के समान हैं जो पहले पंजाब के मुताल्लिक बनाये गये थे। उस वक्त भी जब कि पंजाब का बिल इस हाउस में आया तो इस हाउस ने पार्लियामेंट के यह डेलीगेशन आफ़ पावर्स के हकूक, प्रेसीडेंट साहब को दे दिये जायं, यानी किसी एक शख़्श को दिये जायं, इस की बड़ी सख़्त मुख़ालफ़त की थी और उस वक्त के होम मिनिस्टर के अल्फ़ाज़ में, मेरे अल्फ़ाज़ में नहीं, मैंने उस बारे में एक बहुत बड़ी और लम्बी चौड़ी तक़रीर की थी, मैं उस तक़रीर को आज यहां पर दुहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरी एप्रोच इस सवाल की तरफ़ बिल्कुल वही है जो उस वक्त थी जब कि पंजाब का मामला इस हाउस के सामने पेश आया।

जनाबवाला, दफ़ा ३५६, जिसकी रू से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकार) के लेजिस्लेचर (विधान मण्डल) को और वहां की एक्ज़ीक्यूटिव एथारिटी (कार्यपालिका) को सुपरसीड किया जाता है, यह एक निहायत ही ड्रैसटिक (कठोर) चीज़ है जिस को कोई शख़्श भी पसन्द नहीं करता और मैं जानता हूं कि इस को हमारी सेंटर्ल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) भी पसन्द नहीं करती। अभी मेरे लायक दोस्त सरदार हुक्म सिंह साहब ने कुछ ख़दशात (आशंकाएं) हाउस के सामने ज़ाहिर किये और कहा कि लोग तरह तरह के शुबहे करने लगे हैं कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

किसी खास गरज़ से इस अरसे को लम्बा करना चाहती है कि जिस के ज़रिए उन के ऐसे वसीह (व्यापक) अख़्तियारात पैप्सू पर बने रहें।

मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मुझे इस किस्म का कोई शुबहा नहीं है, और मैं नहीं जानता कि कोई गवर्नमेन्ट खुसूसन (विशेषतः) हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट, कभी इस किस्म का रवैया अख़्त्यार कर सकती है, या उस के दिल में कभी ऐसी बात आ सकती है कि एक ऐसी स्टेट पर, जैसी कि पैप्सू है, बेजा तौर पर अपना कब्ज़ा कायम रक्खे। वहां से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट कोई खिराज नहीं लेती, कोई किसी किस्म का माली फ़ायदा नहीं उठाती। इस लिये कोई वजह नहीं है कि मेरे लायक दोस्त खुद भी एक तरीके से अपना शुबहा जाहिर करें। आम तौर पर जब तक कि गवर्नमेन्ट बेजा तौर पर अपने अख़्त्यार नहीं बरतती, लोग चाहते हैं कि वे खुद अपने ऊपर हुकूमत करें। यह एक जायज़ चीज़ है और इसी जायज़ चीज़ को हासिल करन के वास्ते देश के अन्दर स्वराज्य हुआ है और सेल्फ गवर्नमेन्ट (स्वशासन) कायम हुई है। इसलिये जब सहीं या ग़लत वहां के लोग या आस पास के आदमी यह महसूस करते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की हुकूमत वहां जारी रहना एक ह्यूमिलिएशन (अपमान) है तो मैं भी उस का हिस्सेदार हूं। लेकिन ताहम में एक मिनट के वास्ते भी ख़याल नहीं कर सकता कि हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट, इस वजह से कि उस के अख़्त्यारात वहां बने रहें, इस को पसन्द करेगी कि उस की हुकूमत के अर्से को लम्बा कर दिया जाय। उन को सिवा सर-दर्दी के और कुछ मोल लेना नहीं है और उस के रास्ते में बीसों तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। जब इस हाउस के अन्दर हम को तमाम आल इंडिया लेजिस्लेशन (अखिल भारतीय विधानों का निर्माण) करने हैं, उस वक्त हमारे सामने यह सवाल आता है कि एक ऐसी चीज़ पर जिस पर कि आम तौर पर हमारा वक्त खर्च नहीं होना चाहिये था, हम वक्त खर्च कर रहे हैं।

साथ ही जब कि प्रोक्लेमेशन (उद्घोषणा) हो चुका, जब यह हाउस अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है, जब कि ज़ेरे दफ़ा ३५६ प्रोक्लेमेशन जारी हो चुका, आज कानून की दफा ३५६ की रू से इस हाउस का अख़्त्यार है कि पेप्सू के वास्ते कानून बनाये, जब वे ताकतें जो स्टेट लेजिस्लेचर को थीं दफा ३५६ की रू से इस हाउस के अन्दर आ गई हैं तो इस हाउस को यह देखना है कि वह उन फरायज़ को किस तरह से अदा करे जो उस के जिम्मे दफ़ा ३५६ के मातहत आयद हो गये हैं। जनाब, दफ़ा ३५६ के अल्फ़ाज़ इस तौर पर हैं, मैं सिर्फ वह हिस्सा पढ़ंगा जो इस हाउस के मुताल्लिक है :

"राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान मण्डल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी।"

इस के माने यह हैं कि आज जब तक यह बिल पास न हो, यह ताकत सिर्फ इस हाउस के अन्दर है, सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि इस हाउस की जिम्मेदारी है कि वहां के कुल क्वानीन वह खुद बनावे। इस अनुच्छेद के साथ ही एक और ज़िमनी अनुच्छेद है जो दफ़ा ३५७ है जिस के अन्दर हाउस को अख़्त्यार है कि अगर यह पार्लियामेन्ट चाहे तो अपने अख़्त्यारात प्रेजि-डेन्ट साहब को दे दे या खुद रख ले या किसी को, अगर ज़रूरत हो तो, देंदें जो इन अख़्त्यारात को पूरी तौर से यहां पर बरते। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं, और उस वक्त भी मैं ने हाउस के सामने अर्ज़ करने की

कोशिश की थी जब कि पंजाब का बिल पेश था कि यह एक ऐबनार्मल (असाधारण) चीज़ है कि अपने अख्त्यारात को किसी और बाडी (निकाय) को दे दिया जाय । नार्मल चीज़ तो यह है कि हाउस जिस ने ज़िम्मेदारी ली है वह अपने अख्त्यारात खुद बरते । अगर हाउस के पास वक्त नहीं है तो उस ने पहले क्यों नहीं सोचा कि किसी स्टेट के अख्त्यार अपने जिम्मे लेना मुनासिब है या नहीं ? जब अख्त्यार लिये हैं तो एक रुटीन के तौर पर हम को हर्गिज अपने अख्त्यारात, चाहे प्रेजिडेन्ट साहब हों या गवर्नर साहब हों, किसी को नहीं देना चाहिये । और हमें अपने आप अपनी जिम्मेदारी और फरायज़ को अदा करना चाहिये । चुनांचे मैं ने उस मौके पर आखीर में थर्ड रीडिंग के वक्त हाउस की खिदमत में यह अर्ज़ किया था :

"इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन इस बात पर विचार करे और मैं अपनी यह निजी राय बताना चाहता हूं कि यदि भविष्य में ऐसी आपातिक स्थिति उत्पन्न हो, तो हमें अनुच्छेद ३५७ का सहारा नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह एक असाधारण बात है ।"

मैं अदब से अर्ज़ कहना चाहता हूं कि मैं लोथ (असहमत) हूं कि इस हाउस के अख्त्यारात किसी और अथारिटी (प्राधिकारी) को दिये जायें और हम अपने पूरे फरायज़ अदा न कर सकें । अभी डा० मुकर्जी के एक सवाल के जवाब में हमारे होम मिनिस्टर (गृह मंत्री) साहब ने एक लिस्ट (सूची) बताई है कि वह कितने बिल यहां ला कर पास करना चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि इस हाउस के अन्दर उन पर एक हफ्ते से ज्यादा न लगे । क्योंकि चन्द तो ऐसे कानून हैं जो पंजाब प्राविन्स के लिये बनाये जा चुके हैं, उन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा । लेकिन जो पुलिस इन्साइट-मेंट टु डिसअफेक्शन वाला बिल है उस का काउन्टर पार्ट (प्रतिरूप) हम पंजाब में तैयार कर चुके हैं और उसी जमाने में कर चुके हैं जब कि वहां पर कान्स्टिट्यूशन (संविधान) सस्पेन्डेड निलम्बित) था । उस में भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिये । लेकिन चूंकि यह हाउस हमेशा अपने फर्ज खूबी के साथ अदा करता है इस लिये मैं समझता हूं कि इस पर भी वह मुनासिब तौर पर अमल करेगा । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुनासिब तो यह होता कि हम अपने फ़रायज़ को खुद अदा करते ।

इस ज़िम्न में मुझे एक बात और अर्ज़ करनी है और मैं ने उस वक्त भी अर्ज़ किया था जब पंजाब का मामला पेश था कि पेश्तर इस के कि यह अख्त्यारात हम किसी दूसरी अथारिटी को दें हम को यह देखना है कि आया उस अथारिटी ने जिसको हम यह अख्त्यार देना चाहते हैं खुद पहले कैसे अमल किया ।

जनाब वाला, जेरे दफ़ा ३५५ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का यह फर्ज है कि यह देखे कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेन्ट कान्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं करती तो उस को डाइ-रेक्शन्स (निदेश) दे दे, उस की इमदाद कर दे क्यों कि जब गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी है कि हर एक स्टेट 'इन ऐकार्डेन्स विथ दि प्राविज़न्स आफ दि कान्स्टिट्यूशन, (संविधान के उपबन्धों के अनुसार) काम करे तो उस का हक है कि उस स्टेट से कांस्टीट्यूशन के अनुसार अमल करावे । इसी के साथ उस की जिम्मेदारी है कि देखे कि हर एक स्टेट में कान्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमल होता है या नहीं । मुझे वह दिन याद है जब मैं ने अखबारों में पढ़ा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब पेप्सू तशरीफ ले गये, एक गांव का मुआयना किया और वहां जा कर देखा कि वहां की एग्जि-क्यूटिव पावर (कार्यपालिका सत्ता) तकरीबन खत्म हो गई है । वहां के किसान लगान व

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

मालगाना नहीं अदा करते, वहां पर ला ऐंड आर्डर (विधि तथा व्यवस्था) ऐसा नहीं था जिस को वह खुद पसन्द करते। लेकिन उस के बाद महीनों तक मैं ने नहीं देखा कि कभी गवर्नमेन्ट ने ज़रा तिनका भी हिलाया हो कि उन हालात को बन्द कर दिया जाय। मैं जानता हूं, और इस हाउस में भी शिकायत की गई थी कि हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने वहां पर जब्रिया ला ऐंड आर्डर कायम किया है। यह भी मैं जानता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट किसी दूसरी स्टेट के अख्त्यारों को लेना पसन्द नहीं करती और उस को मौका देती है कि वह किसी तरह अपने को रिफ़ार्म (सुधार) कर ले। लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इन चीज़ों का नतीजा यह होता है कि इस नरमी की वजह से खराब से खराब वाकयात रूनुमा हो जाते हैं। इस वास्ते मैं अर्ज़ करता हूं कि पेप्सू के बारे में ला ऐंड आर्डर की शिकायत आज की नहीं, मैं बहुत अर्से से सुनता आया हूं। मैं तो ऐसे इलाके का रहने वाला हूं जिस की हद्दें पेप्सू से मिली हैं और हमारे ताल्लुकात भी पेप्सू के साथ बहुत हैं, जब कभी वहां ला ऐंड आर्डर की हालत खराब होती है फौरन मुझे खबर मिलती है, इत्तला आती है। मैं वह वाकयात नहीं बतलाना चाहता जो जाती तौर पर मैं जानता हूं और जो मेरे साथ अमल में आये और जिन की रू से मेरे दिल में कोई शुबहा नहीं है कि जहां तक पेप्सू के ला ऐंड आर्डर का सवाल है वह बिल्कुल ठीक नहीं है और आप की कोशिश ऐसी होनी चाहिये जिस से वह ठीक हो सकें। इसी में सब का फायदा है।

जब तक पैप्सू खुशहाल है हम पंजाब में बड़े अमन से हैं। हमारे साथी प्राविंस में अगर ज़रा भी खराबी हो उस का डाइरेक्ट (सीधा) असर हम लोगों पर भी पड़ता है। इस वास्ते मैं पैप्सू के वैलफेयर (कल्याण) में इतना ही इंटरेस्टेड हूं जितना कि अपने पंजाब के वैलफेयर में या अपने दूसरे नज़दीक के सूबों के वैलफेयर में।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस नुक्ते-ख्याल से मुझे शिकायत है कि जिस वक्त लोगों ने अपनी पार्टी बाजी की वजह से फ्लोर क्रास करना शुरू कर दिया था उस वक्त से पहले इस गवर्नमेंट की तवज्जह उन हालात की तरफ नहीं हुई, जो कि लोगों को तकलीफ दे रहे थे। बठिंडा में किडनेपिंग (अपहरण) के केसेज़ होते हैं, एक लड़के को पकड़ कर ले जाया जाता है, लेकिन उस की कोई सुनवाई नहीं होती है और वह रैनसम के बगैर नहीं छूटता है। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी डिमाक्रेसी (लोकतंत्र) ठीक हालत में कायम रहे तो उस को चाहिए कि जो हमारे बूढ़े मिनिस्टर साहिबान हैं उन को अपने फरायज़ से सुबुकदोश (मुक्त) कर दे, जिस के अंदर मैं नाम लूंगा मौलाना आज़ाद साहब का और डाक्टर काटजू साहब का। इन दोनों को अपनी मौजूदा ड्यूटीज़ से सुबुकदोश कर दिया जाय और इन को इस से बड़ी ड्यूटीज़ दी जायें। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और बड़े तजरुबाकार हैं। इन्हों ने दुनिया देखी है और लोगों की तबीयतों से वाकिफ़ हैं। इन दोनों को मिनिस्टर नहीं बल्कि सुपर मिनिस्टर बनाया जाय। इन को मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो (विभागहीन मंत्री) बनाया जाय और उन को यह काम दिया जाय कि हिन्दुस्तान की जितनी स्टेट्स हैं उन के ऊपर वाच रखें और देखें कि उन के अन्दर...

डाक्टर एन० बी० खरे (ग्वालियर) : उन को महात्मा बना दिया जाय।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं चाहता हूं कि हमारे डाक्टर खरे साहब को भी उसी श्रेणी में रखा जाय। वे भी हमारे पुराने बुजुर्ग हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे पुराने ज़माने में गवर्नमेंट के ऊपर सप्तऋषि हुआ करते थे जो जंगल में तपस्या करते थे लेकिन उन से ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) के मामले में राय ली जाती थी। डाक्टर खरे और बाद को डाक्टर मुखर्जी और सरदार हुकुम सिंह भी उसी जुमरे में शामिल हों। मैं मुख्तलिफ़ स्टेट्स में जाता हूं। मैं अभी राजस्थान से हो कर आया हूं। मुझे डर है कि कहीं कल आप को राजस्थान के साथ भी वही वाकया पेश न आये जो कि पंजाब और पैप्सू के साथ पेश आया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लोगों में दुश्मनियां हैं, इलाकों में दुश्मनियां हैं, स्टेट्स की बाउंडरीज़ (सीमाओं) के बारे में झगड़े हैं। पंजाब के अन्दर हिन्दी स्पीकिंग (हिन्दी-भाषी) और नान हिन्दी सपीकिंग (अहिन्दी-भाषी) का झगड़ा चला आता है, राजस्थान में जैपुर और जोधपुर का झगड़ा चला आता है, और मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह से और झगड़े हैं। अगर जरा रवादारी से काम लिया जाय तो हमारे ये बुजुर्ग इन झगड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। बजाय इस के कि वे यहां पर काम करें उन को वहां पर काम करना चाहिए। और इस काम के लिये कोई मुआवजे की ज़रूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि ये बतौर सन्यासी के काम करें और इस तरह से हमारे देश की सेवा करें। मुझे वह दिन याद है जब कि मैं ने यहां आसाम के मुताल्लिक कहा था। यहां पर बीस मिनिस्टर साहिबान के तशरीफ़ रखते हुए भी आसाम में कई लाख आदमी पाकिस्तान से हमारी जानकारी के बगैर घुस आये। और हमारे सामने एक समस्या पैदा हो गयी। इसी तरह से दूसरे प्राविंसेज में ऐसी सूरतें पैदा हो रही हैं और ऐसी मुश्किलात पेश आ रही हैं जिन का हल लोकली (स्थानीय रूप में) करना मुश्किल है। लेकिन अगर वहां पर कोई आल इंडिया स्टेट्समैन या हमारे मिनिस्टर साहिबान में से कोई बाइख्तियार हो कर जाय तो उन झगड़ों का फैसला करा सकता है। नहीं तो मुझे डर है कि ऐसी बहुत सी ताकतें मौजूद हैं और वे बढ़ती जा रही हैं जिन की रू से ऐसी खराबियां पैदा हो सकती हैं जिन का फिर मुकाबला करना मुश्किल होगा।

आप मुझे माफ करेंगे। मैं अपने मज़मून से ज़रा एक तरफ चला गया। तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि मैं इस बात का मुखालिफ़ हूं कि जो ताकत हम को ३५६ दफा के ज़रिये हासिल है वह हम किसी और को मुंतकिल (हस्तांतरित) करें और अगर हम मुंतकिल करें भी तो हम को चाहिए कि इस तरह से करें कि जिस देर का जिक्र अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फरमाया वह देर न हो। जब पंजाब का मामला यहां पर पेश था उस वक्त मैं ने चन्द एक तजवीज़ पेश की थीं और मैं उन को फिर दोहराना चाहता हूं। आखिर इस पार्लियामेंट का यह फर्ज़ है कि जहां तक पैप्सू के लिए कानून बनाने का सवाल है वह इस फर्ज को अदा करे। अगर हम चाहते हैं हम अपने इन फरायज़ को किसी दूसरे के सुपुर्द कर दें तो भी हम उस फर्ज़ से सुबुकदोश नहीं हो सकते जब तक कि जो कुछ किया जाय उस पर हम अपनी मुहर न लगा दें। संविधान ने एक ख़ास ज़िम्मेदारी इस हाउस को दी है और उस ज़िम्मेदारी को डिस्चार्ज (पूरा) करना इस हाउस का फ़र्ज हो जाता है। इस वास्ते मैं उस तजवीज़ को अर्ज़ करना चाहता हूं जो कि मैं ने पंजाब के मामले में पेश की थी। और वह यह है कि अगर आज वहां का लैजिस्लेचर सुपरसीड हो चुका है तो आज उस का काम सेंट्रल लैजिस्लेचर करे क्यों कि यहां भी उसी फ्रैंचाइज से मेम्बरान आये हैं

[पण्डित ठाकुर दास भार्गव]

और उसी इलाके से आये हैं और वहां के हालात को अच्छी तरह से जानते हैं। अपर हाउस (राज्य परिषद्) में भी ऐसे मेम्बरान मौजूद हैं। इस के लिए उस वक्त कहा गया था कि अगर सारा हाउस पैप्सू के बारे में क्रिटिसिज्म (आलोचना) करे तो यह ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत से ऐसे मेम्बरान हैं जिन को वहां के पूरे वाकयात मालूम नहीं हो सकते। यह किसी हद तक दुरुस्त है। गोकि बहुत से मेम्बर साहिबान के लिए मैं यह अर्ज़ कर सकता हूं कि वे बहुत वाइड अवेक (जागरूक) हैं और जब वह लोग सारे हिन्दुस्तान के लिए लैजिस्लेट कर (विधान बना) सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि वह पैप्सू के वास्ते न कर सकें। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को अगर मान भी लिया जाय तो भी मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट अपने फ़र्ज़ को पूरा तो नहीं लेकिन बड़ी हद तक अदा करेगी अगर पार्लियामेंट के उन मेम्बरान की, जो दोनों हाउसेज़ में उस इलाके से आये हैं, उन सारे के सारे कानूनों को बनाने में सलाह ले ली जाय जो कि पैप्सू के लिये बनाये जायें। मैं सलाह का लफ्ज़ जान बूझ कर इस्तेमाल करता हूं। मैं चाहता हूं कि उन की मर्जी से ऐसा किया जाय लेकिन मैं मर्ज़ी का लफ्ज़ नहीं रखना चाहता और उस की वजह साफ़ है। वह यह है कि जब प्रेसीडेंट साहब ने सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियारात ले लिये हैं तो बहुत से ऐसे वाकयात हो सकते हैं जो अरजेंट (आशुसम्पाध) हों और उस वक्त इन लोगों को बुलाना मुश्किल हो सकता है और उन से सलाह लेना नामुमकिन हो सकता है। इसलिये ऐसे ऐबनारमल (असाधारण) हालात में मैं यह अनाउंस करना चाहता हूं कि खुद प्रेसीडेंट साहब बगैर उन से मश्विरा किये हुए हुक्म जारी कर सकते हैं लेकिन नारमली (साधारणतः) उन अथारिटीज़ (प्राधिकारियों) से मिलकर और उन से सलाह कर के कानून पास होने चाहिएं, खुसूसन वह कानून, जो अपनी नोइयत से लोगों की लाइफ (जीवन) को टच (प्रभावित) करते हैं। वह कानून जो कि लेंड रिफार्म (भूमि सुधार) से ताल्लुक रखते हैं उन के मुताल्लिक प्रेसीडेंट (राष्ट्रपति) साहब को यह ज़िम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए कि वे अपनी ज़िम्मेवारी पर, सिर्फ आफिशियेल्डम (अफसरों) की जिम्मेवारी पर, ऐसे कानून को नाफ़िज़ कर दें। मैं जानता हूं कि जब एक बार एक कानून पेश हो जाता है और पास हो जाता है तो उस को तबदील कराना कितना मुश्किल हो जाता है। मुझे इस का तजुर्बा है। जब शुरू में पंजाब का मामला पेश हुआ तो हम को कहा गया कि गवर्नर को पूरे इख्तियारात दे दो। हम ने उस की सख्त मुखालिफत की और गवर्नमेंट ने बड़ी मेहरबानी कर के एक कम्प्रोमाइज़ साल्यूशन (मध्यमार्ग) पेश किया जिस से इस हाउस को भी हक रहा और प्रेसीडेंट साहब को भी हक रहा। लेकिन उस वक्त मैं ने देखा कि जो कानून एक दफ़ा प्रेसीडेंट साहब के नाम से पास हो गया फिर उस को माडीफाई (रूपभेद) करना निहायत मुश्किल हो गया। मुझे मालूम है कि हम ने कई कानूनों में माडीफिकेशन भी किया लेकिन होम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से किया। जहां उन की मेहरबानी नहीं हुई वहां पर हम फेल (असफल) हो गये। क्योंकि जब एक कानून पास हो जाता है तो उस के माडीफिकेशन का बरडन आफ प्रूफ (सिद्ध करने का भार) उन लोगों पर हो जाता है जो उस के बखिलाफ कहना चाहते हैं। जब कानून हाउस में पेश होता है वह ठीक वक्त होता है कि जब आदमी अपने असर से उस में कोई तबदीली करा सकता है। चुनांचे जब पंजाब के मुताल्लिक कानून पास हुआ उस के बारे में मुझे याद है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बड़ी मेहरबानी से यह तरमीम मानी कि

जब यह कानून वापस जायगा उस पर यह नहीं कहा जायगा कि इस पर प्रेसीडेंट की मुहर है या यह कि हमारे लायक होम मिनिस्टर ने एसा हुक्म सादिर कर दिया है तो उस को सक्टिटी (पवित्रता) दी जाय । यह उन की मेहरबानी थी । लेकिन मैं ने यह महसूस किया कि हाउस में जो कानून एक दफ़ा पास हो जाता है उस का, चाहे हम कितना ही अच्छा आवजैक्ट (उद्देश्य) रखें, तबदील कराना मुश्किल होता है । इस वास्ते मैं हाउस की खिदमत में अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि पेश्तर इस के कि कोई कानून नाफिज़ हो इस पार्लियामेंट को अपना फ़र्ज़ इस तरह अदा करना चाहिए कि कम से कम उन साहिबान की एक कमेटी से जो पैप्सू के नुमायन्दे हैं दोनों हाउसेज़ में, प्रेसीडेंट साहब सलाह कर लें और उस के बाद उस कानून को नाफिज़ करें । मैं जानता हूं कि सलाह बाइंडिंग (बाध्यकारी) नहीं होती लेकिन तो भी उस का असर होता है । पिछली दफ़ा भी जब पुराने होम मिनिस्टर साहब ने पंजाब के मुताल्लिक कानून नाफ़िज़ करना चाहा तो हम बहुत से मेम्बरों को बुला कर हम से सलाह की। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता कि उस वक्त क्या हुआ लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह विदाउट प्रिसिडेंट (अपूर्व बात) नहीं है और उस वक्त भी बावजूद इस के कि हम ने कानून में इस चीज़ को दाखिल नहीं किया था तो भी होम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी कर के हम को बुलाया और हमारी राय पूछी और बड़ी देर तक हम ने मशविरा किया । मैं चाहता हूं कि अब यह हक लीगल बेसिस (विधिरूप आधार) पर हो, मेहरबानी पर न हो, और इन लोगों से पेश्तर इस के कि कोई कानून पास हो सलाह ले ली जाय । यह मैं एक सुझाव पेश करना चाहता हूं ।

मैं अगर चाहता तो पार्लियामेंट के इस हक़ के लिए इस सजेशन से भी सख्त सुझाव पेश कर सकता था। लेकिन मैं ने जान बूझ कर ऐसा सुझाव रखा है कि जिस को मानने में गवर्नमेंट को किसी तरह की तकलीफ़ न हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मिल जुल कर बिना स्ट्रेन (तनाव) के जो चीज़ की जा सके वह ठीक होती है । मुझे शुबहा नहीं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब मेरी इस दरख्वास्त पर गौर फरमावेंगे । इसी वेन में हमारे सरदार हुकुम सिंह साहब का भी ख्याल था और पहले भी पंजाब के मैम्बरान ने इसी क़िस्म के सजेशन्स किए थे । उस वक्त हम इन सजेशन्स को नहीं मनवा सके, क्योंकि उस वक्त गवर्नर साहब को सारे अख्तियारात देना मख्सूस था और गवर्नमेंट ने इतना ही समझा कि हम को क़ानून बनाने में शरीक कर लिया जाय और मौक़ा दिया जाय । अब वक्त आ गया है कि इस के मुताल्लिक़ महज़ प्रैसीडैंट ही ज़िम्मेवार न रहें । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह दफ़ा ३५६ और ३५७ का निहायत दक़ीक़ मसला है । जो हालात अब हुए हैं और आयन्दा हों, उन में हरगिज़ किसी वक्त प्रैसीडैंट साहब ही का यह अख्त्यार न हो । आज इस का ही बुरा नतीजा है कि ३५६ के होते हुए भी ३५७ की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है वरना यह ३५६ का लाज़मी नतीजा नहीं है । आज भी क़ानून की रू से हर प्राइवेट मैम्बर (ग़ैर सरकारी सदस्य) को हक़ हासिल है कि इस हाउस में जो चाहे क़ानून ले आवे, बावजूद इस के कि यह बिल पास हो जायगी । इसी तरह से रिज़ोल्यूशन (संकल्प) का, ऐडजोर्नमैंट मोशन (स्थगन प्रस्ताव) का, यह सारे हक़ हाउस के मैम्बरान को हासिल हैं और इन को वह एक्सरसाइज़ (प्रयुक्त) कर सकते हैं । पैप्सू के बारे में यह सारे चैक्स (अवरोध) और सेफगार्ड्स (रक्षण कवचें) आज भी मौजूद हैं । हम चाहते हैं कि यह फ़र्दर सेफगार्ड और ले लें ताकि कोई यह न कह सके कि गवर्नमेंट ने आटोक्रैटीकली (स्वेच्छाचार) इस तरह से गवर्नमेंट कर ली । आखिर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ये लोग भी उन लोगों के रिप्रैजेंटेटिव हैं, यह तमाम जो मैम्बर पैप्सू से आए हैं यह वहां के बराबर के रिप्रैजेंटेटिव हैं और बराबर हक़ रखते हैं क़ानून बनाने का, वहां के वास्ते भी और यहां के लिये भी। इसलिये मैं अर्ज़ करता हूं कि जहां तक इस तरमीम का सवाल है मुझे उम्मीद है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब इस पर ग़ौर फरमावेंगे।

मैं एक बात और अर्ज़ कर दूं पेश्तर इस के कि मैं अपनी जगह लूं। वह यह है कि यह ज़रूरी है कि जो कानून बने उस के ऊपर रिवीज़न (पुनरीक्षण) का हक़ रिव्यू (पुनर्विलोकन) का हक़, रिज़ोल्यूशन के ज़रिए यह क़ानून हम को देता है। लेकिन वह दर अस्ल इफैक्टिव (प्रभावी) होना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि वह बराए नाम काग़ज़ पर हो, वह इफैक्टिव हक़ होना चाहिये। लेकिन मैं आगे जाता हूं। इस बिल के अन्दर यह प्रावीज़न (उपबन्ध) है कि अगर दोनों हाउस की रज़ामन्दी एक ही सैशन (सत्र) में हासिल न की जाय तो फिर उस सूरत में न कोई हक़ रिवीज़न का किया जा सकता है और न रिव्यू का किया जा सकता है। इस सैक्शन का इस क़ानून में सरीह मतलब यह है। मैं इस के बरखिलाफ़ यह चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो खुद जिम्मेवारी लेती है ऐसे क़ानून बनाने की, क्योंकि प्रैसीडैंट के माने हैं गवर्नमैंट आफ दी डे (तत्कालीन सरकार) तो उस का यह फ़र्ज़ है कि उस क़ानून पर रिव्यू करने का जो हक़ उन्हों ने दिया है वह इफैक्टिव तौर पर दिया जाय और यह ज़रूरी है कि जब एक हाउस से उस के मुताल्लिक रिजोल्यूशन पास हो तो उसी सैशन के अन्दर सात दिन के अन्दर दूसरे हाउस को मौक़ा दिया जाय उस पर बहस करने का और उस से ऐग्री करने (सहमत होने) का या डिसऐग्री करने (असहमत होने) का। यह नहीं होना चाहिये कि सैशन खत्म हो जाय और फिर फायदा उठाया जाय यह कह कर कि चूंकि इस सैशन में दोनों हाउससेज़ नहीं मिल सके इसलिये माडीफिकेशन नहीं हो सका। यह इस लैजिस्लेशन पर ब्लाट (धब्बा) होगा अगर ऐसी सूरत पैदा हो। यह दुरुस्त नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि यह हक़ दिया जाय तो उस की आप गारंटी करें। मैं ने इस नीयत से एक और अमैंडमैंट (संशोधन) भेजा है।

मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट की यह नीयत नहीं हो सकती कि वह कहे कि इस हाथ से तो माडीफिकेशन का हक़ है और दूसरे हाथ से उस को ले ले। यह गवर्नमेंट की नीयत नहीं हो सकती। लेकिन यह तभी इफैक्टिव हो सकता है जब क़ानून में हमारे होम मिनिस्टर साहब इस बात को क़बूल कर लें कि गवर्नमेंट यह इन्तज़ाम करेगी कि दोनों हाउसैज उसी सैशन में मिल सकें, अपनी राय जाहिर कर सकें और माडीफाई कर सकें। मैं चाहता हूं कि ये सेफगार्ड्स हों। लेकिन ताहम, फिर भी, मेरा पार्लियामेंटरी आबजैक्शन नहीं जाता, क्योंकि असली हक़ मैं समझता हूं कि पार्लियामैंट का है। यह पार्लियामैंट का फर्ज़ है कि वह अपने आप इन क़ानूनों को बनावे और वहां के वास्ते नाफ़िज करे। लेकिन अगर हाउसकी राय में और गवर्नमेंट की राय में यह चीज़ ऐसी हो कि जो नाक़ाबिले अमल हो, तो जो सैकिंड बैस्ट (सर्वोत्तम से अगली अच्छी) चीज़ मैं समझता हूं वह यह है कि इन सेफगार्ड्स को क़ानून में इनकारपोरेट (समाविष्ट) किया जाय जिस से पार्लियामैंट पूरे तौर पर नहीं तो कम से कम पार्शियल (आंशिक) तरीक़े से तो ऐसा कर सके और जो क़ानून बनें वे किसी हद तक रिप्रैजैंटेटिव्ज़ (प्रतिनिधियों) की मुहर लगाए बिना ऐसे न बनें कि लोग यह समझें कि जिस मामले के वास्ते इस क़दर देश ने कुरबानी

की है, डिमाक्रैसी हासिल करने के वास्ते, उस डिमाक्रैसी को बिल्कुल एक नये तरीक़े से नज़र-अन्दाज़ नहीं किया गया।

श्री चिनारिया (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे मौक़ा दिया। पैप्सू एक अजीब इलाक़ा है और उस में अजीब आदमी बसते हैं। (हंसी) हंसिए मत, ज़रा सुन लीजिये। यही बातें आप को बताऊंगा, ज़रा तसल्ली रखिए।

एक माननीय सदस्य : आगे आ जाइये।

श्री चिनारिया : यहां से ही सारी जगह आवाज़ पहुंच जायेगी, बल्कि यहां पर कमांडिंग जगह है।

तो, हां, पैप्सू एक अजीब इलाका है, अजीब आदमी उस में बसते हैं और अजीब काम करते हैं। यह हैं लफ्ज़ इंडियन नैशनल कांग्रेस के प्रैसीडेंट के जो कि उन्हों ने हैदराबाद सैशन (अधिवेशन) में कहे और ये बिल्कुल सच लफ्ज़ हैं। आज भी एक अजीब क़ानून इस हाउस में पेश हुआ है, हां एक अजीब क़ानून है। अजीब हालात में अजीब जगह के लिये अजीब क़ानून ही हुआ करता है। अभी मेरे दोस्त ने, सरदार हुक्म सिंह ने आज भी और कल भी कुछ बातें कहीं और पंडित भार्गव ने भी कुछ बातें कही हैं। वैसे तो मुझे मालूम नहीं कि डाक्टर काटजू के पास कौन सी डाक्टरी की डिग्री है, लेकिन मैं समझता हूं कि पैप्सू के मर्ज़ की तशख़ीस में वह सही डाक्टर साबित हुए हैं और इसीलिये पहला जो नुस्ख़ा उन्होंने बरता उस ने कुछ काम दिया। अब यह दूसरा नुस्ख़ा बरत रहे हैं। मेरे ख्याल में यह ज़्यादा कारआमद होगा। लेकिन मैं यह समझता हूं कि अभी भी यह नुस्ख़ा हलका है और उन्होंने ख़ुद भी यह कहा है। लेकिन अभी भी हमारा देश सरदार हुक्म सिंह साहब के लिये सब कुछ ठीक है "आल इज वैल आन दी वैस्टर्न फ्रंट" क्योंकि "मोतियांवालियों प्रजा सारी सुखी है", यही शब्द शायद वह सुनते हैं, क्योंकि राजाओं के पास बैठते हैं और इसीलिये उन्हें सब कुछ ठीक दिखाई देता है। मुझ से पूछिए कि वहां क्या हालत है। मैं उस इलाके से आया हूं कि जो रजवाड़ाशाही का कालोनी (उपनिवेश) रहा है और जो अभी भी फिरकादारी की शिकारगाह है। अभी पिछले दिनों आपने देखा वहां क्या हालत थी। भैंस, घोड़े और कितनी और चीज़ें बिकती हैं। देश के अन्दर जानवर तो बिकते हैं लेकिन आदमी नहीं बिका करते। लेकिन वहां आदमी क्या, एम० ऐल० ए० बिके हैं पिछले दिनों में। और आप चाहते हैं, सरदार हुक्म सिंह साहब कि अब भी वहां आनन् फानन् में इलैक्शन कर के वैसी ही हुकूमत वहां क़ायम कर दी जाय। क्या कभी बिक्री के टट्टू स्टेबुल गवर्नमेंट (स्थायी शासन) क़ायम कर सकते हैं, आप इस बात को ज़रा सोचिए। आप पहले हालात ऐसे पैदा कीजिये कि ये बिक्री के टट्टू न जायं, बिकने वाले आदमी वहां न जायं, बल्कि सही आदमी, पबलिक (जनता) के सही नुमायन्दे, वहां जायें। मैं यही चाहता हूं। मैं यह नहीं चाहता कि इलैक्शन में कोई देर की जाय। लेकिन मैं यह ज़रूर चाहता हूं कि हालात ऐसे बना दिए जायें कि सही नुमायन्दे वहां जा सकें।

अब मैं ख़ुद डाक्टर तो नहीं, लेकिन डाक्टरों के चरणों में थोड़ा रहा हूं तो कम्पाउंडर की हैसियत समझ लीजिये। तो मैं थोड़ी सी तशख़ीस बता देता हूं कि वहां क्या मर्ज़ है और तभी मालूम होगा कि इस के लिये अरजैंसी (जल्दी) की ज़रूरत क्यों है। मैं सरदार साहब को बताऊं कि अरजैंसी क्यों है। अभी शायद वह यहां दिल्ली की ठंडी जगह में बैठे हैं या कपूरथला में बैठते हैं इसलिये महसूस नहीं उन को होता कि वहां क्या होता है। लेकिन जहां रोज़ डाके पड़ते हैं, औरतें जहां बाहर नहीं जा सकतीं, किसी की मज़ाल नहीं

[श्री चिनारिया]

कि पैसा ले कर चला जाय, या किसान बैल ले कर खेत में चला जाय, जब वहां ऐसी हालत हो तो आप समझते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है, अभी कोई अरजेंसी नहीं है। कौन से हालात वहां पैदा हो गये हैं। यह मैं आप को बताता हूं।

सन् ४७ में ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म (साम्राज्यवाद) खत्म हुआ और ज़रूरी था कि उस के पाये-स्तून (आधार स्तम्भ) जो रजवाड़-शाहियां थीं वे भी ख़त्म हों और वह काम हिन्दुस्तान के लोह पुरुष सरदार पटेल को सुपुर्द किया गया और उन्हों ने किस खूबी से, किस अक्लमन्दी से और किस तदब्बुर (बुद्धि-मत्ता) से आनन फानन में तमाम काम कर दिया, लेकिन एक कमी थी उन में चाहे कुछ भी हो वह होना उन में स्वाभाविक था, नेचुरल था, वह नान वायलेंट (अहिंसक) थे और नान वायलेंट के साथ उन को दया आगई और ख़त्म करते करते पूरा वार नहीं मारा और थोड़ी सी कसर रजवाड़ेशाही को ख़त्म करने में छोड़ दी और यह राजप्रमुखों की प्रथा क़ायम कर दी वही राजप्रमुख आज हमें कहते हैं कि हमारे वायदे हैं उन के साथ, लेकिन उन को मालूम होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में वायदे पीपुल (जनता) किया करते हैं इंडिवीजुएल्स (व्यक्ति) नहीं किया करते हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, उस का वायदा डेमोक्रेसी में नहीं चलता। आज पीपुल्स की यूनाइटेड (संयुक्त) आवाज़ यह है कि राजप्रमुखों की डेमोक्रेसी के युग में ज़रूरत नहीं है और यह तमाम चीजें अजायब-घर में भेज देने के लायक हैं। और अगर वह वहां हो हल्ला मचाते हैं और अपने को जानवर समझते हैं तो उन को वापिस उन के घर में भेज दीजिए, लेकिन अगर वह वहां भी चुपचाप नहीं रह सकते तो मेरे ख्याल में पागलख़ाने के सिवाय उन के लिए और कोई जगह नहीं है।

यह सब से बड़ी कमी और नुक्स है जो यह छोटे २ क़ानून पूरा नहीं कर सकेंगे। अभी क्या क्या बातें वहां पर पैदा हुईं। उस के साथ साम्प्रदायिकता ने भी वहां घर कर लिया। पंजाब में साम्प्रदायिकता ख़त्म हो गयी, क्योंकि अकेली थी। काश्मीर में रजवाड़ेशाही बाक़ी थी, ख़त्म हो गयी, क्योंकि वह अकेली थी। लेकिन पेप्सू में रजवाड़ेशाही ख़त्म नहीं हो सकी क्योंकि वह अकेली नहीं थी और चाहे आप कितने ही क़ानून बना डालिए जब तक इन दो चीज़ों का गठबन्धन है और उन के साथ दूसरी शक्तियां भी मिल रही हैं, जब तक इन का ख़ात्मा नहीं होगा, तब तक सही नुमायन्दे आप की असेम्बली में नहीं जा सकेंगे और तब तक सही हालात पैदा नहीं हो सकेंगे। छः महीने नहीं, छः साल भी अगर लग जायें तब भी कोई परवाह नहीं, लेकिन यह ज़रूरी है कि रजवाड़ेशाही को ख़त्म किया जाय। पेप्सू एक्साइज़ स्टेट (आबकारी राज्य) है। जहां पर पबलिक और सर्विसेज़ में शराब खूब चलती है, और अगर उस स्टेट की आमदनी को देखा जाय तो पता लगेगा कि कुल आमदनी का ४० फी सदी पेप्सू में शराब की आमदनी से आता है। उस स्टेट के लिये कैसे आप उम्मीद करते हैं कि वहां सही नुमायन्दे असेम्बली में जा सकेंगे। जहां पर राजप्रमुख २० लाख रुपया मुफ्त में सरकारी ख़ज़ाने से लेता हो आप वायदे की कहते हो, कि राजप्रमुख से हमारा वायदा हो गया। सरदार पटेल ने किया होगा, लेकिन वायदा एकतरफ़ा नहीं चला करता। उन का भी फर्ज़ था कि वह पालिटिक्स (राजनीति) में कोई हिस्सा न लें। लेकिन यह सरीहन कहा जा सकता है कि राजप्रमुख पालिटिक्स में हिस्सा लेते हैं और वहां रजवाड़ेशाही ने साम्प्रदायिकता से गठजोड़ करके डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश की हुई है। हमें इस रजवाड़ेशाही और साम्प्रदायिकता दोनों

को ख़त्म करना होगा। आज कीजिए, कल कीजिए या परसों कीजिए लेकिन करना ज़रूर है। अक्लमंद आदमी इन को ख़त्म करने में देर नहीं लगाते हैं, ढीले आदमी इन को करने में ज़रूर कुछ देर किया करते हैं।

एक माननीय सदस्य : डा० काटजू जंगल में बैठने के लायक हैं।

श्री चिनारिया : ख़ैर में तो नहीं समझता कि अभी वे जंगल में बैठने के लायक हैं, जिस तरह कि मेरे दोस्त पंडित भार्गव ने कह दिया कि वह जंगल में बैठने के क़ाबिल हो गये हैं। ख़ैर मुझे एक दो ज़रूरी बातें कह लेने दीजिए। रजवाड़ेशाही ख़त्म करते करते हम पंजाब की रियासतों को मिला कर एक यूनियन बनाने लगे थे। महाराजा पटियाला अपने आप को एक बड़ी रियासत का शासक समझते थे, और वे इस यूनियन से अलग रहना चाहते थे, ख़ैर दबाव से कहिए, किसी तरह से वे भी मान गये और आठ रियासतों को मिलाकर एक यह यूनियन बना दी गयी। पंजाब अलग एक छोटा सा प्रान्त रह गया था उस के अन्दर अगर इस को मिला दिया जाता तो अच्छा सोहना पंजाब बन जाता। अब भी मेरे दोस्त पंजाबी स्पीकिंग (भाषी) सूबा कर के उस को छोटा पंजाब बनाना चाहते हैं। चाहिए तो यह था कि पंजाब और पटियाला यूनियन को एक में मिलाया जाता, क्योंकि दोनों में बहुत समानता है। वहां पर ज़मीन पर राजाओं की आला मिल्कियत होती थी। अभी एक क़ानून का जिक्र आया, राजा अपने नाम ज़मीन लिख लेता है, आला मिल्कियत और तमाम पाबन्दियां टेनेन्ट्स पर आयद करता है जिन्हों ने कि ज़मीन को तोड़ा, सदियों से काश्त की और उस को ज़रख़ेज़ बनाया, उस की कोई हैसियत नहीं और राजा ही ज़मीन का असली मालिक हो जाता है।

* * * *

* सभापति के आदेश से हटा दिये गए।

डा० एन० बी० खरे : एक औचित्य प्रश्न है। क्या ये सब बातें सदन में कही जा सकती हैं?

श्री नम्बियार (मयूरम) : जी हां।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : ऐसी बातें कहने का स्थान यही है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य राष्ट्रपति के शासन की आवश्यकता की चर्चा कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत विधेयक की मदों तथा सामान्यतः भी शक्तियां होनी चाहियें। हमें असंसदीय, प्रतिष्ठा-रहित या असंगत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

श्री नम्बियार : यह प्रतिष्ठा रहित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपत्ति की जाय तो माननीय सदस्य को वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

श्री चिनारिया : मैं ने केवल भूमि के बन्दोबस्त और इस बात की ओर निर्देश किया था कि भूमि कैसे प्राप्त की गई। इस प्रयोजन के लिये विधेयक होने चाहियें और हम इसी प्रयोजन से राष्ट्रपति को शक्तियां दे रहे हैं। इसलिये यदि मैं कहूं कि मेरी बात असंगत नहीं, तो मुझे क्षमा कीजियेगा।

* * * *
* * * *

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस की अनुमति नहीं दूंगा। शिष्टता होनी चाहिये। मैं तो यह सोच रहा था कि राजप्रमुख के आचरण की चर्चा की भी जा सकती है या नहीं। हम किसी व्यक्ति पर तो चर्चा नहीं कर रहे हैं और न ही इस मामले के सम्बन्ध में राजप्रमुख पर चर्चा की जा सकती है। इस समय पर राष्ट्रपति के शासन की चर्चा हो रही है, प्रश्न यह है कि

*सभापति के आदेश द्वारा ये शब्द हटा दिये गये।

[उपाध्यक्ष महोदय]

राष्ट्रपति कानून बनाये या संसद्। ये सारे शब्द असंगत हैं और हटा दिये जाने चाहियें।

* * * *

उपाध्यक्ष महोदय : भाषण के किसी भी ऐसे भाग को, जिस में राज्य के प्रमुख पर इस प्रकार आक्षेप किये गये हों, हटा देना चाहिये ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : केवल राज्य के प्रमुख पर ही नहीं, माननीय सदस्य तो यह भी कह रहे थे कि वहां की जनता बुरे ढंग से काम कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि भाषण में सारे समुदाय पर आक्षेप लगाये गये हों तो मैं उस के सदन की कार्यवाही में रखे जाने की अनुमति नहीं दूंगा ।

डा० काटजू : मैं किसी राजप्रमुख, बल्कि ऐसे किसी व्यक्ति—जो यहां उपस्थित नहीं हैं, के विरुद्ध कही गई बातों पर बड़ा विरोध प्रकट करना चाहता हूं। यह बात बहुत बुरी है, चाहे किसी ओर से भी ऐसा कहा गया हो। हम यहां किसी के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोपों या आक्षेपों को सुनने के लिये नहीं आये हैं। उन में से अधिकतर निराधार हैं ।

श्री पुन्नूस : मुझे एक निवेदन करना है। हम राजप्रमुख की ओर निर्देश किये बिना पटियाला या पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ की चर्चा नहीं कर सकते ।

डा० काटजू : उपाध्यक्ष महोदय, एक औचित्य प्रश्न है। जल्दी ही पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ का आयव्ययक सामने आयेगा। इस समय तो इस विधेयक पर चर्चा की जा रही है कि राष्ट्रपति को शक्ति दी जाये या नहीं। इस विधेयक से तो राजप्रमुख का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं राजप्रमुख के सम्बन्ध में सारे अंश के नियम विरुद्ध होने का निर्णय देता हूं, क्योंकि इस विधेयक का सम्बन्ध मुख्यतः इस बात से है कि संसद् कानून बनाये या राष्ट्रपति को यह शक्ति दी जाये। मेरा विचार है कि अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में भी राजप्रमुख की चर्चा संगत नहीं होगी। परन्तु जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, राजप्रमुख की ओर कोई निर्देश करने की न तो आवश्यकता और न ऐसा करना संगत है ।

श्री के० क० बसु : यदि अशिष्ट या असंसदीय बातें कही जायें तो आप को उन्हें कार्यवाही से हटा देने का अधिकार है ।

परन्तु माननीय गृह मंत्री ने तो यह कहा कि जो लोग यहां उपस्थित न हों उन का नाम भी नहीं लेना चाहिये। मेरे विचार में यह तो ठीक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी व्यक्ति की ओर निर्देश करने पर तो कोई प्रतिबन्ध नहीं है। निर्देश संगत हो तो किया जा सकता है।

माननीय गृहमंत्री ने यह बात भी कही थी कि ऐसे व्यक्ति पर आक्षेप नहीं करने चाहिएं जो यहां उपस्थित न हो ।

श्री चिनारिया : मेरी बात गलत समझी जा रही है। मैं ने राजप्रमुख के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, ऐतिहासिक तथ्य बताए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐतिहासिक हों चाहे न हों मेरा निर्णय है कि वे असंगत हैं और उन से राजप्रमुख पर आक्षेप आता है। अतः उन्हें सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है । समाचार-पत्र भी उन्हें न छापें ।

श्री चिनारिया : यह हालात थे कि जिन्होंने एक अजीब लैन्ड टिन्योर (भूमि व्यवस्था) कायम कर दिया और ६४ लाख एकड़ जमीन में से करीब एक तिहाई ज़मीन पर यानी

*सभापति के आदेश द्वारा यह शब्द हटा दिये गये

बीस बाईस लाख एकड़ जमीन पर ऐसे टेनेन्ट्स रह गये जिन को कि हर वक्त किसी न किसी बहाने से लैंड लार्डस् (जमींदार) ऐजेक्ट (बेदखल) करते रहते थे और अब भी कर रहे हैं। इन हालात में जब रजवाड़ाशाही और जागीरदारी तमाम के तमाम और साथ ही हमारे दोस्त कम्युनिस्ट भाई भी शोर मचाने के लिये मिल कर कुछ ऐसे हालात बना देते हैं कि कोई कानून नहीं रहता। अब उस लाकानूनी को खत्म करने के लिये ज़रूरी है कि उन टेनेन्ट्स को रिलीफ (सहायता) दी जाय और जल्दी से जल्दी दी जाये। आज नहीं, कितने ही दिनों से सन् १९०० से पहले से झगड़े चले आते हैं। कितनी जगहें ऐसी हैं कि दस दस, पन्द्रह पन्द्रह साल के कोई लगान या बटाई किसी मालिक को नहीं दी गई और कितने ही टेनेन्ट्स ऐसे हैं जिन को बिना किसी गुनाह के लैंड लार्डस् हर साल निकालते रहते हैं। अपने घरों से, अपनी ज़मीनों से निकल कर दर बदर फिरते रहते हैं इस से यह नतीजा निकलता है कि डाके, कुश्तो खून और लूट मार हर जगह होती रहती है। आज इस चीज को खत्म करना चाहिये। लेकिन लैंड टेनेन्सी ऐक्ट से या किसी और ऐक्ट से मैं नहीं समझता कि सही हालात पैदा हो सकेंगे जिस से कि सही तौर से ऐलेक्शन्स (निर्वाचन) हो सकें। अभी सरदार हुक्म सिंह पूछते थे कि क्या क्या लेजिस्लेशन (विधान) बनाये जायें। मैं उन को बताऊं कि पिछले साल से पेप्सू में डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम है, डिमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स (लोकतन्त्रीय संस्था) लेजिस्लेटिव असेम्बली (विधान सभा) कायम है, लेकिन साल भर के अन्दर सिर्फ २४ दिन वह ऐसेम्बली मीट कर (समवेत हो) सकी। यह तो काम है जो कि इस डिमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ने किया है।

सरदार हुक्म सिंह : २४ दिन तो किया, कांग्रेस ने तो एक दिन भी नहीं किया।

श्री चिनारिया : यहां कांग्रेस बे-कांग्रेस का सवाल नहीं है। यह सारे का सारा सवाल डिमाक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन का है जिस ने साल में सिर्फ २४ दिन काम किया। और फिर उस ने कितने कानून पास किये। जितने पास करने थे उन में से एक या दो तो बामुश्किल तमाम चलते

१० म० पू० चलते पास किये। इस लिये कि अगर कल चुनाव में कामयाबी न पा सके तो दूसरे का नाम न हो। अगर कांग्रेस पावर में आ गई तो उस का नाम होगा, इसलिये लैंड यूटिलाइजेशन और आला मिल्कियत के कानून तो चलते चलते उस ने पास किये। और कोई कानून उन्हों ने पास नहीं किया। इस के लिये सरकार ने ११-५-५१ के रेजोल्यूशन के जरिये एक ऐग्रेरियन रिफार्म कमेटी बनाई जिस के चेअरमैन श्री वेन्कटचारे थे। फिर पेप्सू सरकार ने भी एक कमेटी बनाई जिस के चेअरमैन दारा सिंह थे। दोनों की रिपोर्टें शाया हो चुकी हैं और उन के आधार पर जो कानून बनाये गये थे उन कानूनों की तफसील यह है। पेप्सू भूमि उपयोग विधेयक, पेप्सू अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन विधेयक, भूमि सुधार विधेयक, भूमि अधिग्रहण-विधेयक, काश्तकारी तथा कृषि सम्बन्धी भूमि विधेयक, कृषि सम्बन्धी भूमि स्वामित्व बन्धन विधेयक, आला मिलकियत विधेयक, उच्चतर अधिकार विधेयक, काश्तकारी अस्थायी उपबन्ध संशोधन विधेयक। इतने कानून जो वहां इंट्रोड्यूस हो चुके थे। लेकिन वह डिमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन उन्हें पास करने का समय नहीं निकाल सकी। और आज यह उम्मीद की जाती है कि एक दम से सारी चीजों को कर दिया जाये, मैं कहता हूं कि जब तक टेनेन्ट्स को रिलीफ पहुंचाने की जरूरत है और कोई आउटसाइड (बाहरी) एजेन्सी को चाहे पार्लियामेंट को या राष्ट्रपति को अख्तियार दे कर जल्द

[श्री चिनारिया]

से जल्द उसे नहीं किया जायेगा तब तक वे हालात नहीं पैदा हो सकते हैं जो कि सरदार साहब चाहते हैं और जो कि तमाम देश के अमन के लिये, तमाम देश की उन्नति के लिये और तमाम देश के फायदे और बेहतरी के लिये जरूरी हैं । आप एक हिस्से के अन्दर फाइव इअर प्लैन (पंच वर्षीय योजना) लागू कर रहे हैं, करोड़ों रुपया उस पर खर्च कर रहे हैं लेकिन जहां इतनी ला कानूनी और इतने आपस में तफरकात हैं वहां कोई काम नहीं हो सकता है चाहे आप कितना ही रुपया बरबाद कीजिये । इसलिये जरूरत है कि पहले उन हालात को ठीक करने के लिये यह कानून पास किया जाये और उस के बाद जितने भी कानून जरूरी हों वे पास किये जायें ताकि वहां पर अमन कायम हो सके । यह चीज़ है जो कि ज़रूरी है । अगर इस को सुन कर भी सरदार साहब महसूस नहीं करते और कोई रेमेडी (इलाज) नहीं मालूम करते तो लाचारी है । अगर इतनी बातों को सुन कर भी सरदार साहब वही बातें कहते हैं तब तो मेरे ख्याल में वह रोगी के साथी नहीं बल्कि रोग के साथी हैं । लेकिन मैं यह बता दूं कि रोग इतना बढ़ गया है कि रोगी ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रह सकता है और रोगी मर गया तो रोग भी साथ ही साथ खत्म हो जायेगा । अगर आप ने सामन्तशाही और साम्प्रदायिकता के दोनों रोगों को खत्म नहीं किया तो हमारी हालत कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकेगी ।

मुझे इतना ही कहना था और इतना कह कर मैं आप से क्षमा चाहता हूं ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : पेप्सू में राष्ट्रपति का शासन स्थापित करने के सम्बन्ध में सदन निर्णय कर चुका है अब केवल राष्ट्रपति के संसद् विधायिनी अधिकार सौंपने के प्रश्न हैं ।

इसी प्रकार का विधेयक पंजाब के सम्बन्ध में श्री राजगोपालाचार्य द्वारा रक्खा गया था जब वे मंत्री थे । पहले तो उन का प्रस्ताव यह था कि न केवल राष्ट्रपति को संसद् के अधिकार दे दिये जायें वरन् राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दे दिया जाये कि वह राज्यपाल को अपने अधिकार दे सकें । पर जब इस प्रस्ताव का बहुत विरोध किया गया तो उस विधेयक का वह विशेष खंड वापिस ले लिया गया ।

राष्ट्रपति के द्वारा विधायिनी अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में वे यह मानने को तैयार थे कि जब विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया जाय तो अगले सत्र में वह संसद् के सामने रक्खा जाय तथा संसद् एक प्रस्ताव द्वारा उस विधेयक के किसी भी उपबन्ध को बदल सकेगी । इस विधेयक में भी उसी प्रकार का एक उपबन्ध है ।

परन्तु हम इस विधेयक का विरोध इस आधार पर करते हैं कि राष्ट्रपति को संसद् के अधिकार देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । पुराने भारत सरकार अधिनियम के धारा ९३ तथा हमारे वर्तमान संविधान में इस सम्बन्ध में बहुत अन्तर है । पुराने अधिनियम के अनुसार प्रान्तीय स्वायत्त शासन को रोक कर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता था । परन्तु हमारे संविधान में ऐसा नहीं होता है । नये संविधान के अनुसार प्रान्तीय सरकार के स्थान में भारत सरकार आ जाती है और भारत सरकार इस संसद् के प्रति उत्तरदायी होती है । कार्यपालिका विषयों के सम्बन्ध में भारत सरकार अस्थायी रूप से उत्तरदायी रहती है ; वित्त के सम्बन्ध में संसद् का नियंत्रण रहता है । जहां तक उच्च न्यायालय का सम्बन्ध है भारत सरकार तथा संसद् भी उच्च न्यायालय से बढ़ कर शक्ति नहीं रखते हैं विधायिनी प्रश्नों में साधारण रीति से संसद् को कार्य करना चाहिये परन्तु

संविधान में संसद् को अधिकार दिया गया है कि वह अपनी विधायिनी शक्ति राष्ट्रपति को दे सकती हैं। असाधारण परिस्थितियों के लिये संक्षेप में यह उपबन्ध बनाये गये हैं।

पिछली बार जब हम ने यही प्रश्न उठाया था तो उन्हों ने बताया था कि सरकार का यह इरादा है कि केवल वही विधि बनाये जो नितान्त आवश्यक हों, फिर भी यदि वे विवादास्पद होंगे तथा ऐसे होंगे जिन से लोकप्रिय मंत्रालय के कार्य में किसी बाधा पड़ने की आशंका होगी तो उन में सरकार हाथ नहीं लगायेगी।

इसी लिये इस के पूर्व आज मैं ने माननीय मंत्री से प्रश्न किया है कि उन की क्या योजना है। उन्हों ने कई विधेयकों की एक तालिका दी थी मैं मानता हूं कि इन म से कुछ महत्व-पूर्ण हैं तथा नितान्त रूप से आवश्यक हैं। परन्तु इन में से कुछ विवादास्पद हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि इन विधेयकों को अधिनियम का रूप न दिया जाये। मेरा कहना केवल इतना है कि ऐसे अधिनियम बनाने का भार कार्यपालिका शक्ति पर नहीं होना चाहिये। संसद् के इसी चालू सत्र में इन को क्यों नहीं रक्खा जाता है? विरोधी दल के सदस्यों की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि हम दो तीन शाम को तीन घंटे का अतिरिक्त समय देने को तैयार हैं। आप के सभापतित्व में श्रीमान्, कार्यक्रम सलाहकार समिति सब को मान्य होने वाला कार्यक्रम बना सकती है।

परन्तु यह बुनियादी प्रश्न है। जब तक कोई परिस्थितियां बहुत असाधारण न हों संसद् को अपने अधिकार राष्ट्रपति को दहीं सौंपने चाहियें। यह विरोधी दल के अधिकारों का प्रश्न नहीं है। यह तो सदन के अधिकारों की बात है। मैं उस ओर के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे इस पर दलगत दृष्टि से विचार न करें। यदि संसद् की बैठक न हो रही होती तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते थे। परन्तु जब संसद् की बैठक केवल इसी सदन को विधि बनाने की शक्ति है। यह संसद् का विशेषाधिकार है। आप लोगों को भय किस बात का है? इन विधेयकों को पारित करने के लिये आपके पास आवश्यकता से अधिक बहुमत है। विरोधी दल आप को रोक नहीं सकता है। तब सरकार को ऐसे उपबन्ध की क्या आवश्यकता है?

अतः मैं अपने मित्र से निवेदन करूंग कि वह इस विधेयक को वापस ले लें। पंडित भार्गव द्वारा, डा० काटजू के प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पेप्सू की विधायिनी शक्ति का प्रयोग केवल संसद् द्वारा ही किया जायगा। इसलिये सदन ने केवल १२ मार्च को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि पेप्सू के विधायिनी अधिकार इस सदन को हस्तान्तरित किये जाते हैं। अब उस को क्यों बदला जा रहा है? सदन को ऐसा करने का अधिकार है। संविधान इस की आज्ञा देता है। परन्तु मैं समझता हूं कि इस की कोई आवश्यकता नहीं है तथा स्वस्थ प्रजातन्त्रात्मक पद्धति बनाने के लिये माननीय मंत्री को चाहिये कि इस विधेयक को वापस ले लें, उन को चाहिये कि विरोधी दल के सदस्यों के साथ बैठें, कार्यक्रम बनावे, हमें बतावें कि वे कितने विधेयक पारित करना चाहते हैं जिससे संसद् उस उत्तरदायित्व को पूरा कर सके जो इस सदन को सौंपा गया है।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़--पूर्व व जिला बलिया--पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे मित्र श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने जो प्रश्न उठाया है वह एक महत्व का प्रश्न है। इस में सन्देह नहीं कि जो बात उन्होंने कही उस की दृष्टि से अगर सम्भव होता तो पार्लियामेंट को ही उन तमाम

[श्री अलगू राय शास्त्री]

विधानों के बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले लेना चाहिये । लेकिन जैसा कि इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एंड रीजन्स (उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण) में बहुत सफाई के साथ लिखा गया है कि पार्लियामेंट अपने इस वर्तमान सत्र में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले नहीं सकती...

डा० एस० पी० मुकर्जी: क्यों ?

श्री अलगू राय शास्त्री : इसलिये नहीं ले सकती कि काफी दिनों से पार्लियामेंट का यह सत्र चल रहा है और बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पेप्सू के बारे में जिन के सम्बन्ध में विधियां बननी हैं ऐसे हैं कि जिन को टाला नहीं जा सकता । लैंड रिफार्म के (भमि सुधार) प्रश्न हैं और दूसरे प्रश्न हैं, उन को ले कर पार्लियामेंट स्वयं आज बैठ जाये तो वह एक नियत समय में उन को पूरा नहीं कर सकती । अब इस सत्र का विस्तार करना भी बहुत कठिन है । तो न तो सत्र बढ़ाया जा सकता है और न उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस बीच में जल्दी जल्दी में हम पास कर सकते हैं, उन के सम्बन्ध में विधेयक बना सकते हैं। न उस काम को टाला जा सकता है और न उस काम को यहां पर पूरा किया जा सकता है। यह मुख्य कठिनाई है जिस के कारण यह विधेयक यहां आया । अगर पार्लियामेंट के लिये यह अवैधानिक होता कि अपने अधिकार को, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को किसी को सुपुर्द कर सके तो अलबत्ता यह प्रश्न उठ सकता था ; जो कान्स्टीट्यूशन एक्ट [(संविधान) का अनुच्छेद] की धारा ३५६ है उस में जहां इस प्रकार का प्रोक्लेमेशन ईश्यू (उद्घोषणा जारी) करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, प्रैसीडैंट आफ इंडिया को दिया गया है, वहां अनुच्छेद ३५७ की धारा में उस के खण्ड (१) के उपखण्ड (क), (ख) तथा (ग) में भी इस तरह का प्रावीजन (उपबन्ध) इसलिये रखा गया था कि इस तरह की आवश्यकता हो सकती थी । अब यहां प्रोक्लेमेशन आया । उस के बारे में इस पार्लियामेंट ने अपने प्रस्ताव द्वारा उस को स्वीकार किया । अब आवश्यकताओं से ही विवश हो कर, कि जिन आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर हम ने ३५७ (१) और उस के उपखण्ड (क), (ख) तथा (ग) इत्यादि बनाये हैं, उन से लाभ उठा कर हम यह अधिकार प्रैसीडैंट को दे रहे हैं कि वह कानून बनाने की कार्यवाही पर अपना अधिकार रखें और उस अधिकार के अनुसार आवश्यक कानून बनायें । तो मैं समझता हूं कि अब यह प्रश्न उठाना कि पार्लियामेंट स्वयं दो दो, तीन तीन घंटे और बैठ कर और अधिक समय दे कर इस काम को करे, तो वह जल्दी का काम होगा। और एक मुहावरा है कि "जल्दी का काम शैतान का" । यह कोई अनपार्लियामेंटरी (असंसदीय) प्रयोग नहीं है, बल्कि एक ग्रामीण मुहावरा है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो जल्दी में कानून नहीं बनाये जा सकते । उन पर पूरा मस्तिष्क लगाने की आवश्यकता होती है कि कहीं उन में ऐसी बातें न आ जायें जो कि आक्षेप की हों । कहीं ऐसा न हो कि पहले तो बनायें और बाद म जा कर उन को बिगाड़ना पड़े । सोच समझ कर इसलिये कानून बनाना पड़ता है ।

"सुचिन्त्यं चोक्तम् सुविचार्य यत्कृतम् ।
सुदीर्घ कालेऽपि न याति विक्रियाम्" ।।

तो जल्दी जल्दी में एक चीज़ पास करें तो उस से पार्लियामेंट द्वारा यह अधिकार एक्सरसाईज (प्रयोग) नहीं होगा, बल्कि पार्लियामेंट को यह एक तरह से धक्का लगेगा।

क्योंकि आगे चल कर ला कोर्टस् (न्यायालयों) में ......

श्री के० के० बसु : पार्लियामेंट को पावर कहां है ?

श्री अलगू राय शास्त्री : पार्लियामेंट को पावर ३५७ में दी गई है कि अपने अधिकार को प्रैसीडेंट को सुपुर्द कर सके। यह एक बड़ा भारी मौलिक अधिकार है जो हम ने समझ बूझ कर प्रैसीडेंट को दिया है जिससे कि ठीक सोच विचार कर, कूल माइन्डेडनेस (ठंडे दिमाग) से जो रिफार्मस वहां करने हैं उन के लिये आवश्यक कानून वह बना सकें। अगर जल्दबाजी में हम कोई काम करेंगे तो वह बिगड़ जायेगा।

इस वास्ते मैं श्यामाप्रसाद जी के इस सुझाव का समर्थन नहीं कर सकता कि पार्लियामेंट स्वयं कुछ समय दे कर इन कानूनों को बना दे। लेकिन मैं यह ज़रूर चाहता हूं कि ये कानून अविलम्ब बनने चाहियें। लैंड रफार्म को हम रोक नहीं सकते। क्योंकि ज़मीन ही प्राइमरी (प्रधान) उत्पादन का स्थान है। जितनी चीज़ें हम पैदा कर सकतें हैं उन की जननी भूमि है। तो भूमि के सम्बन्ध में जनता का अधिकार न हो, यदि उस के जोतने बोने वालों को उस पर अधिकार न मिले तो उत्पादन रुकता है और उस में बाधा पड़ती है। इसलिये उस सम्बन्ध के कानून को हम क्षण भर भी रोक नहीं सकते। अब पार्लियामेंट के पास उन कानूनों को बनाने के लिये समय नहीं और उन का बनाना अनिवार्य है। तो हम दोनों काम नहीं कर सकते। इसलिये जैसा कि इस विधेयक के आबजैक्ट्स एंड रीजन्स के बयान में दिया हुआ है उस के अनुसार हम ३५७ (१) के मुताबिक जो कि कांस्टीट्यूशन में प्रोवाइडैड (उपबन्धित) है, उस के अनुसार हम अपना यह अधिकार, विधि विधान बनाने का, प्रैसीडेंट को सुपुर्द कर देते हैं। ऐसा करना ही पार्लियामेंट के लिये गौरव की बात है, क्योंकि वह कोई अवैधानिक काम नहीं कर रही है, कोई जल्दी का काम नहीं कर रही है। प्रोक्लेमेशन के सम्बन्ध में संसद् प्रस्ताव पास कर चुकी है। उस के बाद यह दूसरी सीढ़ी है। ३५६ अनुच्छेद के अन्दर प्रोक्लेमेशन और ३५७ के उपखण्ड (क), (ख) तथा (ग), आदि के अनुसार इस प्रकार का लेजिस्लेटिव अधिकार प्रैसीडेंट को देना, यह दोनों गौरवपूर्ण कार्य हैं। इस के अन्दर कोई नहीं कह सकता कि पार्लियामेंट ने अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूपेण नहीं निभाया। पेप्सू में स्थिति ऐसी थी कि जो वहां गवर्नमेंट थी उस को हटा कर अध्यक्ष को, प्रैसीडेंट को, पावर अपने हाथ में लेनी पड़ी। बाद में पार्लियामेंट ने उस को उचित माना और अब उस के सम्बन्ध में जो कानून बने हैं उन को अगर हम स्वयं बनायें तो यह जल्दबाजी का काम होगा और जल्दबाजी का काम ठीक नहीं होता। इसलिये प्रैसीडेंट को, राष्ट्रपति को, यह काम सुपुर्द कर देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं श्यामा प्रसाद जी के उस सुझाव का विरोध करता हूं और इस बात का अनुरोध करता हूं कि यह हाउस इस विधेयक को इस के अविकल रूप में स्वीकार करे और इस में एक क्षण का भी विलम्ब न करे।

लाला अचिन्त राम (हिसार) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सामने यह एक जरूरी बिल है। मैं इस को मामूली बिल नहीं कहता। इस का सम्बन्ध एक प्रदेश की इतनी बड़ी जनता के साथ है। खास तौर पर आज जो बिल आप ले रहे हैं वह महत्व का है, इस कारण कि यह एक तरीके से जो डिमोक्रेसी है, प्रजातन्त्र है, उस के विरुद्ध जा रहा है।

[लाला अचिन्त राम]

हम तमाम ताकत प्रैसीडेंट के हवाले कर रहे हैं। इसलिये भी इस की खास अहमियत है। लेकिन मैं समझता हूं कि खास बातें खास हालात के अन्दर करनी पड़ती है। पैप्सू की जो हालत थी जो लैजिस्लेटिव एसेम्बली (विधान सभा) वहां काम करती थी, उस वक्त वहां ला एंड आर्डर (विधि तथा व्यवस्था) की हालत बहुत बुरी थी। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, इस को तमाम दुनिया जानती है कि कैसे वहां डाके पड़ते थे, कैसे औरतों की अस्मत खतरे में थी। इसी तरह की और बातें थीं। इस तमाम हालत के कारण ला एंटड आर्डर भी वहां पर कायम नहीं था। इन तमाम बातों का ख्याल कर के मैं समझता हूं कि प्रैसीडेंट (राष्ट्रपति) का प्रोक्लेमेशन (उद्घोषणा) आया और तीन महीने पहले वह चीज़ पार्लियामेंट के सामने पेश हुई। उस वक्त दलायल क्या दी गयीं? जो दलायल दी गयीं, उन में दो जबरदस्त थीं। पहली यह थी कि वहां पर ला एंड आर्डर नहीं था। इस बात की जरूरत थी कि वहां पर ला एंड आर्डर स्थापित किया जाये। एक और दूसरी दलील भी दी गई, वह यह कि वहां के लेजिस्लेचर को कायम हुए एक साल हो गया। इस एक साल के अरसे के अन्दर जो वहां की गरीब जनता थी उस की हालत को ठीक करने के लिये उस के फायदे के लिये जो लैंड रिफार्म का बिल (भूमि सुधार विधेयक) था वह पास नहीं हो सका। वहां पर जो जमींदारी के एग्रेरियन लाज़ (कृषि सम्बन्धी विधियां) थे, वे पास नहीं हो सके। मैं हैरान था कि प्रोक्लेमेशन करने के वक्त जो जरा सी छोटी बात मालूम पड़ती है उस को भी दर्ज किया गया। यह छोटी बात है कि फलां कानून वहां पर पास नहीं किया गया, यह क्या कारण था, क्या वजह थी कि जिस के लिये जो वहां की हुकूमत थी उस को हटा दिया जाये। लेकिन नहीं। प्रैसीडेंट साहब ने गवर्नमेंट आफ इंडिया ने महसूस किया कि यह जो कानून है, यह जनता के हित के लिये बहुत जरूरी है। अगर वहां की गवर्नमेंट ने इस कानून को पास नहीं किया तो उन्हों ने अपने बड़े भारी फर्ज से कोताही (उपेक्षा) की है।

इस चीज को पार्लियामेंट के सामने लाया गया और मैं ने भी और मैं समझता हूं कि हाउस ने महसूस किया कि आज की गवर्नमेंट ने, पहली गवर्नमेंट तो रही नहीं, इस वास्ते यह और भी जरूरी समझा गया कि वहां पप्सू में अगर राष्ट्रपति का शासन लागू होता है, तो यह गलती की बात नहीं है, इस वास्ते पार्लियामेंट ने इस को कबूल किया। आज हमारे सामने एक बिल आता है, मैं इस बात के हक में हूं कि प्रैसीडेंट साहब को पावर्स दी जायें, प्रैसीडेंट साहब को पावर दिये बगैर काम नहीं चल सकता। अब पार्लियामेंट का सैशन (सत्र) खत्म होने जा रहा है और अगर इन तीन महीने के बीच में कोई कानून बनाने की जरूरत हो तो इस वास्ते जरूरी हो जाता है कि प्रैसीडेंट साहब को उस के लिये पावर्स दी जायें, लेकिन मैं चाहता यह हूं कि हम इस तरीके से न चलें कि जिस से लोगों के सामने हम रेडीकुलस (हास्यस्पद) मालूम हों। आखिर आप ने जो वहां की गवर्नमेंट को सस्पैंड (विलम्बित) किया, और प्रैसीडेंट रूल बनाया वह किस वास्ते कि वह गवर्नमेंट एक साल के अन्दर ३६५ दिन के अन्दर जरूरी कानून पास नहीं कर सकी, तो कल अगर आप से कोई सवाल करता है कि जनाब आप बतलाइये कि आप ने साठ दिन में क्या किया तो आप क्या जवाब देंगे। वहां की गवर्नमेंट ने ठीक है एक साल के अन्दर कुछ नहीं

किया, लेकिन आप बतलाइये आप ने साठ दिन के अन्दर क्या किया, आप कहेंगे—"हमें वहां पर बड़े जरूरी काम करने थे," ऐग्रेरियन रिफार्म्स की बिना पर आप ने वहां की गवर्नमेंट को सस्पेंड किया था। आप उस को किया जाना बहुत जरूरी समझते थे, लेकिन अगर वाकई आप उन को जरूरी समझते होते तो उन को यहां पर लाते। यह बात ठीक है कि आप को पचास बातें यहां लानी थीं, लेकिन अगर आप सब एक साथ नहीं ला सकते थे तो कम अज़ कम एक लाते, दो लाते या चार लाते। उस हालत में हम वहां की पबलिक पर अच्छा और माकूल इम्प्रेशन (प्रभाव) डाल सकते थे, तीन महीने तो हम बिल्कुल चुप रहे, एक भी लैजिस्लेशन नहीं लाये और जब पार्लियामेंट खत्म हो रही है तब आप कहते हैं कि हमें इन कामों को एडजोर्न (स्थगित) करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा, तो यह आप का कहना पबलिक पर अच्छा इम्प्रैशन नहीं डालने वाला है। मैं इस बात के हक में हूं कि प्रैसीडेंट साहब को पावर (शक्ति) दी जानी चाहिये, लेकिन फरवरी, मार्च और अप्रैल इन तीनों महीनों में हम जरूरी लेजिस्लेशन भी पास कर सकें और हम तीन महीने में कुछ नहीं कर पायें, मैं समझता हूं कि यह पोजीशन (स्थिति) रेडीकुलस (हास्यास्पद) है और मैं इस को अच्छा और मुनासिब नहीं समझता।

श्री अलगू राय शास्त्री : पिछले तीन महीनों में पार्लियामेंट और बहुत आवश्यक काम कर रही थी।

लाला अचिन्त राम : मालूम पड़ता है आप ने मेरी तकरीर को ध्यान से नहीं सुना, मेरा यह कहना है कि आप ने पहले तो पैप्सू के आदमियों को कहा कि आप के वहां ऐग्रेरियन रिफार्म्स बहुत आवश्यक हैं, और अब यह उन से कहना कि चूंकि हमें दूसरे आवश्यक काम करने थे, इसलिये हम उस काम को पोस्टपोन (स्थगित) कर रहे हैं, उस से उन लोगों पर यह इम्प्रैशन पड़ता है कि उन का काम इतना आवश्यक नहीं था जितने आवश्यक काम यहां पार्लियामेंट में चल रहे थे। मेरे ख्याल से यह गलत बात है। हम तो समझ में आ सकता है कि आप जितने सारे सुधार कानूनों में करने हों, वे यहां आवश्यक कामों में लगे रहने के कारण न कर पाये हों, लेकिन कम से कम वह काम जिस के लिये आप ने ऐलान किया और जिस ऐग्रेरियन रिफार्मस की बिना पर आप ने तमाम चीजों को सस्पैंड किया, उस को तो जरूर ही पास किया जाता। जहां आप ने ६० दिन खर्च किये वहां तीन दिन इस को पास करने में और सर्फ कीजिये। यह इम्प्रैशन न क्रीएट (पैदा) होने दीजिये कि उन की कुछ परवाह नहीं की गई। तीन महीने में हम ने कुछ भी उन के लिये काम नहीं किया, मैं समझता हूं कि कल हमें फिर पबलिक में जाना है इलेकशन (निर्वाचन) लड़ना है, इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि हम एग्रेरियन रिफार्मस को जल्द अज़जल्द करें, क्योंकि हम पबलिक की नुक्ता चीनी का क्या जवाब देंगे कि हम इतने बिजी थे कि जिस हेतु हम ने २६ सूबों में से एक की मशीनरी सस्पैंड कर दी, बावजूद सख्त मुखालफत के, हम ने आवश्यक भूमि सुधार अभी तक नहीं किये। जहां तक उस स्टेट (राज्य) के कांस्टीट्यूशन (संविधान) को सस्पैंड करने का ताल्लुक है, मैं उस से पूरी तरह सहमत हूं। जिस स्टेट में भी ठीक तरह वहां की गवर्नमेंट काम न चला रही हो उस को हटा देना ठीक है, चाहे वह किसी पार्टी की गवर्नमेंट क्यों न हो। और एक जगह हम ने कांग्रेस गवनमेंट को जो ठीक तरह काम नहीं कर रही थी, हटा दिया। इस सम्बंध में हमारे बोनाफाइडस तो ठीक हैं और हमारी नीयत भी बिल्कुल साफ है, लेकिन नीयत की सफाई का सबूत भी हमारी तरफ

[लाला अचिन्त राम]

से दिया जाना चाहिये। तीन महीने के लिये तो हम ने पार्लियामेंट को पावर दीं और अब तीन महीने बाद हम वह पावरस उस से वापिस ले कर प्रैसीडैंट साहब को देने जा रहे हैं, तीन महीने पार्लियामेंट ने बिना कुछ सुधार किये खामखाह गुज़ार दिये और उस के लिये आप की तरफ से यह दलील आना कि वक्त नहीं है, मैं समझता हूं कि वह कोई बहुत मजबूत और पायेदार दलील नही है, क्योंकि आप ने फ़रमाया है कि प्रेसीडेंट साहब जो कानून बनायेंगे वे कानून फिर पार्लियामेंट के सामने आयेंगे और पार्लियामेंट फिर भी तो उन को पास करने में अपना वक्त लगायेगी, इसलिये कोई वजह नहीं मालूम पड़ती कि वह उस काम को करने में अभी अपना वक्त क्यों न लगाये और क्यों आप उस को पोस्टपोन करते हैं। पहले पार्लियामेंट का मौजूदा सैशन आठ मई को समाप्त होने वाला था, अब वह सात आठ दिन के लिये और एक्सटेंड कर (बड़ा) दिया गया है तो मैं नहीं समझता कि इस जरूरी काम को करने के लिये हम को १५ मई को सत्तरह मई करने में क्या अड़चन है? जिनदिनों पार्लियामेंट सैशन में न हो, उन दिनों के लिये प्रैसीडेंट को कानून बनाने की पावरस देना, एक समझ में आने वाली चीज है और मैं उस को समझ सकता हूं, लेकिन ऐसा न कर के पार्लियामेंट जब कि सैशन में हो तब इस तरह की पावर्स प्रैसीडेंट को दे देना मेरी राय में पार्लियामेंट की एक थोड़ी सी हेटी है और माकूल बात नहीं मालूम पड़ती।

श्री अलगू राय शास्त्री : वह तमाम कानून जो इस अर्से में प्रैसीडेंट पास करेगा, वह पार्लियामेंट के सामने मंजूरी के लिये आयेंगे।

लाला अचिन्त राम : आप मेरी बात नहीं समझे मेरा कहना यह है कि पार्लियामेंट इन सैशन (सत्रासीन) है, इस लिये जो जरूरी कानून है जैसे ऐग्रेरियन रिफार्म्स का उस को पार्लियामेंट को पास करना चाहिये। इस का यह मतलब नहीं कि मैं प्रैसीडेंट को यह पावर्स देने के हक में नहीं हूं, इस के अलावा बहुत सारे मामले हो सकते हैं जिन को पार्लियामेंट डील नहीं कर (निबटा नहीं) सकती है, इस तीन महीने के अन्दर बहुत से ऐसे मामले पैदा हो सकते हैं जिन को प्रैसीडेंट को डील करना पड़े, लेकिन ऐसे मामले को जो जरूर किया जाना चाहिये उस को पार्लियामेंट जब इन सैशन है, वह डील क्यों न करे? चाहे संसद् सत्रासीन हो या न हो मैं समझता हूं कि यह चीज अच्छी नहीं मालूम पड़ती। कम से कम ऐग्रेरियन रिफार्म्स जिन के लिये आप ने वहां का कांस्टीट्यूशन सस्पेंड किया वह तो आप को करना ही चाहिये ताकि यह साबित हो सके कि आप की नीयत साफ थी और आप ने जो ऐक्शन लिया (कार्यवाही की) वह जस्टीफाइड (औचितयपूर्ण सिद्ध) हो सके। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा स्टैंड इनकंसिस्टेंट (असंगत) होगा और पैप्सू में जा कर मुंह नहीं दिखा सकेंगे। मैं अरज करना चाहता हू कि आप प्रैसीडेंट साहब को पावर्स दें लेकिन जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अमेंडमेंट (संशोधन) दिया है कि पैप्सू के जो यहां पर नुमाइंदे हैं उन से सलाह की जाये, तो मैं बताऊंगा कि पैप्सू और पंजाब आपस में इंटरवूवेन (सम्बद्ध) है, कपूरथला, फगवाड़ा और महेन्द्रगढ़ और जालन्धर यह आपस में मिले हुए हैं और उन की हर बात का असर हम पर पड़ता है और हमारा असर उन पर पड़ता है इसलिये मैं कहूंगा कि जो कांस्टीट्यूशनल ऐडवाइजर (संविधानिक मंत्रणाकार) बनें उन में पैप्सू और पंजाब के पार्लियामेंट के मैम्बर्स हों (ससंदसदस्य) हो। दूसरे यह बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट के अन्दर ऐग्रेरियन रिफार्म्स

को जरूर पास किया जाये। तीसरे आप भले ही प्रैसीडेंट को पावर्स दीजिये, लेकिन यह जो पंजाब और पैप्सू के मैम्बर्स को ले कर एक ऐडवाइजरी कमेटी बनाने का सुझाव है जो प्रैसीडेंट को मशविरा दे सके, यह बहुत जरूरी है और इसको गवर्नमेंट को जरूर मंजूर करना चाहिये, क्योंकि गलती हर एक से होना संभव है, और प्रैसीडेंट और गवर्नमेंट चाहे कितनी ही लायक क्यों न हो, दोनों से गलती हो सकती है, इसलिये यह सुझाव मंजूर किया जाना चाहिये। इस का फायदा यह होगा कि गवर्नमेंट इस गलती से बच जायेगी कि किसी आदमी ने हमें यह बात सुझाई नहीं थी अब यह कह सकेंगे कि मश्वरे से बात हुई। इस तरह आप की पोज़ीशन मजबूत होगी। आप पबलिक का फायदा कर सकेंगे

उपाध्यक्ष महोदय : सदन को याद होगा कि जिस समय प्रारम्भ में कार्यक्रम बनाया गया तो पैप्सू (शक्ति प्रतिनिधित्व) विधेयक के लिये एक दिन रखा गया था। कल हम से १९ मिनट लगाये, और आज हमें, निसंदेह, १ बजे तक इस विधेयक के सभी चरणों को समाप्त करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यहां सदन में कई एक सदस्य ऐसे भी हैं जो यद्यपि पैप्सू के नहीं, फिर भी संसद् की शक्तियां पूर्ववत् रखने में दिलचस्पी लेते हैं। वे यह कहना चाहेंगे कि क्या संसद् इस प्रकार की शक्तियां प्रदान करेगी अथवा नहीं।

श्री नामधारी (फाजिल्का-सिरसा) : आप प्रत्येक को पांच मिनट दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार हो सकता है। अब हम किस समय इस विचार विमर्श को छोड़ कर खंड ३ के ६ संशोधनों को उठायेंगे। क्या हम ११-३० या १२ बजे से प्रारम्भ करेंगे ?

कुछ माननी यसदस्य : १२ बजे से।

उपाध्यक्ष महोदय : १२ बजे तक विचार-विमर्श समाप्त हो जायेगा। और एक बजे तक तीसरा पाठ समाप्त होगा।

और अब मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि कई एक सदस्यों ने कई एक बातों पर भाषण दिया है किन्तु उन सभी का यही सार है कि क्या शक्ति प्रदान की जायेगी अथवा नहीं, तथा क्या संसद् को इस के लिये कोई समय निकालना चाहिये या नहीं, और क्या संसद् सत्र के समय शक्ति प्रदान की जानी चाहिये। तो ऐसी ही बातों पर स्पष्टीकरण हो सकता है अतः मैं प्रत्येक सदस्य को १० मिनट दे सकता हूं।

अब, श्री मुसाफिर अपने विचार प्रकट करें।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, यदि आप इस पक्ष से भी लोगों को बुलायें, तो इन बातों पर अधिक प्रकाश पड़ सकता है।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर (अमृतसर) : सभापति जी, जैसा कि आप का फरमाना है, मैं समझता हूं कि यह बहस वैसे भी यहां तक ही महदूद रहनी चाहिये और वक्त भी बहुत थोड़ा है, इसलिये मैं बगैर कोई और तमहीदी बात कहे अपनी यह राय देता हूं कि इस वक्त इस बिल को यहां अगर इसी शक्ल में पास कर दिया जाये तो भी इस में कोई हर्ज नहीं है। पंजाब का मुआमला जब हमारे सामने आया था तो उस वक्त भी यहां कुछ तकरीरें हुई थीं। हमारा आपस में तमहीद था और मेरी उस वक्त भी यह राय थी और बाद में तजरबा ने साबित किया कि मेरी राय ठीक थी। क्योंकि जो उस वक्त प्रैसीडेंट साहब ने पंजाब के मुताल्लिक अच्छी तरह सोच समझ कर जो बिल पास किये थे वह उन बिलों से बहुत अच्छे थे जो बिल पहले पंजाब में पास हो चुके थे। मगर एक बार फिर म अपनी राय का इज़हार करता

[ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर]

हूं । पंडति ठाकुर दास जी ने जो तजवीज पेश की है और लाला अचिंत राम जी ने जिस की ताईद की है मैं उस के हक में हूं । यह दोनों बातें इस हालत में ठीक हो जाती हैं कि अगर पैप्सू के मैम्बरान से मशवरा कर लिया जाये और अगर पंजाब के मैम्बर भी साथ में मिला लिये जायें तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं । इन से मशवरा करने के बाद कोई बिल पार्लियामेंट में आना है । और आना भी चाहिये । तो इस में कोई हर्ज नहीं है । वक्त भी बच जायेगा और काम भी हो जायेगा । लाला अचिंत राम जी ने फरमाया है कि लोग हमें यह कहेंगे कि हम ने एक ताकत ली और फिर उसे प्रैसीडेंट साहिब के सुपुर्द कर दिया । कोई भी हायर बाडी जब कोई ताकत लेती है तो इसीलिये लेती है कि अपनी इस शक्ति को बांट दे । और जब इन बिलों को दोबारा यहां आ ही जाना है तो वह एतराज भी खत्म हो जाता है । और हमारा काम भी हो जाता है ।

दूसरी जो बातें हैं, यानी इस तरह की बातें कि यह राजप्रमुखों वग़ैरा की संस्था के खत्म करने का जो सवाल है जब यह पार्लियामेंट में आयेगा तो मेरा ख्याल है कि हमारे कम्यूनिस्ट मैम्बर जो अक्सर इस बात पर जोर देते हैं, हम शायद उन से भी कुछ ज्यादा आगे हो कर इस बात की ताईद करें कि यह संस्था खत्म हो । मगर यहां पर इस बात पर ज्याद बहस करने की ज़रूरत नहीं है । इस लिये मैं इधर उधर की बातों के कहे बगैर इस बात पर ज्यादा जोर देता हूं कि जो ठाकुर दास जी की तरमीम है वह मान ली जाये । और पैप्सू और पंजाब के मैम्बरान के मश्वरे से कोई बिल प्रैसीडैंट साहिब पास कर दें तो इस में कोई हर्ज नहीं है । वक्त भी बच जायेगा और काम भी आसानी से हो जायेगा ।

इन अल्फाज के साथ में इस के मुताल्लिक अपने ख्याल का इजहार करता हूं ।

श्री पुन्नूस : मैं तीन कारणों से इस विधेयक का विरोध करता हूं : पहला यह है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने से सरकार पैप्सू में अपने प्रजातन्त्रवादी उद्देश्यों से हट जाती है । दूसरा यह कि इस अल्पकालीन राष्ट्रपतिशासन से पैप्सू के लोगों में कोई भी विश्वास पैदा नहीं होगा तो वे इस सदन पर ही अधिक विश्वास करेंगे । और तीसरा यह कि इस विधेयक के परिणामस्वरूप आप ३५ लाख लोगों को एक ऐसी भ्रष्ट नौकरशाही की दया पर छोड़ देंगे, जहां राजप्रमुख का अध्यक्षत्व है ।

मैं सदन को माननीय गृह मंत्री का १२ मार्च का वह भाषण स्मरण कराता हूं जब कि वह पैप्सू में विधान को स्थगित कराने की स्वीकृति लेने आये थे । चुनाचि गृह मंत्री जी हम से इस बात का विश्वास कराना चाहते थे कि यह संसद् पैप्सू में होने वाली हर कोई चीज के लिये उत्तरदायी होगी । और जब ऐसी बात पर विरोध हुआ था तो गृह मंत्री जी परेशान हुए थे, उन्हों ने हमारे उस विरोध को बुरा माना था । उन्हों ने ईमानदारी का दावा करते हुए यह कहा था कि इस प्रकार के शासन से पैप्सू के लोगों के साथ अच्छा बर्त्ताव होगा, और यह भी बताया था कि ६० या ६५ सदस्यों के छोटे विधान मंडल के स्थान पर उन्हें ५०० सदस्यों वाली लोक सभा का रक्षण प्राप्त होगा । चुनांचि उन्हों ने उस समय के भाषण में हर प्रकार की तसल्ली देते हुए यह भी कहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं कि कोई अधिकारी वर्ग पैप्सू का भार नहीं संभालना चाहता हो । न तो ऐसा होगा कि भारत सरकार अथवा राष्ट्रपति अपनी मनमानी कर लेना

चाहता हो। श्रीमान्, मुझे मालूम है कि तारांकित प्रश्न पूछने की काफी गुंजाइश है, और आधे घंटे की चर्चा की पूर्व सूचना भी दी जा सकती है, किन्तु तारांकित प्रश्नों और आधे घंटे के विवादों से शासन चलाने की प्रथा लोकतन्त्र में एक नई चीज दीख रही है। मुझे गृह मंत्रालय और पैप्सू सरकार के इस आपसी व्यवहार को देख कर उस अरबी और ऊंट की कहानी याद आ जाती है कि ऊंट ने किस तरह पहले उस के तम्बू में नाक डालने के लिये जगह मांगी और अन्ततः वह ऊंट ही उस तम्बू का मालिक बन बैठा। किन्तु पैप्सू के लोगों के लिये इस प्रकार का हस्तक्षेप असह्य हो रहा है।

इस पक्ष से यह आवाज लग रही थी कि पैप्सू में संविधान को स्थगित नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इस से प्रजातन्त्र हेच पड़ जायेगा और हम ने यह भी कहा कि आप पैप्सू-वासियों को भ्रष्ट पदाधिकारियों के हवाले कर रहे हैं, और वहां भी किसान तथा मजदूर जनता के आन्दोलन को दबा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री ने तीन अभिप्रायों की घोषणा की। उन में से पहला यह है कि 'सार्वजनिक जीवन की भद्रता' पैदा होगी या अन्य शब्दों में, निर्बाध और शुद्ध चुनाओं की स्थिति पैदा हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम इस विस्तार में जा रहे हैं कि पैप्सू प्रशासन को संभालने के साधारण कारण क्या हैं ?

श्री पुन्नूस : आप के विनिर्णय सुनने से पहले मैं कुछ निवेदन करूंगा। मैं अपनी कठिनाई का स्पष्टीकरण मात्र करूंगा। माननीय गृह मंत्री यह चाहते हैं कि यह विधेयक पारित हो जाये, और वह राष्ट्रपति अधिनियमों के अनुसमर्थन के लिये कभी कभी संसद् के समक्ष उपस्थित होते हैं। मेरा यह प्रतिवाद है कि इस प्रकार के आचरण से संसद् पैप्सूवासियों को एक भ्रष्ट नौकरशाही तथा एक अति संदिग्ध एवं अति घृणित राजप्रमुख के हाथों सौंपेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें पैप्सू के प्रशासन के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या विधायक शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी जायें अथवा प्रत्यक्ष रूप से पैप्सू के प्रतिनिधियों एवं भारत के अन्य स्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा, जो यहां वर्तमान हैं प्रयोग में लाई जायें। रहा प्रशासन का प्रश्न वह पैप्सू बजट के समय चर्चा में लाया जायेगा। यहां तो विधान की बात है।

श्री पुन्नूस : बात सीधी सी है कि यदि राष्ट्रपति को विधायक शक्ति दी जाती है, तो सदन को ही, साधारण रूप में, उन के अधिनियमों का समर्थन करना पड़ता है। इसी बात को हमें अतिशीघ्र निपटाना है। और जब तक राष्ट्रपति के विधायक-कार्य के प्रयोग में लोगों की इच्छा सम्मिलित नहीं रहती तब तक इस बात का खतरा रहता है कि राष्ट्रपति राज्य मंत्रालय के ही परामर्श पर चलना पड़ेगा, और यह राज्य मंत्रालय, जैसा कि किसी सदस्य ने कहा, जनता की सेवा नहीं कर सकता। इसी बात पर हम तर्क करने का प्रयत्न करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भय है कि माननीय सदस्य इस बात की बारीकी को नहीं समझे हैं कि किसी भी विधान की स्थिति में वह चाहे प्रत्यक्षतः इस सदन द्वारा पारित हुआ हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा पारित और अनुसमर्थन के लिये इस सदन को भेजा गया हो, सभी स्थानीय पदाधिकारियों और अन्य लोगों से परामर्श लिया जायेगा, और संरक्षण के रूप में यह संसद् इस बात पर सदा विचार कर सकती है। अब देखने की बात यह है कि क्या राष्ट्रपति को ही विधान पारित कर के उसे अनुसमर्थन अथवा संशो-

[उपाध्यक्ष महोदय]

धन-रूपभेद के लिये संसद् में भेज देना चाहिये, या संसद् को ही इसे सर्व प्रथम पारित करना चाहिये । स्थिति कुछ भी हो, क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि स्थानीय पदाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों से इस बारे में परामर्श नहीं किया जायेगा ? सीधी सी बात यह है कि क्या राष्ट्रपति को विधायक शक्ति दी जानी चाहिये अथवा नहीं । प्रशासन से सम्बन्धित अन्य मामले इस चर्चा के लिये संगत नहीं होंगे । अब तो यह प्रश्न है कि क्या राष्ट्रपति ही पहले विधेयक पारित करेगा, और बाद में अनुसमर्थन या संशोधन के लिये इस सदन को भेजेगा, अथवा क्या अतिरिक्त समय तथा अन्य बातों के विचार को छोड़ कर संसद् ही यह काम कर लेगी। माननीय सदस्य कृपया इसी बात तक सीमित रहेंगे ।

श्री पुन्नूस : यदि उक्त मंत्रालय ने इन महीनों में हमें कोई आश्वासन दिया होता तो मैं ने इस विधेयक का समर्थन किया होता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रशासन और विधान दो भिन्न बातें हैं । मान लीजिये कि प्रशासन ठीक नहीं है, तो क्या हम उसके विस्तार में जायेंगे। अब जो बातविचाराधीन है, वह यह है कि विधान बनाने का काम पहले किस के द्वारा होना चाहिये--संसद् द्वारा अथवा राष्ट्रपति द्वारा ?

श्री पुन्नूस : मैं तो विस्तार में नहीं जा सकता । किन्तु मैं आशा करता हूं कि मुझे संसद् से यह कहने का अधिकार है कि ये शक्तियां राष्ट्रपति को नहीं दी जायें। माननीय मंत्री ने हमें पदाधिकारियों के सम्बन्ध में कई बातें कहीं मुझे बतलाया जाता है कि अब पैप्सू में बाहर का केवल एक आई० सी० एस० पदाधिकारी है । अभी भी वे सभी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और अभी उस रोज़ माननीय गृह मंत्री ने उन पदाधिकारियों के सम्बन्ध में बतलाया भी था । उन्हों ने कहा ....

उपाध्यक्ष महोदय : खेद है कि माननीय सदस्य मेरी कठिनाई नहीं समझ पाते । हम इस समय इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहते कि प्रशासन के लिये कितने पदाधिकारी रखे गये हैं, आदि । प्रश्न सीधा सा है कि विधान का कार्य राष्ट्रपति द्वारा होना चाहिये अथवा नहीं । प्रशासन की बुराई या भलाई तो बिल्कुल असंगत बात है ।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, मुझे एक बात का स्पष्टीकरण चाहिये । राष्ट्रपति जी कोई विधान कानून की स्थिति में प्रस्तुत करना चाहते हैं । तो मेरी यह कठिनाई है कि उन पर जिन के परामर्श का प्रभाव पड़ेगा वह ....

उपाध्यक्ष महोदय : विधान के सम्बन्ध में उसे सदा परामर्श दिया जाता रहेगा।

श्री पुन्नूस : विधान बनाने के सम्बन्ध में?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी माननीय मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत विधान के सम्बन्ध में उन्हें स्थानीय यानी उस विभाग के पदाधिकारियों द्वारा परामर्श मिलेगा अर्थात् यदि पत्तन का मामला हो तो सम्बद्ध पत्तन न्यास अथवा पत्तन अधिकरियों से परामर्श लिया जायेगा । और जो भी अन्य व्यक्ति होंगे उन से परामर्श किया जायेगा, तथा अन्त में सदन का मत भी लिया जायेगा । अतः इस बात की उपेक्षा नहीं हो सकती कि उन विभागीय पदाधिकारियों द्वारा विधान का वह कार्य पूरा किया जायेगा भले ही राष्ट्रपति अथवा संसद् वह विधान पारित

करे। यह तो एक स्वतंत्र विषय है जिसे पैप्सू बजट के लिये ही अलग रखा जा सकता है। अतः, हमें केवल इसी बात तक सीमित रहना चाहिये।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस विषय पर और कुछ नहीं कहेंगे। जो भी बातें यहां पूछी गई हैं, उन का उत्तर दिलाने के लिये मैं माननीय मंत्री को ११-३० म० पू० पर बुलाना चाहता हूं।

श्री क० के० बसु : मेरे विचार में उसके लिये एक दिन निश्चित किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि इस सारे विधेयक को १ बजे तक समाप्त करना पड़ेगा : १२ बजे तक इस पर विचार-विमर्श होगा और उसके बाद खण्डवार विचार आरम्भ होगा।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री न विधेयकों की एक सूची पढ़ कर सुनाई थी, और कहा जाता है कि सरकार उन विधानों को शीघ्र ही पैप्सू में लागू करना चाहती है। इस से हमें कुछ और खतरा भी दीख रहा है। उदाहरण के तौर पर श्रेष्ठ स्वामित्व अधिकारों को उन्मूलन कराने वाला एक विधेयक भी है। चुनाचि इस विधान के लागू होने से लाखों लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मुझे माननीय गृह मंत्री द्वारा कहे गये ये शब्द बार २ याद आ जाते हैं कि पैप्सू में एक काम चलाऊ सरकार रखी गई है। उन्होंने बार बार यह बात कही है, और इस में हमें कुछ आश्चर्य लग रहा है कि एक 'कामचलाऊ सरकार' इतना बड़ा विधान बनाने जा रही है। मैं एक और बात भी बतलाना चाहता हूं। यह आला मिलकियत उन्मूलन बिल दिसम्बर १९५२ में पैप्सू सभा में बिना किसी विभाजना के पारित हुआ था। और भूराजस्व की आठ गुना राशि क्षतिपूर्ति के लिये रखी गई थी। पैप्सू विधान सभा में कांग्रेस पार्टी अधिक ज़ोर में हुई और भूराजस्व पर प्रति रुपया एक पैसे का प्रस्ताव किया, उनके बाद युनाइटेड फ़्रंट (संयुक्त दल) ने ज़ोर पकड़ा, और उसने इसे घटा कर प्रति रुपया एक पाई रखा। इसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिये भेजा गया। उन्होंने इन्कार किया, और जब राज्य-परिषद् में इस बात पर ज़ोर दिया गया तो माननीय वित्त मंत्री ने बतलाया कि राष्ट्रपति ने स्वीकृति देने से इन्कार नहीं किया था। तथ्य यह था कि उस विधेयक को स्वीकार करने से इन्कार किया गया था, और वापिस भेजा गया था। और वर्तमान विधेयक से बिस्वेदारों को ५ गुना भूराजस्व मिल सकता है। अब बताइये कि एक पाई के बजाय यह प्रजातन्त्रवादी पैप्सू सरकार में ५ गुना भूराजस्व दे ही है। पैप्सू विधान सभा ने एक विधेयक स्वीकार किया था जिस के अनुसार एक पाई प्रति रुपया क्षतिपूर्ति दिया जाता। तो वह इस प्रकार की सरकार चाहते हैं, और इसीलिये वह इस संसद् से हर किसी बात पर अपनी "रबड़ की मुहर" लगवाना चाहते हैं।

इसके बाद पैप्सू काश्तकारी अधिनियम है.............

उपाध्यक्ष महोदय : हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं।

श्री पुन्नूस : ये बातें मंत्री द्वारा उल्लिखित हो चुकी हैं; और इन ही के लिये वे यह चाहते हैं कि ....

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया कि इन ही विधान-खण्डों पर सरकार विचार करेगी।

[उपाध्यक्ष महोदय]
जिस समय सदन के समक्ष ये खण्ड आयेंगे, आप इन पर पर्याप्त चर्चा कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं ने एक का उल्लेख किया। यही पर्याप्त है। और दूसरे विधानों के विस्तार में जाना बिल्कुल असंगत है।

श्री पन्नूस : यह तो कोई विस्तार नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक विधान खण्ड का पर्याप्त भाग सुन चुके हैं।

श्री पुन्नूस : उदाहरण के तौर पर, मंत्री जी ने बतलया। मैं यह प्रस्तुत करना चाहता हूं ....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, और एक मिनट बोलने दीजिये। उन्होंने बतलाया कि नाटक प्रदर्शन अधिनियम नाम का एक कानून कार्यान्वित करूंगा। यह विधान कुछ समय तक संविधि पर था। बहुत अधिक विरोध होते हुये पैप्सू के मंत्रालय ने इसे बेकार कर दिया। अब माननीय गृह मंत्री तथा उनकी सरकार वहां उनके पास प्रजातंत्र की घोषणा ले कर जाते हैं और नाटकों के साधारण प्रदर्शनों को भी दबाते हैं।

चूंकि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही विध्वंसक है, और पैप्सू के लोगों पर इसका और भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसीलिये हम इसका विरोध करते हैं। पैप्सू में आतंक का राज्य छाया हुआ है (अन्तर्बाधा) हां, मैं इसीलिये कह रहा हूं क्योंकि सैंकड़ों गांवों के गिर्द तार का बाड़ा लगा हुआ है, और वे बाहर नहीं जा सकते। अतः इस संसद् को सोच समझ कर ही .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को भाषण समाप्त करना पड़ेगा। डा० सत्यवादी।

श्री नामधारी : में सीमा पर के निर्वाचन-क्षेत्र का हूं अतः मुझे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ—दक्षिण) उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : वह उसी क्षेत्र के हैं।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : मैं उस क्षेत्र का हूं जो सीमा पर है।

११ म० पू०

डा० सत्यवादी (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल में दिलचस्पी है, इसलिये कि मेरा हल्क़ा पैप्सू के साथ लगता है और दूसरे यह कि मैं ख़ुद पैप्सू के इलाक़े में रहता हूं। सवाल मुख्तसर सा है कि हम प्रैसीडैंट को क़ानून बनाने का अख्तियार दें या न दें। ज़ाहिर है कि ख़ास हालत में ऐसा किया जा रहा है। जिन क़वानीन के मुतालिक़ आनरेबिल मिनिस्टर (माननीय मंत्री) ने अभी ज़िक्र किया है, हम सब जानते हैं कि वे पहले ही बहुत देर से ओवरड्यू (विलम्बित) हैं। लोग उन के मुन्तज़िर हैं। बिजिनैस कमेटी (कार्य संचालन समिति) ने जो प्रोग्राम हमारे सामने रखा है, ज़ाहिर है कि बाक़ी के जो दिन इस इजलास के हैं, और उस में जो हमारे सामने जो एजेंडा है, वह सब का सब महत्व का है और ज़रूरी है। तो या तो वह सफ़र करे (रह जाये) या यह। हम सब महसूस करते हैं कि उसे सफर नहीं करना चाहिये। तो मैं समझता हूं कि जो ख़ास बात यहां है वह यह है कि जो क़ानून प्रैसीडैंट को बनाने हैं उन को

पार्लियामेंट के सामने आना है। तो जो दरमियानी अरसा इसमें लगेगा वह महीना, दो महीना हो या कुछ इस से ज्यादा समय इस में लग सकता है। इसका एक और भी पहलू है। वह यह कि न सिर्फ़ वे क़वानीन हमारे सामने आवेंगे, बल्कि उन के साथ उन पर अमल करने के सिलसिले में जो तजुर्बा होगा वह तजुर्बा भी हमारे सामने आवेगा। उस तजुर्बे की रोशनी में हम उन क़वानीन पर ज्यादा अच्छी तर से ग़ौर कर सकेंगे।

चिनारिया जी ने अभी यह बात कही थी कि ग्रानरेबिल डाक्टर काटजू ने पैप्सू के मरीज़ के लिये जो नुस्खा तजवीज़ किया है वह अच्छा है। उस के साथ ही साथ पैप्सू के मरीज़ की जो हालत बयान की थी उस को सामने रख कर इस बात की अहमियत और बढ़ जाती है कि हम जल्दी से जल्दी इस क़ानून को पास करें और इस नुस्खे को वहां इस्तेमाल होने दें। हम इस बहस में ज्यादा वक्त लेंगे तो अन्देशा है कि वहां के मरीज़ की हालत और ज्यादा नाजुक हो जाय जैसा कि फ़ारसी के किसी कवि ने कहा है कि :

ता तरयाक अज़ इराक आवुर्दा शवद,
मार गुज़ीदा मुर्दा शवद

इसलिये ज़रूरी है कि हम इस काम में जल्दी करें और कोई बहुत ज्यादा इस पर बहस करने की ऐसी ज़रुरत नज़र नहीं आती; मुझे तो एक बात और कहनी है कि न सिर्फ़ यह कानून जल्दी से हम इस तरह से पास करके यह अख्तियार प्रैसीडेंट साहब को दें, बल्कि इस से आगे यह भी देखें कि वे क़वानीन जब वहां लागू हों तो उन पर इसी तेज़ी से, बल्कि और भी ज्यादा तेज़ी से अमल किया जाय। पटियाले की एक बात बहुत मशहूर है कि वहां आग लगने पर छः महीने के बाद उस के बुझाने की इज़ाजत दी गई थी। शायद यह कोई पुरानी बात हो, या ऐसी बात हो जो लोगों ने बनाली हो। लेकिन मुझे तो ऐसी बातों का इल्म है कि वहां मैशीनरी इस तरह से काम करती है कि क़ानून बनने पर भी क़ानून लागू होने में कितना वक्त लगता है और उन पर किस तरह से अमल होता है। यह शायद सन् १९४२ की बात है कि एक फरमाने शाही जारी हुआ था और उस में यह कहा गया था कि रियासत पटियाला में जिस क़दर नज़ूल की ज़मीन है वह नज़ूल की पुरानी हिदायत ख़त्म कर दी जाये और जहा जहां वे नज़ूल की ज़मीनें जिस तरह से हैं उसी हालत में उन्हें छोड़ दिया जाय। मेरा ख्याल है कि उस फ़रमाने शाही पर आज तक भी अमल नहीं हुआ, क्योंकि मैं कोहिस्तान के ज़िले में रहता हूं, वहां मुझे इस तरह की नज़ूल की ज़मीनों का इल्म है कि वह उसी तह से पड़ी हुई हैं और वह फ़रमाने शाही भी उसी तरह से है। मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिस पर दो छोटे मकान बने हुए हैं, कच्चे। उसका मालिया कोई चार आने बनता है। संवत् १९८८ में उस टुकड़े के मुताल्लिक एक शिकायत सरकार में हुई, और उस नज़ूल की तहक़ीक़ात शुरु हुई।

[**श्री पाटसकर** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

यह संवत् ८८ की बात है, जिसे इक्कीस बाईस वर्ष हो जाते हैं। लगभग पन्द्रह वर्ष तक वह तहक़ीकात इसी तरह से लटकी रही और उस सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं होने दी गयी। मुझे उस सिलसिले में मालूम हुआ मैंने उसमें दिलचस्पी ली और जाकर अफ़सरों से मिला तो तहसीलदार साहब ने मुझे फाइल देख कर बतलाया

[डा० सत्यवादी]

कि इसमें एक दो गवाहियों की ज़रूरत है, वे गवाह अगर आ जायें और पेश हो जायें, तो उसके बाद यह मामला ख़त्म हो जायगा। यह अब से छः साल पहले की बात है। वे दो गवाह वहां पेश कर दिये गये और यह मालूम हुआ कि अब इस हफ्ते में शायद मुक़दमा खत्म हो जायगा, लेकिन बदक़िस्मती कि वह तहसीलदार इसी बीच वहां से तबदील हो गये और मुकदमे की कार्यवाहियां मुकम्मिल हो जाने पर, और छः साल बीत जाने पर भी उस पर आखिरी फ़ैसला अदालत ने नहीं लिखा। अबसे कोई छः महीने की बात है कि मैं ने अपने बुज़ुर्ग सरदार हुक्मसिंह से इस सिलसिले में थोड़ी सी इमदाद चाही और उन्होंने बड़ी इनायत फ़रमाई। फिर मैं जाकर वहां डी० सी० से मिला, उन्होंने भी मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की और अहलकारों को बुलवाकर डांटा डपटी की कि यह सब क्यों हो रहा है। और मैं आपकी इत्तिला के लिये अर्ज़ करूं कि उसके बाद उन्होंने फिर मुझे कहा कि वह तो जो होना था हो गया, अब आप उनको मशविरा दें कि दुबारा एक गवाह ले आयें और तब यह बात ख़त्म हो जायेगी। पिछले सितम्बर की बात है कि वे दो गवाह गुज़ार दिये गये, लेकिन वह मुक़दमा ख़त्म नहीं हुआ और उसी तरह से लटका हुआ है। २३ साल इस मुकदमे को चलते हुए हो गये। मुझे एक दूसरे मुक़दमे का इल्म है कि नालागढ़ रियासत में तक़रीबन बत्तीस तैंतीस साल से लटका चला आता है। अभी दो, चार रोज़ की बात है कि नालागढ़ के एक दोस्त और अहलकार को स्मौल सेविंग स्कीम (छोटी बचत योजना) के सिलसिले में कोई मुलाज़मत दी गयी। उनके तनख्वाह और डियरनेस अलाउन्स (मंहगाई भत्ते) की कुछ बात थी। वह बेचारे मेरे पास आये और कहने लगे कि इससे सम्बन्धित कागज़ात पैप्सू वाले सैंटर में भेजते हैं, और आज चार, पांच साल से उनको बराबर दौड़ाया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ़ क़ानून को जल्दी पास कर देने से ही काम नहीं चलेगा। ज़रूरत इस बात की होगी कि हम यह देखें कि उस क़ानून पर अमल भी होता है या नहीं क़ानून तो आज से पहले भी वहां पास होते रहे हैं और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि फ़रमान शाही भी वहां जारी होते रहे हैं जिसकी अहमियत को हम समझ सकते हैं कि उस ज़माने में उसकी कितनी क़ीमत थी। लेकिन जब सन् १९४१ और १९४२ के फ़रमान शाही पर सनँ १९५२ और १९५३ तक अमल नहीं हो रहा है, तो देखना यह होगा कि वह सारी की सारी मशीनरी जो वहां बैठी हुई है, उस तमाम मशीन के ज़ंग आलूद कल पुर्ज़े आज भी उसी तरह से लगे हुए हैं, तो हमें इन चीज़ों पर नज़र रखनी होगी। इस बात से मुझे इत्तिफ़ाक है और जैसा कि अभी पंडित ठाकुर दास भार्गव ने और ज्ञानी जी ने फ़रमाया, पंजाब के मामले में जिस तरह से आपने किया था, यहां भी यह बात बड़ा आसानी के साथ हो सकती है कि पंजाब और पैप्सू के वे लोग जो वहां के हालात से वाकिफ़ हैं और इंटरेस्टेड हैं, उनसे उस मामले में और अमनोअमान क़ायम करने के सिलसिले में मशविरा ले लेना चाहिए। मैं पैप्सू पर प्रेसीडेंट का अधिकार हो जाने के बाद जब यहां उस सम्बन्ध में हमारे सामने बात आई, उसके बाद पैप्सू के उस लाक़े में जहां मैं रहता हूं, घूमा हूं, वहां के ज़िम्मेदार लोगों से बातें कीं और मैं ने ऐसा महसूस किया है कि आम जनता ने इस नये इन्तज़ाम का हार्दिक स्वागत किया है। इसके पहले उनके गले पर जो फंदा था, वह गिरफ़त कुछ ढीली

हो गई है और जनता को इससे कुछ संतोष पहुंचा है। जब हम हालात को देखते हैं और अमनोअमान के इन्तज़ाम के मामले को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस नये इन्तज़ाम में हालात में काफ़ी तरक्क़ी हुई है, ऐसा पबलिक महसूस करती है, लोग पहले से काफ़ी मुत्तमईन हैं और वे मुंतज़िर हैं उन क़वानीन के लिये जो बहुत दिन से पास होने बाक़ी हैं, जैसे भूमि सुधार और हरिजन सम्बन्धी क़ानून। उनके सम्बन्ध में पैप्सू बजट के मौके पर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। बहरहाल मैं और अधिक न कहकर सिर्फ़ यह कहना चाहूंगा कि जो पेप्सू और पंजाब के नुमाइन्दे हैं उनसे मशविरा करके आप वहां का इन्तजाम चलायें और जो ज़रूरी क़वानीन हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पास करें। इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं इस क़ानून की ताईद करता हूं।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल--पश्चिम कटक): श्रीमान्, सभापति जी डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने अपने भाषण में जो सुझाव दिये हैं मैं उनकी ज़ोर के साथ ताईद करता हूं और उन्होंने इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट के मेम्बरों को जो ज़िम्मेदारी बतलायी है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे मुल्क में और समाज में यह एक रिवाज है कि हमारे ऊपर जो लोग हैं वे सब काम करें हम कुछ न करें और हम कोई जिम्मेदारी न लें। ऐसी बात शास्त्री जी (अलगूराय)) के मुख से आयी कि प्रेसीडेंट सबसे बड़ा है, निरपक्ष है, उनके हाथ में हमारी जो ज़िम्मेदारी है, उसको हम सौंप दें और ऐसा करना हमारे लिए गौरवमय बात होगी। मैं इस बात की मुख़ालफ़त करता हूं। इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि सब कोआपरेट करें सहयोग करो, तो सहयोग होगा कैसे, मत्थे में कुछ इल्म रखकर उसको लागू करने से ही तो होगा। आप पार्लियामेंट की जो ज़िम्मेदारी है उसको खो देना चाहते हैं और इसको गौरवमय काम कहते हैं। यह बड़े ताज्जुब की बात है और मैं इसकी मुख़ालफ़त करता हूं। शास्त्री जी ने कहा कि अभी हम रात को बैठ कर पैप्सू के लिये क़ानून बनायें, यह जल्दबाज़ी का काम होगा, यह नहीं है, अभी होम मिनिस्टर साहब ने मार्च महीने में जब पैप्सू के कांस्टीटयूशन को सस्पेंड किया तो हमने उसका विरोध किया और मुख़ालफ़त की, लेकिन हमारा विरोध होते हुए भी कांग्रेस ने अपनी मैजारिटी (भारी बहुमत) से उसको पास करा लिया। तब से दो महीने हो गये और इस अर्से के अन्दर पैप्सू के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं आया, कोई क़ानून नहीं पास कराये गये। अब जब सैशन ख़त्म होने जा रहा है, तब यह बात आती है पार्लियामेंट के ऊपर जो ज़िम्मेदारी इस सम्बन्ध में है, उस जिम्मेदारी और अधिकार को हम प्रेसीडेंट को सौंप दें और प्रेसीडेंट पार्लियामेंट के नान सैशन डेज़ में (सत्र न हों उन दिनों) में उसका काम चलायें। मैं कहता हूं कि जल्दबाज़ी यह है, और मैं कहना चाहता हूं कि शास्त्री जी जल्दबाज़ी यह है जो एक मर्त्तबा पार्लियामेंट को अधिकार सौंपे जाते हैं और उस दो महीने के अर्से में जो ज़रूरी क़ानून थे, वे पार्लियामेंट द्वारा बनवाये जा सकते थे, लेकिन ऐसा न किया जा कर अब सारे अधिकार पार्लियामेंट से छीन कर प्रेसीडेंट के हाथ में दिये जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि यह सरकार की जल्दबाज़ी है और धोकेबाजी है और पार्लियामेंट के जो पांच सौ मेम्बरान हैं उनकी जो अक़्ल है और ज्ञान है, उसका लाभ उठाकर जो क़ानून बन सकेंगे, वैसे क़ानून चाहे प्रैसीडेंट हों अथवा उनके अफ़सरान हों, नहीं तैयार कर सकेंगे।

[श्री सारंगधर दास]

यह है डिमाक्रेसी की जिम्मेदारी । हम इस को छोड़ना नहीं चाहते हैं । मैं पार्लियामेंट के मेम्बरान से चाहे वे कांग्रेस के हों या किसी दूसरे दल के हों सब से यह अर्ज़ करता हूं कि आप सब अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और यह जो बिल होम मिनिस्टर साहब लाये हैं उस को फेंक दें । तभी आप 'ट्रू टु योर साल्ट' हो सकेंगे । और जो एलेक्टोरेट (निर्वाचक गण) के वोट ले कर आये हैं उस की जिम्मेदारी को अदा कर सकेंगे ।

मैं इतना ही कह कर आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री रणजीत सिंह (संगरूर): यह विधेयक पारित हो जाने से राष्ट्रपति को पैप्सू के बारे में विधान बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा । किन्तु कुछ महीने ठहरने के बाद ऐसे विधेयक पारित किये जा सकते हैं । अपेक्षा यह है कि अगले कुछ महीनों में पैप्सू में चुनाव संपन्न हो जायेंगे और पैप्सू की विधान सभा काम सम्भाल लेगी । ऐसे विधेयक पारित करने का काम उक्त विधान सभा को सौंपा जा सकता है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : अभी जो स्पीच आप की हुई और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी ऐसी बात कही है और एक मित्र ने उधर से भी कहा है पर मैं नहीं समझता कि जो लेजिस्लेटिव पावर है उस को हम प्रेजिडेन्ट के तो अनुच्छेद ३५७ (१) के अनुसार ट्रान्सफर (हस्तांतरित) कर सकते हैं लेकिन इस तरह की कोई ऐडवाइजरी कमेटी (मंत्रणा समिति) कोई टेरीटोरियल कमेटी (प्रादेशिक समिति) हो इस के कंसल्टेशन (परामर्श) से कानून बनाने का अधिकार देने का हक पार्लियामेंट को किस अनच्छेद के अनुसार है, यह मैं नहीं जानता । मैं इस पर कुछ प्रकाश चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि पार्लियामेंट कुछ कर सकती है या नहीं ।

श्री बंसल : यह प्रश्न उस समय उठाइयेगा जब ऐमेन्डमेन्ट्स (संशोधन) आयेंगे ।

सभापति महोदय : हम अभी विचार अवस्था में चल रहे हैं । जब संशोधन सामने आयेगा तब मैं निर्णय करूंगा की उसे अनुमति दी जाय अथवा नहीं ।

श्री नामधारी : मैं गृह मंत्री जी को यह विधेयक लाने पर बधाई देता हूं । यह पेप्सू के ग़रीबों के लिए अत्यन्त सहायक होगा । विरोधी दल के भाषण बिल्कुल असंगत थे । यह विधेयक संविधान से पूर्णतया संगत है । संविधान असाधरण परिस्थितियों में इस प्रकार की कार्यवाही की इजाज़त देता है । जब वे परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो उक्त कार्यवाही की गई ।

राष्ट्रपति का स्थान हमारे संविधान में सर्वोच्च है । उनसे ऊंचा और कोई नहीं है । परिस्थितियां यह अपेक्षा करती हैं कि पैप्सू सरकार को केवल राष्ट्रपति चलाए । हमने वहां का शासन बदल दिया है । अत्यन्त योग्य व्यक्ति को वहां भेजा गया है । अनेक अच्छे कार्य किए गए हैं । कुछ ऐसे काम भी मेरी निगाह में अवश्य आए हैं जो ठीक नहीं थे । किन्तु मैं उसके लिए शासन को जिम्मेदार नहीं मानता । यह तो स्थानीय लोगों के कारण हुआ जिनमें आपस में मतभेद हैं उन्होने शासकों से गलत कार्य करवाया ।

इसलिए मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को बिना कोई परिवर्तन किए स्वीकार कर लिया जाए । हमारा राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी है । यदि उसकी शक्ति को इस प्रकार चुनौती दी जाएगी

तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा । हमारे संविधान में इस शक्ति का उपबन्ध है और उसे चुनौती देना राष्ट्रीय अपमान है ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं इस विधेयक का इसलिए विरोध करता हूं कि विधान सम्बन्धी मामले में संसद के अधिकार को यह राष्ट्रपति को दे रहा है । जब कि संविधान का विलम्बन किया गया था तब माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि समस्त उत्तरदायित्व देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों—संसद्—का हो जाता है । अब इस आधार पर कि संसद् को समय नहीं है, आपसे शक्ति को राष्ट्रपति को सौंप देने को कहा जाता है । प्रत्येक विधान संसद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

कुछ ऐसे विषय सामने रक्खे गये थे जिन पर की तत्काल विधान बनाने की आवश्यकता है । इसमें अधिकतर भूमि सम्बन्धी नीति निहित है । सरकार ने, यहां तक कि योजना आयोग ने भी, अभी भूमि सम्बन्धी नीति के विषय में कोई निर्णय नहीं किया है । यह सब आदर्श बतला कर इसे राज्यों पर छोड़ देना है । इस राज्य विशेष में प्रेसीडेंट के अधिकरण द्वारा भूमि सुधार की जल्दी की जा रही है । मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इस प्रकार का विधान केवल जनता के प्रतिनिधियों द्वारा आरम्भ किया जा सकता है । विधेयक में अपेक्षा की गई है कि जब संसद् का सत्र हो रहा हो तो भी राष्ट्रपति अपनी प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करेगा । इस अधिकार को उन्हें सौंपने का कोई न्यायोचित कारण नहीं है । जब कि सदन का सत्र भी हो रहा हो तो भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । किन्तु जब कि सदन का सत्र हो रहा हो तो मामले को सदन के सम्मुख आना ही होगा और सदन उस पर चर्चा कर सकता है । इस प्रकार शासन बिना किसी असुविधा के चलाया जा सकता है । अतएव शक्ति को प्रत्यायोजित करने की मांग करने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है । सिवाय इससे कि राज्य के शासन को नौकरशाही को सौंप दिया जाए ।

डा० काटजू : इस विधेयक पर, जिसे मैं विवादरहित समझता हूं, मैं ने लम्बी चर्चा की प्रत्याशा नहीं की थी । इस प्रश्न पर दो वर्ष पूर्व इन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत चर्चा हो चुकी थी और पूरी चर्चा के पश्चात् एक विधेयक तैयार हुआ था जो एक ओर तो संविधान-निर्माताओं का पूरा प्रयोजन अंतर्विष्ट करता था और दूसरी ओर राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित प्रत्येक विधान पर संसद को पूरी तरह विचार करने का अवसर देना था ।

संविधान-निर्माता इस बात के प्रति पूर्णतया जागरुक थे कि अनुच्छेद ३५६ के अंतर्गत जब कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करने और विधान सभा भंग करने को मजबूर हो तो तत्काल ही प्रश्न उठेगा कि विधान बनाने की शक्ति किस में निहित हो; एक ओर संसद और दूसरी ओर राष्ट्रपति । यह स्पष्ट है कि संविधान-निर्माताओं ने यह सोचा कि संसद पर समस्त देश की समस्याओं का पहले से ही बहुत अधिक भार होगा और इसलिए वह राज्यों के लिए आवश्यक विस्तृत विधान पर विचार करने का समय नहीं निकाल सकेगा और इसी लिए उन्होंने आधे पृष्ट में इस परिस्थिति को व्यवहृत किया कि राष्ट्रपति ऐसा करे, वैसा करे । और कृपया याद रखिये कि संसद राष्ट्रपति को केवल विधान बनाने की शक्ति ही नहीं सौंप सकती है वरन् वह राष्ट्रपति को उस शक्ति को किसी और

[डा० काटजू]

को सौंपने का भी अधिकार दे सकती है। पंजाब के विषय में सन् १९५१ में जब विधेयक लाया गया था तो उसमें यही प्रयत्न किया गया था। राष्ट्रपति के किसी और को शक्ति सौंपने वाले खंड का बहुत विरोध किया गया था और एक तरीका निकाल लिया गया कि यदि सदन ठीक समझे तो सात दिन के अन्दर विधेयक में अंतर्विहित नीति पर चर्चा कर सकता है और उस पर अपना मत व्यक्त कर सकता है। ये दो बिलकुल भिन्न बातें हैं। एक तो सामान्य प्रक्रिया के अनुसार विधेयक पर विचार करना, उसके तीन वाचन करना, खंड प्रति खंड विचार करना। और दूसरे सदन के संमुख अधिनियमित विधान पेश करना और उस से इसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने को कहना यह प्रश्न संसद ने सन् १९५१ में विकसित की और मुझे सदन से यही कहना है कि उसको अब त्यागे नहीं।

राष्ट्रपति द्वारा यह अधिकार लेने का मुख्य प्रयोजन क्या है? अनुच्छेद ३५६ के प्रारम्भिक शब्द ये हैं: "यदि...ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाए जिस में कि राज्य की सरकार इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती।" ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करता है। यह स्थिति चार महीने रह सकती है, एक वर्ष रह सकती है, अथवा और अधिक समय रह सकती है। अधिकतम काल शायद तीन वर्ष है। यदि यह स्थिति २ या ३ मास ही रहे तो राष्ट्रपति कोई महत्वपूर्ण विधान के सम्बन्ध में पग नहीं उठाएगा। किन्तु लम्बी अवधि होने पर विधान हाथ में लेना ही होगा।

मैं डा० मुखर्जी तथा उपाध्यक्ष महोदय को यह बतलाने के लिए धन्यवाद देता हूं कि हम इस से सम्बन्धित नहीं हैं कि किन दशाओं के अंतर्गत राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप किया। इस पर पूरी चर्चा हो चुकी है। वास्तव में बार-बार यह कहा गया है कि यह कार्यवाही और पहले की जानी चाहिये थी, इस में विलम्ब हुआ है। पेप्सू में शान्ति तथा व्यवस्था की हालत खराब थी। हमें उन्हें पुनः स्थापित करना ही था। मैं अधिक विस्तार में तो नहीं जाना चाहता क्योंकि पेप्सू आय-व्ययक आने वाला है और उस अवसर पर सामान्य चर्चा होगी, किन्तु एक बात बिलकुल स्पष्ट है। वह यह कि गत दो मासों से पेप्सू का नाम अखबारों के मुख्य शीर्षक से हट गया है—अब वहां शान्ति और व्यवस्था की हालत कहीं अच्छी है।

जो विधान बनाया जाएगा वह अत्यन्त महत्व का है, विशेषकर स्थायित्व की स्थापना के लिए। यह कहा गया है कि इसे वहां पर आने वाली सरकार के लिए छोड़ दीजिए, आप क्यों कर रहे हैं? किन्तु कठिनाई यह है कि दो बातें अन्तर्मिश्रित हैं। लगान तथा राजस्व के कानून और कृषि-भूमि की परिस्थिति बड़ी टेढ़ी और झंझटपूर्ण रही है। वास्तव में बड़ी अविश्वसनीय परिस्थिति हो रही थी और कोई विधान बनाया ही जाना था। उदाहरण के लिए आला मिल्कियत अधिकार उन्मूलन विधेयक लीजिये। इस में जो मुआवज़ा देने का उपबन्ध किया गया था—क्या आप विश्वास करेंगे—वह ठीक पांच रुपये था। और कानूनी सलाह हुई कि यह तो महज़ दिखावा है, यह विधेयक टिक नहीं सकता। कानूनी सलाह पर हम ने राजस्व का पांच गुना मुआवज़ा निर्धारित किया और कुल मिला कर यह राशि लगभग ४० या ५० हज़ार रुपए होती है।

दो और महत्वपूर्ण विधेयक थे: पेप्सू काश्तकार सम्पत्ति अधिकार प्रदान विधेयक और पेप्सू कृषि भूमि विधेयक। यह पूर्व राज्य-

सरकार द्वारा नवम्बर सन् १९५२ में स्वीकृति के लिए भेजे गए थे। उन पर यहां चर्चा हुई और उन्हें वापस भेज दिया गया। सदन को विदित है कि उस राज्य की विधान-सभा में बड़ी अस्त-व्यस्त दशा थी और उन विधेयकों पर विचार नहीं किया गया, उन्हें समय ही नहीं था। परिणाम यह हुआ कि वे निलम्बित रहे। फरवरी में योजना आयोग में उनके विषय में फिर चर्चा हुई और विधेयकों के आवश्यक मसविदे तैयार हैं।

एक माननीय सदस्य ने नाटकीय प्रदर्शन विधेयक का उल्लेख किया। हो सकता है कि यह किसी विशेष पार्टी के विरुद्ध हो, मुझे यह मालूम नहीं अथवा हो सकता है कि यह अत्यन्त ही आपत्तिजनक प्रकार के नाटकों के प्रदर्शन को रोकने के लिए हो। कुछ भी हो, एक अध्यादेश जारी किया गया। इस का प्रवर्तन काल समाप्त हुआ है, तथा सलाहकार की राय है कि इसे अधिनियमित किया जाना चाहिये।

पुलिस (अपराग के लिए उत्तेजना) अधिनियम, १९२२ के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया। इसे संशोधित करने का विचार है तथा यह एक बहुत ही आवश्यक विधेयक है। इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। पुलिस संघटन में घुस आकर उन्हें निष्पक्षता से तथा सूक्षमता से अपना कर्तव्य निभाने से रोकने की कोशिश करना एक ऐसी बात है जो न केवल पेप्सू में निन्दाजनक है अपितु सारे भारत में निन्दाजनक है। इसी आशंका का निवारण करने के लिए यह विधेयक पेश किया गया है। जहां तक संविधान का सम्बन्ध है इस के अनुच्छेद ३५७ में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संसद् के लिए सामान्य विधि यह होगी कि वह राष्ट्रपति को शक्ति प्रत्यायोजित करे तथा राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह अपनी वही शक्तियां किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित करें। परन्तु, जैसे कि मैं ने निवेदन किया है, इस विधेयक में १९५१ की पूर्ववर्तिता के सम्बन्ध में स्थिति बदल दी गई है। सदन को इस प्रक्रिया का ज्ञान है कि यह विधेयक दोनों सदनों में पेश होना चाहिये जिस से कि सदन को यह बात जानने का मौका मिले कि क्या कुछ किया गया है तथा वह अपने विचार-प्रकट कर सके। मैं निवेदन करता हू कि वह उपबन्ध विशेष संसद की गरिमा की पूर्णतय: रक्षा करता है तथा संसद को सभी बातें जानने तथा अपने विचार प्रकट करने का पूरा पूरा अवसर दे देता है।

और भी एक दृष्टिकोण है जिस के साथ मुझे सहानुभूति है अर्थात् यह कि स्थानीय विधान मंडल को तोड़ने के साथ ही उन लोगों की मेम्बरी भी समाप्त हो जाती है जो कि इस के सदस्य हैं। हमारे यहां लोक सभा में तथा दूसरे सदन में पेप्सू के चुने हुए सदस्य हैं तथा उन्हें उन से स्थानीय हालात जानने की आशा की जा सकती है; जब कभी सम्भव होगा उन से पूर्व-परामर्श करना भी हितकर होगा। मैं इस बात को ऐसे ही समझता हूं। जब यह विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो इस सदन के सारे ४९९ सदस्यों का दर्जा एक जैसा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय प्रकट करने का अधिकार है चाहे यह विधेयक देश के किसी भी भाग से सम्बन्ध रखता हो। परन्तु यह कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्यवाही करने से पहले उसे परामर्श करना चाहिये। यह वांछनीय है कि वह स्थानीय जनता की राय मालूम करे तथा संसद सदस्यों की राय विशेष महत्व की हो। मुझे इस कथन के साथ पूर्ण सहानुभूति है। जब वह संशोधन प्रस्तुत किया जायगा। तो मैं कुछ परिवर्तन के साथ उसे स्वीकार करने का विचार रखता हूं। परिवर्तन केवल यह होगा। यह मशवरे की बात है कि उन से पहले सलाह ली जाये। परन्तु ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां

[डा० काटजू]

सलाह लेनी सम्भव न हो। इसलिए मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। डा० मुखर्जी ने बताया कि १९५१ में ऐसी सलाह ली गई थी। मेरे प्रतिष्ठित पूर्वाधिकारी ने माननीय सदस्यों से सलाह की थी। तथा इस से कोई हानि नहीं होगी यदि हम इस उपबन्ध को विधेयक में रखेंगे।

बताया गया है कि हमें इस मामले में एक कदम आगे जाना चाहिये मैं निवेदन करूंगा कि यह एक आसान प्रक्रिया न होगी। जहां कहीं यह व्यवहार्य हो सकता है वहां हम सम्बन्धित राज्य के सदस्यों के साथ पूर्व-परामर्श करते हैं। मैं अपने माननीय मित्र श्री अचिंत राम से अपील करूंगा कि वह इस मामले को पेचीदा न बनायें।

लाला अचिंत राम : पेचीदा नहीं बना रहा हूं। गत वार पंजाब के मामले में पेप्सू से भी लोगों को बुलाया गया था।

सरदार हुक्म सिंह : मैं उस समय पंजाब की ओर से यहां था।

डा० काटजू : वह एक अनौपचारिक बात थी। जब हम अधिक औपचारिक रूप से काम कर रहे होंगे तो यह पूर्व-परामर्श, जहां भी यह व्यवहार्य हो, इस सदन के तथा दूसरे सदन के सदस्यों तक ही सीमित रखा जाना चाहिये।

और भी एक बात है जिस की ओर निर्देश किया गया है, तथा यह वास्तव में प्रक्रिया का एक विषय है। विधेयक को उसी समय सदन पटल पर रख दिया जाता है ज्योंही कि इसे अधिनियमित किया जाता है। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि जब सदन का सत्र चल रहा हो तो २० दिन तक इस का विलम्ब हो सकता है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये। यदि यह विधेयक आज अधिनियमित किया जाये, तो मैं तीन दिन के अन्दर अन्दर ही इसे सदन पटल पर रख देना चाहता हूं, ज्योंही कि मुझे इस की छपी हुई प्रतिलिपियां उपलब्ध हों। हम इस विधेयक पर सदन के फैसले को टालना नहीं चाहते हैं।

फिर यह प्रश्न आता है कि यदि यह सदन अथवा दूसरा सदन इस के किसी उपबन्ध को अस्वीकृत करेगा अथवा उस का संशोधन करेगा तो वह सात दिन के अन्दर अन्दर यह कर सकता है। चर्चा सात दिन के अन्दर अन्दर होनी चाहिये तथा दोनों सदन सहमत होने चाहियें। इस से सम्बन्धित प्रक्रिया संसद के किसी अधिनियम द्वारा निश्चित की जानी है, अपितु यह अध्यक्ष द्वारा तथा सभापति द्वारा अपने अपने सदनों के लिए निश्चित की जाएगी। मैं इस बात का निर्णय अध्यक्ष तथा सभापति पर ही छोड़ना चाहता हूं।

मेरे मित्र सरदार हुक्म सिंह ने पांच छे बार यह कहा कि पेप्सु में होने वाले चुनावों के सम्बन्ध में उन के दिल में संदेह है। और भी कुछ सदस्यों ने इस की ओर निर्देश किया। सरदार हुक्म सिंह ने मेरे भाषणों के कुछ हिस्से भी पढ़ कर सुनाये। मैं उन से इन्कार करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। परन्तु आप कृपा कर के एक बात याद रखें। चुनाव संसद के नियंत्रण में हैं तथा यह चुनाव आयोग द्वारा कराये जाते हैं। हम चुनाव आयोग को अपनी इच्छानुसार काम नहीं करा सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को सूचना दे दूंगा कि जब पूर्व राज्य सरकार काम कर रही थी तो निर्वाचक-नामावली के संशोधन के सम्बन्ध में एक कार्यक्रम निश्चित किया गया था, तथा उस सरकार ने स्वयं यह बात मान ली थी कि इसे जनवरी १९५४ में प्रकाशित किया जाना चाहिये। मैं स्वयं इस बात के लिए उत्सुक हूं कि राष्ट्रपति का शासन ज़रूरत से ज्यादा

एक दिन भी न रहे। हम ने इस मामले पर पुर्नविचार कराया तथा मुझे सूचना दी गई है कि चुनाव आयोग के कथनानुसार निर्वाचक-नामावली नवम्बर में प्रकाशित की जा सकती है। नवम्बर के बाद क्या होगा, इस का निश्चय करना चुनाव आयोग का काम है। अपनी ओर से तथा सरकार की ओर से मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम ज़रूरत से एक दिन भी ज्यादा पेप्सु का शासन भार नहीं उठाना चाहते हैं। जहां तक शासन-प्रबन्ध का सम्बन्ध है हमें इस बात की चिन्ता नहीं कि किस पार्टी अथवा दल विशेष के हाथ में सत्ता आ जाये। मैं एक कांग्रेसी हूं। जब मैं एक कांग्रेसी की हैसीयत से वहां जाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि जहां तक प्रशासनीय मामलों का सम्बन्ध है, हमें सुरक्षित तथा उचित-प्रशासन चाहिये। हम राज्य की सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं, शान्ति बढ़ाना चाहते हैं तथा गन्दगी को समाप्त करना चाहते हैं। हमारी आकांक्षा यही है। हम चाहते हैं कि वहां निष्पक्ष तथा निर्बाध चुनाव हों। हम पेप्सु के प्रत्येक निर्वाचक को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि उसे किसी भी पार्टी के दबाव में न आ कर स्वतन्त्रतापूर्वक अपना मत डालना चाहिये। हम इस बात की ओर ध्यान देंगे कि वह आज़ादी से तथा बिना किसी पक्षपात के अपना मत दें। जो कोई भी सरकार वहां स्थापित हो जाये वह अपने कार्यक्रम के अनुसार काम करेगी।

यही एक बात आवश्यक है। मैं पेप्सु से आने वाले संसद-सदस्यों की सहायता का सदैव स्वागत करूंगा। वह मेरे पास किसी भी समय आ सकते हैं तथा मुझे मश्वरा दे सकते हैं। वहां जो कुछ हो रहा होगा उसके बारे में भी मुझ से कह सकते हैं। मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि हम ने अपने एक सुयोग्य अधिकारी को वहां भेजा है तथा यह अनुचित न होगा यदि मैं उस के काम की यहां सराहना करूंगा। गत सात सप्ताहों में उस ने बड़ी मेहनत तथा योग्यता से अपना काम किया है और जहां तक मुझे मालूम है, इस अशांत राज्य में उस ने शान्ति तथा व्यवस्था की बहाली के लिए उस ने जो काम किया है, उसे सभी ओर से पसन्द किया गया है।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान्, हमें बताया गया कि गत सरकार ने निर्वाचक-नामावली के प्रकाशन के लिए जनवरी १९५४ निश्चित किया था। जहां तक मैं समझता हूं, निर्वाचक-नामावली का पुनरीक्षण प्रति वर्ष हुआ करता है। १९५३ के लिए यह किया गया है तथा अब बिना किसी विलम्ब के चुनाव होने चाहियें। जनवरी १९५४ अगले वर्ष के लिए था। यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। शायद, इस सम्बन्ध में कोई गलत फहमी हो या मुझे गलत सूचना दी गई है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक पर विचार किया जाये।

मत विभाजन हुआ।

पक्ष में १८६ मत आये तथा विपक्ष में ४६ मत आये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड २ के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है।

खंड २ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ३—शक्ति प्रदान तथा राज्य विधान सभा

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस एमेन्डमेन्ट के बारे में बहुत बहस हो चुकी है, और बड़ी मेहरबानी फरमा कर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इस के उसूल को कबूल फरमा लिया है कि प्रेजिडेन्ट साहब जो अपना कानून नाफिज़ करें वह इस हाउस के मेम्बरान की राय से और उन से मश्विरा कर के करें। अब सवाल यह रह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जाता है कि आया सिर्फ पेप्सू के मेम्बरान से मश्विरा किया जाय या दूसरे साहबान से भी किया जाय। अभी एक एमेन्डमेन्ट (संशोधन) मेरे दोसत श्री बन्सल ने हाउस में भेजा है जिस का मंशा यह है कि ईस्ट पंजाब के मेम्बरान को भी शामिल कर लिया जाय जिस को मेरे दोस्त लाला अचिन्त राम जी ने भी पसन्द किया है। लेकिन मैं यह देखता हूं कि अगर ईस्ट पंजाब वालों को शामिल कर लिया जाय तो हिमाचल प्रदेश वालों को, राजस्थान वालों को और दूसरे आस पास के लोगों को क्यों न शामिल किया जाय। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो बिल्कुल उन के पास के इलाके हैं उन को इस से क्यों महरूम (वंचित) किया जाय।

श्री बंसल : एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान्। क्या यह आवश्यक नहीं है कि मूल संशोधन के लिये संशोधन देने वाले सदस्य को पहले अपना संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिये। मूल संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य बाद में स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस सदस्य ने मूल संशोधन दिया है उसे पहले संशोधन प्रस्तुत करने को कहा जाता है और उस के बाद उस संशोधन के लिये अन्य संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

श्री पुन्नूस : प्रक्रिया के नियमों में से नियम संख्या १०७ इस प्रकार है :—

> "....यदि किसी संशोधन के लिये संशोधन प्रस्तुत किया जाता है, तो बाद का संशोधन निबटाया जाने तक मूल संशोधन वापिस नहीं लिया जाएगा।"

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय वापिस लेने का सवाल नहीं है। (अन्तर्बाधाएं) दूसरा संशोधन इस पर निर्भर है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं पुन्नूस साहब की मेहरबानी का बहुत मश्कूर हूं जिन्होंने मेरी वकालत की है। लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता था कि दरअस्ल जब सारे ऐमेन्डमेन्ट्स (संशोधन) हाउस के सामने हों तो जो शख्स ऐमेन्डमेन्ट मूव (प्रस्तावित) करता है उसे अख्त्यार है कि वह पहले उस पर अपनी राय का इज़हार करे।

चुनांचे मैं अर्ज़ कर रहा था कि चूंकि मेरे लायक दोस्त ने सारी बात नहीं सुनी इस लिये वह यह प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर (उठा) रहे हैं। वरना वह उस बात को पसन्द करते जो कि मैं पेश कर रहा हूं। मैं अर्ज़ कर रहा था चूंकि दफ़ा ३५६ प्रोक्लेमेशन की रू से सारा अख्त्यार पार्लियामेंन्ट को होता है और पार्लियामेन्ट की तरफ से एक ताकत प्रेजिडेन्ट साहब को दी जा रही है तो इस ताकत के देने के बावजूद भी पार्लियामेन्ट यह हक रखती है कि वह जिस तरह से चाहे अपने फ़र्ज़ को अदा करे। और उस की शक्ल यह है कि पार्लियामेन्ट की किसी कमेटी के साथ मश्विरा कर लिया जाय। लेकिन इस के लिये यह कहना कि पार्लियामेन्ट के उस के इलाके के और ईस्ट पंजाब के ही मेम्बरान से मश्विरा कर लिया जाय यह दुरुस्त और वाजिब नहीं है।

मुझ को जब यह मशविरा मिला कि मैं अपनी ओरीजिनल अमेंडमेंट को इस तरह से मोल्ड करूं कि जिस के अन्दर सारी पार्लियामेन्ट का, सारे हिन्दुस्तान का हक़ शामिल हो, तो मैं ने इस को पसन्द किया और इस चीज़ को मंजूर किया। तो मैं इस मशविरे का फ़ायदा उठा कर आप की इजाज़त से अपनी तरमीम को इन अल्फाज़ में पेश करना चाहता हूं। जो उसूल मेरा है वह तो क़ायम है, लेकिन उस के एक छोटे से हिस्से में मैं तरमीम करना चाहता हूं। मेरी तरमीम का असल

मक़सद यह है कि पार्लियामेन्ट के दोनों हाउसेज़ (सदनों) के १५ आदमियों की एक कमेटी हो, उन को प्रैसीडैंट साहब नामिनेट कर दें और उस के मशविरे के बाद क़ानून सादिर किया जाय। ऐसी सूरतों में जब कि ऐसा मशविरा नामुमकिन हो या इम्प्रैक्टिकेबुल हो, उस सूरत में मैं यह नहीं चाहता कि प्रैसीडेन्ट साहब ज़रूरी काम को न कर सकें। अपने इन अल्फ़ाज़ के साथ में जनाब की इजाज़त से अपनी अमेन्डमेन्ट पेश करना चाहता हूं। उस अमेन्डमेन्ट को मैं पेश कर रहा हूं।

पृष्ठ १, पंक्ति १४ में 'आवश्यकता' के बाद निम्न शब्द जोड़ दिये जायें :

> "In consultation with the Committee consisting of 15 Members from both the Houses of Parliament to be nominated by the President, except in cases where such prior consultation is not practicable".

(जिन मामलों में पूर्व–परामर्श असंभव हो उन के अलावा अन्य मामलों में संसद के दोनों सदनों के, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, १५ सदस्यों वाली समिति से परामर्श कर के)

जो दूसरी अमेन्डमेन्ट मैं पेश करना चाहता हूं वह यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति २१ तथा २२ से निम्न शब्द हटा दिये जायं :

> "during the session in which the Act has been so laid before it."

(उस सत्र में जिसके दौरान में यह अधिनियम इस प्रकार उस के सामने रखा जाय।)

और मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति २२ में 'परिवर्तनों' के बाद निम्न शब्द प्रविष्ट किये जायें :

> "after their being placed within seven days of such direction before the other House for consideration."

(ऐसे निदेश के सात दिन के भीतर दूसरे सदन के सामने विचारार्थ रखे जाने के बाद)।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या राष्ट्रपति स्वयं दोनों सदनों से नियुक्तियां करेंगे ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हम सारे अधिकार राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं अतः मैं अब उस को सीमित नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्रम-पत्र में तीन दिन लिखा गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप की अनुमति से तथा व्यावहारिकता के ख़याल से मैं उसे सात दिन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : इसे अनुमति कैसी दी जा सकती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो असली मक़सद हमारा है वह इतना ही है कि ऐसा न हो कि इस सिलसिले में हाउस का सैशन ख़त्म हो जाय और कोई माडीफिकेशन जो एक हाउस ने की हो, वह भी बेअसर रह जाय। चुनांचे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इन अल्फ़ाज़ में यह अश्योरेंस दिया है कि ज्यों ही यह क़ानून बनेगा उसी वक्त हाउस में रखा जायगा और वह ऐसा न होने देंगे कि उस सैशन में दूसरे हाउस में उस का कंसीडरेशन (विचार) न हो। मैं उम्मीद करता हूं इस की पाबन्दी की जायेगी और कोई शिकायत का मौक़ा नहीं मिलेगा। मैं ने जान बूझ कर तीन का सात किया है, इसलिये कि ऐसा मौक़ा नहीं होगा कि इन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

दिनों की ज्यादती से हम इन क़ानूनों के बारे में अपने हक़ को एक्सरसाइज (प्रयोग) न कर सकें। इस अमेन्डमेन्ट का रीअल (असली) असर यह होगा कि जो हक़ हमें मिला है उस का हम इस्तेमाल कर सकें।

संशोधन प्रस्तुत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संशोधन के लिये गृह-कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन इस प्रकार है :

> पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या १ (२) के स्थान म निम्न संशोधन रखा जाय :
>
> पृष्ठ १, पंक्ति १४ में 'आवश्यकता' के बाद निम्न शब्द जोड़ दिये जायं :
>
> "In consultation with a committee consisting of ten Members of the House of the People to be nominated by the Speaker and five Members of the Council of States to be nominated by the Chairman, except in cases where such prior consultation is not practicable."
>
> (जिन मामलों में पूर्व परामर्श असंभव हो उन के अलावा अन्य मामलों में लोक सभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा नियुक्त, १० सदस्यों तथा राज्य परिषद के, सभापति महोदय द्वारा नियुक्त, ५ सदस्यों वाली समिति से परामर्श करके।)

श्री अलगू राय शास्त्री : यह संशोधन नियम बाह्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री पाटस्कर से पूछूंगा।

श्री अलगू राय शास्त्री : श्रीमान्, जब पाटस्कर साहब चेयर में (पीठासीन) थे, तब मैं ने एक प्वाइन्ट आफ आर्डर (औचित्य प्रश्न) उठाया था और उस वक्त उन्हों ने कहा था कि जब यह अमेन्डमेन्ट आयेगा तब उस समय वह उस के सम्बन्ध में अपना निर्णय देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह औचित्य प्रश्न पहले किसने उठाया ?

श्री अलगू राय शास्त्री : मैंने उठाया।

श्री पाटस्कर : मैं बाद में बोलूंगा।

श्री अलगू राय शास्त्री : प्वाइन्ट आफ़ आर्डर यह है कि दफ़ा ३५७ (१) में जो लेजिस्लेटिव पावर्स प्रेसीडेंट को डेलीगेट करने का अधिकार पार्लियामेंट ने लिया, उस के उप खंड (क) में किये गये वर्णन के अनुसार पार्लियामेन्ट को सिर्फ़ यह अधिकार है कि वह कानून बनाने का अधिकार प्रेसीडेंट को दे दे और उस को यह भी अधिकार दे दे कि वह उस अधिकार को जिस अथारिटी (प्राधिकारी) के द्वारा चाहे पूरा करावे, यह काम प्रेसीडेंट का है, यह काम पार्लियामेंट का नहीं है कि वह एक सेंसर कमेटी की तरह या एक ऐडवाइज़री कमेटी की तरह से एक कमेटी उस के ऊपर मढ़ दे। हां, अगर प्रेसीडेंट को अधिकार देते हैं तो कांस्टीट्यूशन के अनुसार ही दे सकते हैं और कांस्टीट्यूशन ने जो सीमाएं निर्धारित की हैं, उन्हीं सीमाओं के अन्तर्गत वह अधिकार हम दे सकते हैं। यह नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट आज कांस्टीट्यूशन के शब्दों से बाहर जाकर अपने मनमाने ढंग से नये नये प्रतिबंधों के साथ यह

पावर उस को दे दे । चुनांचे यहां पर जो अधिकार कांस्टीट्यूशन पार्लियामेंट को देने के लिए मजाज़ करता है, उस के बाहर हम जाते हैं, प्रेसीडेंट के अधिकारों को सीमित करते हैं और एक प्रकार से उस के अधिकार पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाते हैं जिस की कल्पना कांस्टीट्यूशन ने नहीं की थी, इसलिए मैं समझता हूं कि यह पूरा का पूरा संशोधन अवैधानिक है और इस को हटा देना चाहिए।

श्री पाटस्कर : सवाल यह है कि क्या ऐसी शर्त लगाना संविधान के उपबन्धों से सुसंगत है ?

अनुच्छेद ३५७ की चर्चा करने के पहले मैं अनुच्छेद ३५६ का निर्देश करूंगा । उस में किसी राज्य में वैधानिक तन्त्र असफल होने पर उद्घोषणा का उपबन्ध बनाया गया है । प्रस्तुत मामले में ऐसी उद्घोषणा की गई है ।

अनुच्छेद ३५७ में कहा गया है कि :

> "अनुच्छेद ३५६ के खंड (१) के अधीन जहां यह घोषित किया गया हो कि उक्त राज्य की वैधानिक-शक्ति संसद् के प्राधिकार द्वारा अथवा उस के अधीन प्रयोक्तव्य होगी ...."

इस मामले में यही किया गया है । संसद् राष्ट्रपति को किसी राज्य की विधान-सभा की वैधानिक शक्ति प्रदान करने में सक्षम है । जहां तक राष्ट्रपति को अपना उत्तरदायित्व किसी दूसरे को सौंपने का अधिकार देने का सवाल है, वह प्रत्यावर्तन उन शर्तों के अधीन किया जा सकता है 'जो वे उचित समझें' ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ।

श्री पाटस्कर : हम ऐसा नहीं कर रहे हैं । संविधान निर्माताओं ने जब राष्ट्रपति को अधिकार सौंपने का उपबन्ध रखा तब उस प्रत्यावर्तन को सोपाधिक बनाने का उन का उद्देश्य नहीं हो सकता था । मेरी राय में अनुच्छेद ३५७ के उपखंड (क) का यह अर्थ नहीं हो सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह नहीं हो सकता कि संसद् राष्ट्रपति को केवल राजस्व के मामलों में विधान बनाने का अधिकार दें ?

श्री पाटस्कर : मुझे तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है । यदि संसद् राष्ट्रपति को राज्य की विधान-सभा के अधिकार सौंपती है तो वह या तो पूरे अधिकार सौंप दे या तो कोई भी अधिकार न दे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह पूरे अथवा आंशिक अधिकार नहीं सौंप सकती है ।

श्री पाटस्कर : यह प्रश्न नहीं उठता । हमें केवल अनुच्छेद ३५७ का ही नहीं बल्कि अनुच्छेद ३५६ में दिये गये संदर्भ का भी विचार करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : पूरे अधिकार सौंपने की शक्ति में आंशिक अधिकार सौंपने की शक्ति समाविष्ट है ।

श्री पाटस्कर : इसीलिये मैं कहता हूं कि अनुच्छेद ३५६ के संदर्भ में अनुच्छेद ३५७ का विचार किया जाना चाहिये । यह एक असाधारण व्यवस्था है । जब सांविधानिक तंत्र असफल हो जाता है तब राष्ट्रपति सारे अधिकार अपने हाथों में ले लेते हैं ।

सादृश्य पर आधारित अनुमान सदैव शुद्ध नहीं होता है । प्रस्तावित संशोधन के पीछे जो उद्देश्य है उस के विषय में मेरी सहानुभूति है । सवाल यह है कि क्या सदन द्वारा राष्ट्रपति को मर्यादित अधिकार सौंपे जाना उचित है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र ने बात को कुछ गलत समझा है । अनुच्छेद ३५६ (१) (ख) के अनुसार राष्ट्रपति यह घोषित कर सकते हैं कि किसी राज्य की विधान सभा के अधिकार संसद् द्वारा प्रयोक्तव्य होंगे । यह बिल्कुल साफ है । राष्ट्रपति की उद्-घोषणा से वहां की वैधानिक शक्ति संसद् को सौंपी जाती है ।

संसद् का समय बचाने के हेतु यह वैधानिक शक्ति राष्ट्रपति को सौंपी जा रही है । श्रीमान्, इस संदर्भ में आप की राय ही बिल्कुल ठीक है । जहां तक वैधानिक शक्ति का सवाल है, राष्ट्रपति संसद् के केवल प्रतिनिधि मात्र हैं । अतः यह कहना गलत है कि संसद् इस शक्ति का कुछ अंश अपने हाथों में रख कर शेष राष्ट्रपति को नहीं सौंप सकती ।

अब दूसरा सवाल यह रहा कि एक बार राष्ट्रपति को शक्ति सौंपने के बाद क्या उस शक्ति को किसी प्रकार मर्यादित किया जा सकता है । इस विषय में दोनों पक्षों का समर्थन किया जा सकता है । श्रीमान्, ऐसे विषय में उत्तम मार्ग यही होगा कि मेरे माननीय सहकारी से आश्वासन लिया जाय कि जिस समिति के गठन का प्रस्ताव हम कर रहे हैं उस से आपात् के समय को छोड़ कर सदैव अधिकतम परामर्श लिया जायेगा । किन्तु अन्यथा हमें इस समिति से परामर्श लेने का बन्धन राष्ट्रपति पर न रखने की सावधानी रखनी चाहिये । मेरे सहकारी इस बंधन को नैतिक तौर पर स्वीकार करते हैं किन्तु उसे विस्तृत वैधानिक रूप नहीं दिया जाना चाहिये। मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव जिस उद्देश्य की पूर्ति चाहते हैं वह मेरे सहकारी द्वारा प्रस्तावित संशोधन से सिद्ध हो जायेगा : मेरी राय में अब इस बात की अधिक चर्चा करने से कोई लाभ नहीं । इस का पर्याप्त स्पष्टीकरण हो चुका है कि जब संसद् राष्ट्रपति को शक्ति सौंप सकती है तब वह कुछ अंश सौंप कर अधिकांश अपने हाथ में भी रख सकती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्रीमान्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मेरे संशोधन पर आपत्ति उठाई गई है । हम ने इस समिति को परामर्श देने के अलावा अन्य कोई काम सौंपा नहीं है । विधायिनी शक्ति पूर्ण रूप से सौंपी गई है । राष्ट्रपति विधि अवश्य बनायेंगे किन्तु हम केवल इतना ही कहते हैं कि वे एक १५ सदस्यों वाली समिति से परामर्श लेते रहें । इस से शक्ति प्रदानमें कोई बाधा नहीं आती । यह केवल एक निदेश है, जिस के पालन की हम ने राष्ट्रपति से अपेक्षा की है ।

जब यह बताया गया कि अधिकार सौंपने की शक्ति रखने वाले श्रेष्ठी को उन अधिकारों का प्रदान पूरी तौर पर ही करना चाहिये । यह प्रदान आंशिक तथा सोपाधिक भी हो सकता है । मेरा निवेदन है कि मेरे माननीय मित्र ने जिस प्रस्थापना का मंडन किया है वह निराधार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस विषय की काफी चर्चा हो चुकी है । संसद् को शक्ति का संपूर्ण प्रदान आवश्यक नहीं है । मर्यादित प्रदान हो सकता है । और यहां तो केवल 'परामर्श' की बात कही गई है । यदि यह शक्ति उक्त समिति तथा राष्ट्रपति के बीच विभाजित की गई तो कुछ कठिनाई खड़ी होगी । इस का विचार बाद में किया जायगा । मैं इस विषय में कोई मत प्रदर्शित नहीं कर रहा हूं । अतः इस संशोधन में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है । वह बिल्कुल नियमानुकूल है ।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : मेरा अभिप्राय यह था कि संविधान संसद् को अविभाज्य बताता है, पर यह संशोधन यह अनुमान करते हुए कि एक अंग में सर्वांग आ जाता है, संसद् के एक अंग को ऐसी परामर्शदात्री समिति के रूप में विभाजित करना चाहता है, जिसे अध्यक्ष नामनिदशित करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी आपत्ति तब उठती जब पंडित भार्गव के मूल संशोधन को मानते हुए पैप्सू का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को ही लिया जाता । वह समिति भले ही अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामनिर्देशित हो, निश्चय ही संसद् का प्रतिनिधित्व करेगी । सदन में पैप्सू के पांच प्रतिनिधि हैं । इस समिति में दस सदस्य रखे जा सकते हैं, जो सदन के सभी वर्गों का और विशेषत: पैप्सू से संबंधित लोगों का प्रतिनिधित्व करें । इसी प्रकार से पांच सदस्य दूसरे सदन के लिये जायेंगे और समिति पूरी संसद् का प्रतिनिधित्व करेगी और राष्ट्रपति को परामर्श दे सकेगी । यह संशोधन अध्यक्ष को मनचाहे व्यक्तियों के नामनिर्देशन का अधिकार नहीं देता । मैं संशोधन को परिवर्तित रूप में सदन के समक्ष रख दूंगा ।

एक माननीय सदस्य : क्या पैप्सू के सदस्यों सम्बन्धी बंधन उस में न रहेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : परामर्श के प्रयोजन से नाम निर्देशित किये जाने वाले इन दस सदस्यों ने उस बन्धन का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने रूलिंग दे दी और उस के बाद कुछ कहना तो मुनासिब नहीं है लेकिन मैं . . . . .

श्री के० के० बसु : हम लोगों को मौका नहीं मिला है आप बैठ जाइये ।

श्री अलगूराय शास्त्री : मैं एक मिनट में कह दूंगा । इस में सन्देह नहीं कि जिस माडीफाइड फार्म (परिवर्तित रूप) में यह अमेंडमेंट आया है उस में सांप का जहर तो नहीं है लेकिन शक्ल उसकी सांप की अब भी बनी रहती है और उस से वह डर जो प्रैसीडेंट को अधिकार देने का ऐबसोल्यूट (पूर्ण) अधिकार देने का है वह थोड़ा माडीफाइड सा हो जाता है ।

श्री के० के० बसु : इस परामर्शदात्री समिति में सदन के सभी दृष्टिकोण रखे जा सकें, इसी से हम ने चाहा था कि उन के नाम के संबंध में सदन की स्वीकृति ली जाए । अब अध्यक्ष और सभापति नामनिर्देशन कर रहे हैं, तो उस का विरोध कर के मैं यही कहूंगा कि इस बात पर ध्यान रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चय ही ।

प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ १ में पंक्ति १४ के बाद निविष्ट करिये :

"परन्तु ऐसे किसी अधिनियम को बनाने से पूर्व जहां ऐसा करना व्यावहारिक न हो वहां छोड़ कर, राष्ट्रपति इस प्रयोजन से बनाई गई एक समिति से परामर्श करेगा, जिस में अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित लोकसभा के दस सदस्य होंगे और सभापति द्वारा नाम निर्देशित राज्य परिषद् के पांच सदस्य होंगे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री संशोधन ५ और ६ मंजूर कर रहे हैं ?

डा० काटजू : इस प्रक्रिया का निश्चय अध्यक्ष और सभापति करेंगे । मैं इस सं ोधन का कोई कारण नहीं देखता ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वर्तमान उपबन्धों के अनुसार सत्र पूरा होने तक यह दोनों

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सदनों के समक्ष न आ सकेगा और सब व्यर्थ हो जायेगा। यदि इस सत्र में यह न हो सका तो हम अपने अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। इस का आश्वासन मिलने पर मैं इसे वापस ले लूंगा।

डा० काटजू : प्रक्रिया-नियमों में परिवर्तन अध्यक्ष या सभापति ही करेंगे। जैसे कि दोनों सदनों के साथ साथ किसी विधेयक पर विचार करने की प्रणाली बनाई जाये और यदि कोई सदन कोई संशोधन करे, तो दो तीन दिन में दूसरे सदन को सूचित कर दे। पर प्रक्रिया नियमों में कुछ संशोधन परिवर्द्धन करना ही पड़ेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दूसरे सदन के प्रक्रिया नियम हम कैसे बदल सकते हैं ?

डा० काटजू : वह तो अध्यक्ष और सभापति के लिये छोड़ना होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पर जब तक स्वयं विधेयक में यह न रखा जाये, हमारे अधिकार कैसे रक्षित रहेंगे। या माननीय मंत्री हमें आश्वासन दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय: समाधान यही है कि सरकार इस विषय के निपटारे से पूर्व दूसरे सदन का सत्रावसान न होने दे।

डा० काटजू : हां, यदि कुछ काम होगा, तो ऐसा किया जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस आश्वासन की दृष्टि में मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १ विधेयक म जोड़ दिया गया।

नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : आधुनिक राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धान्तों और शक्ति विभाजन के सिद्धान्त का विरोधी होने के कारण और भारत की या संबंधित राज्य की जनता की ओर से विधान बनाने की इस सदन की शक्ति में हस्तक्षेप करने के कारण मैं इस पूरे के पूरे विधेयक का विरोध करती हूं। यह एक बहुसंख्यक दल के अत्याचार की कहानी है, जो शैतान की भांति संविधान से दृष्टान्त दे कर अल्पसंख्यक दलों को कुचलना चाहता है। हम ने अनेकों साम्राज्य और बहुसंख्यक दलों को पल में उड़ते देखा है। यह विधेयक तो पारित हो जायेगा, पर साथ ही हमारी और पैप्सू की जनता की घृणा भी प्रजातन्त्र के और न्याय, भ्रातृत्व और समानता के सिद्धान्तों के इन रक्षकों के साथ जायेगी। यह विधेयक विधायिनी और कार्यपालिका दोनों प्रकार की शक्ति एक ही व्यक्ति को दे रहा है। मौन्टेस्क और ब्लैकस्टोन दोनों यही कहते हैं कि जब विधान बनाने की और उसे कार्यान्वित

करने की शक्ति एक ही व्यक्ति या वर्ग को दे दी जाती है तो सार्वजनिक स्वाधीनता नहीं रह सकती। जेम्स मेडिसन एक ही व्यक्ति में इस प्रकार सभी शक्तियों का केन्द्रित हो जाना ही 'अत्याचार' की परिभाषा बताता है। इसी से अमरीका ने १७८७ में संघीय संविधान अपनाते समय शक्तियों के पृथककरण को पहला सिद्धान्त माना था। उपनिवेशों के विषय में ब्रिटिश साम्राट् की विधायिनी शक्ति के विषय में श्री एन्सन कहते हैं कि उपनिवेशों को प्रतिनिध्यात्मक संस्था दे देने के बाद यह शक्ति सम्राट के पास नहीं रहती। अतः विश्व के इतिहास में इस तथ्य के पोषक पूर्व दृष्टान्त बिखरे पड़े हैं कि यह विधेयक शक्ति-पृथक्करण को न अपनाने के कारण हमारी संघीय व्यवस्था पर प्रहार कर रहा है।

विधेयक का लक्ष्य-कारण संबंधी विवरण थी उसे उचित नहीं ठहराता। युद्ध आदि के संकट कालों में यूरोप और अमरीका के संसद् की अवधि बढ़ाये जाने के उदाहरण बिखरे पड़े हैं। भारत में संसद् का सत्र चल रहा है। और फिर यहां ऐसा क्या संकट-काल आ गया है? डा० काटजू कहते हैं कि संसद् के पास इन विधानों के लिये समय न होगा, पर आज तक हम ने यह नहीं सुना कि समय की कमी के कारण किसी संसद् ने अपनी शक्ति कार्यपालिका को सौंप दी हो। क्या यही प्रजातन्त्र है? हमें पैप्सू की जनता से सहानुभूति है। हम डा० काटजू की ऐसी मनमौजी तरंगों से सहमत नहीं हो सकते। पैप्सू की जनता ने स्वाधीनता संग्राम में बहुत त्याग किया है। वहां के महाराजा तक अपने राष्ट्रीय विचारों के कारण कोदाईकनाल जेल में मरे थे। पैप्सू जैसी यह संकट स्थिति मेरे राज्य में भी पैदा हो चुकी है और जब मैं कांग्रेस में थी, तब मैं राज्यों के भ्रष्टाचारों के विषय में डा० राजेन्द्र प्रसाद को लिख भी चुकी हूं (अन्तर्बाधायें)। सरकार यह शक्ति इस लिये ले रही है कि लोकप्रिय सरकार होने के नाते वह भूमि सुधार सम्बन्धी विधान बनाएगी कई महीनों से हम भूमि सुधार की मांग करते चले आ रहे हैं, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। और आज यह सब क्यों हो रहा है। यह सब दिखावा है। मैं सदन से अनुमोदन करूंगी कि इस अधिनियम के आरम्भ में यह प्रस्तावना रहे, "चूंकि कांग्रेस प्रशासन की सफलता के लिये, और कांग्रेस को पदारूढ़ बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है, अतः निम्नांकित को अधिनियमित किया जाये।"

श्री के० के० बसु : मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि संविधान में जब इस प्रावधान की व्यवस्था की गई थी तब यह विचार कभी नहीं किया गया था कि संसद् की महान सत्ता उस से ले कर किसी और संस्था को दे दी जायेगी। यह सत्य है कि उद्घोषणा के पश्चात् भी, यदि संसद् चाहे तो अपने कुछ अधिकार और किसी को दे सकती है। हम यह भी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति को राज्य मंत्रालय के परामर्श से काम करना पड़ता है। पर यह कहना कि समय की कमी है और संसद् कुछ घंटों से अधिक देर तक नहीं बैठ सकती, मानने योग्य नहीं है। यदि राज्य मंत्री यह कहते कि जहां संसद् के लिये व्याख्या की बातों में पड़ना आवश्यक नहीं है, वहां राष्ट्रपति को नियम बनाने का अधिकार दिया जाये, तो भी मुझे स्वीकार होता। परन्तु भूमि सुधार विधेयक तथा नियम तथा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों में संसद् के लिये आवश्यक है कि वह यह निश्चय करे जो पैप्सू तथा सम्पूर्ण देश की जनता के लिये हितकर हो और यह राष्ट्रपति को अधिकार देने के लिये बाध्य नहीं है।

[श्री के० के० बसु]

संविधान सभा के विवादों से पता लगेगा कि गवर्नर जनरल को इच्छानुसार काम करने का अधिकार दिया गया था और संविधान बनाने वालों ने जान कर राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिया। वे चाहते थे कि यदि परिस्थिति आवश्यक हो तो काम चलाने के लिये राष्ट्रपति को, जो राज्य मंत्रालय की सलाह से काम करता है, कुछ अधिकार दे दिये जायें। इस आधार पर हमारा मत है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि संसद् यह अधिकार राष्ट्रपति को दे।

पंजाब का उदाहरण देना ठीक नहीं है। अभाग्यवश हमारी लोक सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार से हुआ है। एक वर्ष में ही हम अपने अधिकार को क्यों दें। यदि माननीय गृह मंत्री भूमि सुधार विधेयक प्रस्तुत करते तो हम विधेयक का निर्णय दो बैठकों में कर देते। अन्य बातों पर थोड़े समय तक वार्ता कर के हम वार्ता करने तथा स्वीकार करने के लिये स्थगित पैप्सू विधान को भी ले सकते थे।

भूमि सुधार विधेयक सम्बन्धी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री ने भू-स्वामी के श्रेष्ठ अधिकार के सम्बन्ध में आला मिलकियत विधेयक का उदाहरण दिया। यद्यपि यह दिसम्बर १९५२ में स्वीकार हो गया था तथापि राज्य मंत्रालय ने राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति न देने की सलाह दी। वास्तव में राज्य मंत्रालय ने, उद्घोषणा के पश्चात राष्ट्रपतिको कुछ ऐतराज लगा कर लौटा देने की सलाह दी। सदन के कार्य उसी शासनव्यवस्था के द्वारा कार्यान्वित होते हैं जो पिछले अवसर पर स्वयं प्रस्तुत कर्त्ता के अनुसार पैप्सू में वैधानिक व्यवस्था के बिगड़ जाने के लिये उत्तरदायी है। एक आध परिवर्तन को छोड़ कर सारी व्यवस्था वही है। हम अधिक अधिकार चाहते हैं जिन के बिना उद्घोषणा से पहिले की स्थिति में सुधार करना हमारे लिये बड़ा कठिन है। अतः मैं संसद् सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपने दल की सत्ता को बनाये रखने आदि के कारण न डगमगायें। अब यह तय करने का समय आ गया है कि हमें जनतन्त्रीय सिद्धान्तों को स्थिर रखना है या नहीं। हम समझते हैं कि यदि प्रशासन को शान्तिपूर्ण रूप में चलाने के लिये यह आवश्यक है, तो भी यह छोटी छोटी बातों तक ही सीमित होना चाहिये। परन्तु सम्पूर्ण सत्ता का देना जनतन्त्रीय संस्था के लिये भयानक है। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री पाटस्कर : जिस अन्तिम रूप में विधेयक स्वीकार हो रहा है मैं उस से कोई अधिक प्रसन्न नहीं हूं। मैं समझ सकता हूं कि यह लोक सभा ऐसी स्थिति में किसी राज्य सत्ता को अपने हाथ में ले सकती है और यह भी समझ सकता हूं कि यदि ये अधिकार अल्प काल के लिये राष्ट्रपति को दे दिये जायें। पर यह समझ में नहीं आता कि हम यह कर कि राष्ट्रपति उन अधिकारों में किसी बनने वाली अन्य संस्था का सहयोग लेगा, कैसे अच्छी प्रथा डाल रहे हैं।

वैधानिक दृष्टिकोण से मैं इस प्रश्न की अच्छाइयों व बुराइयों पर जा रहा हूं। स्थिति यह थी कि यदि विभिन्न कारणों से किसी राज्य में संविधान का पालन नहीं होता और उद्घोषणा हो जाती है तो सामान्यतः सत्ता-अधिकार इस सदन को मिलने चाहियें। यह केवल विशेष परिस्थितियों में ही राष्ट्रपति के लिये आवश्यक हो सकता है कि वह सत्ता को अपने हाथ में ले ले। मैं इस बात से सहमत हूं कि सम्भवतः लोक-सभा को स्वयं विधान बनाना चाहिये परन्तु

यदि यह कठिन हो तो कुछ समय के लिये राष्ट्रपति को अधिकार दिया जा सकता है, परन्तु इन अधिकारों में किसी अन्य को हिस्सेदार बनाना, जनता में झूठी सुरक्षा की भावना फैला देगा। मुझे विश्वास है कि आज हम एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे कम से कम मैं तो ठीक नहीं समझता, अतः मैं विधेयक के उस रूप से सहमत नहीं हूं जो उस ने ले लिया है।

श्री अलगू राय शास्त्री : पाटस्कर साहब के एक एक शब्द का मैं समर्थन करता हूं।

डा० काटजू : वार्ता लगभग वैधानिक रूप की रही है, और यह सुझाव दिया गया है कि जब अधिकार राष्ट्रपति को दिये जायें, तो वह सम्पूर्ण रूप के हों। एक दम का मत है अधिकारों को देना बिल्कुल न हो दूसरी ओर यदि आप एक बार देते हैं, तो आप सदैव और अच्छाई के लिये देते हैं, और फिर उस देन के लौटने के कोई प्रयत्न नहीं होना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि जहां तक इस तर्क का संबंध है कि अधिकार का देना बिल्कुल न हो, और विधान बनाने के लिये सदैव लोक सभा को यह अधिकार अपने पास रखना चाहिये, इस पर पिछली वार्ता में विस्तारपूर्वक वार्ता हो चुकी है, और माननीय साथी श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के साथ भी जिन का इस से कुछ संबंध है, क्योंकि वह उस समिति के सदस्य रहे हैं जिस ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। संविधान बनाने वालों का विचार था कि जब भी राष्ट्रपति अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत हस्ताक्षेप करेंगे तभी प्रत्येक बात पर कानून बनाना संसद् के लिये असंभव होगा।

दूसरी बात पर, नाम्ना यदि आप एक बार देते हैं, तो देन बिना किसी बन्धन के होनी चाहिये, यह बात मुझे ऐसी लगती है कि वह विशेष प्रावधान १९५१ में अपनाये गये साधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। मैं जिस साधन का निर्देश कर रहा हूं वह यह है कि राष्ट्रपति पर अपने द्वारा बनाये गये अधिनियम को संसद् के किसी भी सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व है—उस समय केवल एक ही सदन था। एक और उत्तरदायित्व यह था कि यदि सदन अधिनियम को अस्वीकार कर दे या अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान से सहमत न हो और किसी विशेष संशोधन का सुझाव दे, तो राष्ट्रपति के लिये यह आवश्यक है कि वह संशोधन-अधिनियम बना कर ऐसे संशोधनों को लागू करे। इस का पूर्व विचार यह है कि जब राष्ट्रपति को एक हाथ से वैधानिक अधिकार दिये जा रहे हों, और सत्ता उसे दी जा रही हो, तो संसद् को स्वयं यह देखने तथा निश्चय करने का अवसर मिलना चाहिये कि क्या अधिकार का प्रयोग समान तथा उचित रूप में किया जा रहा है। यह जो कुछ था, संसद् को यह अधिकार था कि वह सात दिनों में चाहे तो अधिनियम को रद्द करे और चाहे किसी संशोधन का सुझाव दे और उस संशोधन को कार्यरूप देने के लिये राष्ट्रपति बाध्य थे।

श्री पाटस्कर : यह तो इस के पश्चात् था जब राष्ट्रपति ने अधिकार का प्रयोग कर लिया था।

डा० काटजू : यदि आप एक बार देते हैं तो यह कहना अच्छा नहीं है कि 'हम अब देते हैं, पर हम सात दिन में अधिनियम को रद्द कर सकते हैं।' मैं माननीय सदस्यों के इस कहने को समझ सकता हूं कि संसद् के प्रतिनिधि ये हैं, संसद् के पास सम्पूर्ण अधिकार हैं, पर यह राज्यों के लिये नियम नहीं बना सकती, और इस लिये संसद् राष्ट्रपति से कहती है कि 'राज्यों के लिये आप नियम बनायें'।

[डा० काटजू]

परन्तु यदि आप इस के ही साथ कहें कि 'जो कुछ आप करें, आप उसे हमारे सम्मुख हमारी स्वीकृति के लिये रखें, और हम अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकते हैं या आप को कोई विशेष संशोधन करने के लिये कह सकते हैं,' तो यह यथाकथित कर्त्तव्य के साथ ज्यादती है। जो कुछ आज हुआ वह छोटी सी बात है। इतिहास बड़ा ही सीधा सादा है।

जो कुछ आज हुआ है क्या वह संसद् कार्य है या इस सदन में अपनी जानकारी में कहा है इस से पहिले कि राष्ट्रपति कोई अधिनियम बनाये उसे किसी से परामर्श करना चाहिये। संविधान में, ऐसे अनेकों प्रावधान हैं। जिन में पूर्व परामर्श का वर्णन है। उदाहरण के लिये, न्यायाधीश की नियुक्ति ही लीजिये। वह पूर्णतः राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। परन्तु संविधान कहता है कि इस से पहले कि वह क अथवा ख को नियुक्त करे, उसे इस और इस से सलाह करनी चाहिये। यह पूर्णतः जिसे हम कह सकते हैं, सलाहकार स्थिति है,। यह देन में हस्तक्षेप नहीं करती। अन्तिम अधिकार जैसा कि मैं समझता हूं, आरम्भ करना राष्ट्रपति का है जो संसद् की स्वीकृति या अस्वीकृति का आश्रित है, और यह संसद् द्वारा बाद में किये गये संशोधनों से विदित होता है।

जो संशोधन किया गया था वह यह है कि आप भी कहते हैं कि इस और इस के द्वारा मनोनियत समिति से पहिले परामर्श होना चाहिये। हम इतिहास जानते हैं और मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने सुझाव दिया था कि जो पैप्सू के सदस्य निर्वाचित सदस्य थे और वहां की जनता की आवश्यकताओं को जानते थे पहिले उन से परामर्श करना उचित होगा। इस सदन ने अपनी जानकारी में कहा था कि इस से सदन के सदस्यों के साथ कुछ भेद भाव हो सकता है।

श्री पाटस्कर : क्या यह हम अब नहीं कर रहे हैं ?

डा० काटजू : संविधानीय प्रश्न पर यह उठाया गया है कि संविधान की अनुच्छेद ३५७ के साथ वास्तव में कोई ज्यादती नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"संशोधित विधेयक स्वीकार हो जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सदन के उठने से पहिले, श्रीमान्, क्या आप मुझे इस सदन के अध्यक्ष के गौरव से संबंधित एक मामले के बारे में कहने की अनुमति देने की कृपा करेंगे। दूसरे सदन में माननीय विधि मंत्री ने कुछ ऐसी टीका टिप्पणी की थी जो मेरे विचार में अध्यक्ष महोदय के गौरव के प्रतिकूल है। इस विषय पर मैं कल इस सदन में एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहिले कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने मुझे इस की सूचना दी, मैं ने दूसरे सदन के कार्यवाही-लेख मंगाए हैं। कल प्रश्न काल के पश्चात् तुरन्त ही इस पर विचार होगा। मैं माननीय विधि मंत्री से कल यहां आने के लिये प्रार्थना करता हूं।

इस के पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार, १ मई १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

GIPD—HS—271 PSD—13.1.54—285